

निरतिवाद

निरतिवाद-प्रणेता



दरबारीलाल सत्यभक्त
संस्थापक-सत्यसमाज

निरतिवाद

अर्थात्

समाजवाद की आत्मा का भारतीय अवतार

‘अति’ इधर कहीं अति उधर कहीं, ‘अति’ ने अन्धेर मचाया है ।
कोई कण कण को तरस रहा, अति-उदर किसी ने खाया है ।
या तो नचती उच्छ्रूलता, अथवा मुर्दापन छाया है ।
‘अति’ का यह अति अन्धेर देख, प्रभु निरतिवाद बन आया है ॥

प्रणता —

श्री दरबारीलाल सत्यभक्त

सस्थापक—सत्यसमाज

कुलपति-सत्याश्रम वर्धो [सी पी]

अगस्त १९३८ ई.

मूल्य छह आने

प्रकाशक के दो शब्द



ज्य सत्यभक्तजी ने, कुछ समय पहिले सत्यसमाज की इक्कीस मॉगे जनता के सामने रक्खी थी। इन मॉगोपर आचार्य महावीर प्रसादजी द्विवेदी, देशभक्त प सुन्दरलालजी, श्री किशोरलालजी मशरूवाला, श्री धर्माधिकारी, श्री जनरल अवारी, वारासभाओ के कुछ सदस्य तथा अन्य सज्जनो ने अपने अपने मत प्रगट किये थे। तब आवश्यकता मालूम हुई कि मागो का भाष्य किया जाय। जब वह किया गया तब निरतिवाद के नाम से एक बाद, तथा एक पुस्तक ही तैयार हो गई जो आपके सामने है। जिसे आज साम्यवाद या समाजवाद कहते हैं वह इसमें नहीं है पर जो कुछ है वह समाजवाद के उद्देश को पूरा कहता है। इसलिये पूज्य सत्यभक्तजी ने यह ठीक ही कहा है कि यह समाजवाद की आत्मा का भारतीय अवतार है। यह योजना देश के ही नहीं, विश्व के सामने एक नई साफ और व्यावहारिक योजना है जो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों में पथ-निर्माण करती है।

सत्यसमाज की संस्थापना के बाद श्री सत्यभक्तजी को यह अनुभव हो रहा था कि आज के युग में राजनीति और अर्थ शास्त्र पर प्रभाव डाले बिना अन्य क्षेत्रों में सुधार कठिन है। क्रान्ति या सुधार एकांगी नहीं होता वह अपना असर चारों तरफ डालता है। श्री सत्यभक्तजी धर्म और राजनीति को समाज-शास्त्र का ही एक अंग मानते हैं इसलिये यह कैसे हो सकता था कि सत्यसमाज इन विषयों पर अपना कोई सन्देश जगत के सामने न रक्खे।

श्री सत्यभक्तजी जो साहित्य निर्माण कर रहे हैं वह पूर्ण निःपक्ष और अमर हैं सत्य और अहिंसा के व्यावहारिक रूपों की मूर्ति हैं जनकल्याण का सुगम और साफ रास्ता है।

पर इसे अच्छी तरह समझने की जीवन में उतारने की और उसके लिये नि स्वार्थ संगठन की आवश्यकता है। इसके लिये हम आप सबको प्रयत्न करना चाहिये।

—सूरजचंद डॉंगी

प्रकाशक,
—सूरजचंद डॉंगी
सत्य सन्देश कार्यालय
वर्धा सी पी.

मुद्रक,
—मै ने ज र
सत्येश्वर प्रिन्टिंग प्रेस
वर्धा सी. पी.

नि र ति वा द

प्रारम्भिक

‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ अति को सब जगह रोकना चाहिये। ससार में पूर्ण समता का होना असम्भव है और वर्तमान की विषमता भी सही नहीं जा सकती। ये दोनों ही अतिवाद हैं। मार्ग बीच में है। इन दोनों अतिवादों को छोड़कर मध्यका समन्वयात्मक मार्ग निरतिवाद है। जीवन की सभी बातों को लेकर निरतिवाद के अनुसार विचार किया जा सकता है। परन्तु मुख्यता धन की है। क्योंकि इतिहासातीत काल से जगत के अधिकांश आन्दोलन अर्थ-मूलक रहे हैं अथवा उनके किसी कोने में अर्थ अवश्य रहा है। आज तो यह समस्या और भी जटिल है। यन्त्रों ने जहाँ मानव समाज को हर एक दिशा में द्रुतगामी बना दिया है वहाँ आंग पीछे का भेद भी विकट कर दिया है। एक तरफ असंख्य धनराशि है तो दूसरी तरफ पीठ से मिला हुआ पेट है। यह विषमता इतिहासातीत काल से है पर आज यह विकटाकार धारण कर चुकी है।

धर्मों ने जहाँ जीवन में अनेक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न किया है वहाँ अर्थ समस्या को भी हल करने की कोशिश की है। हिन्दू-

धर्म में इसीलिये दान और त्याग को महत्त्व है उसकी गिनती दश धर्मों में की गई है। अपरिग्रह धर्म माना गया है। जैन और बौद्ध धर्म ने परिग्रह को पाप माना है। त्याग और दान की महिमा गई है। जीवन की आवश्यकताएँ कम से कम करके अपना सर्वस्व छोड़ देने का आदर्श बतलाया गया है। ईसाई धर्म में इसीलिये अपना धन गरीबों को बाँट देने का उपदेश है और यहाँ तक कहा गया है कि सुई के छिद्र में से से ऊँट निकल जाय तो निकल जाय पर स्वर्ग के द्वार में से धनवान नहीं निकल सकता। इसलाम में इसीलिये व्याज को हराम बताया गया है। गरीबों की सहायता पर जोर दिया है। समान बँटवारे का तथा परिश्रम करके खाने का विधान है।

धर्मों के इस प्रयत्न से मानव जाति ने काफी लाभ उठाया है। पर समस्या हल नहीं हो पाई। दान की प्रथाने गरीबों को कुछ सहायता दी तथा त्याग में सम्पत्ति के अधिकारी बनने का दूसरों को अवसर दिया। पर इससे पूर्ण तो क्या पर्याप्त सफलता भी नहीं मिली। और आज तो दान और त्याग विकृत और दुर्लभ भी हो गये हैं इसलिये जटिलता और बढ़ गई है।

दान से जहा थोड़ी बहुत सुविधा मिलती है वहां उसमे एक दोष भी है। इससे दीनता और आलस्य बढ़ता है। दान तो सिर्फ अपाहिजो और सार्वजनिक कार्यों और ऐसी ही सस्थाओ के लिये उपयोगी है। बेकारो का पेट भरने के उद्देश्य से जो दान दिया जायगा उससे लोग आलसी और दीन बनेगे। उनका मनुष्यत्व नष्ट हो जायगा। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सब को काम और रोटी मिले। आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिये हम कौन से पथ से चले इसका निर्णय हमें करना चाहिये।

साम्यवाद अव्यवहार्य

यूनान मे इस समस्या को हल करने के लिये प्लेटोने प्रयत्न किया था। पर वह प्रयत्न सफल न हो सका। वह आर्थिक साम्यवाद का आदर्श रूप था। वह साहित्य की सामग्री बना। इसके बाद इस विषय के आचार्यों मे जिनका नाम विशेष रूप मे लिया जाता है वे है कार्लमार्क्स। इनके विचार अवश्य बहुत अश मे सफल हुए और रूस सरीखे पिछड़े हुए विशाल देश मे साम्यवादी शासनपद्धति प्रचलित हुई।

साम्यवाद के नाना रूप है। हर तरह की पूर्ण समानता तो असम्भव ही है। जैनियोने इस प्रकार की समानता की एक कल्पना अवश्य कर रखी है पर वह आदर्श होने पर भी निरी कल्पना है। ऐसा युग न कभी था न आयेगा जब समाज मे मूर्ख विद्वान का, रोगी नीरोग का, शरीर से ऊँचे नीचे का, अल्पायु दीर्घायु का, निर्बल बलीका, सुन्दर असुन्दर का भेद मिट जाय और सम्पत्ति का कण कण सार्वजनिक हो जाय। शास्य शासक आदि कुछ न रहे और परम शान्ति परमानन्द विराजमान हो।

यह कल्पना सुन्दर है आदर्श है, चाहने योग्य है। पर कल्पना है और असम्भव है। इससे इतना ही कहा जा सकता है कि जैन धर्म चरम सीमा के साम्यवाद का प्रचार इस दुनिया मे सुखकर समझता है।

इससे उतरती व्यवस्था मे कुछ लोग साम्पत्तिक समानता की कल्पना करते है और एक तरह से कुटुम्ब-व्यवस्था को भी नष्ट कर देना चाहते है। प्रत्येक पुरुष हरएक स्त्री का पति हो प्रत्येक स्त्री हरएक पुरुष की पत्नी हो, प्रत्येक वच्चा समाज की सन्तान हो, योग्यतानुसार सब लोग काम करे, गाव भर का एक भोजनालय हो, उपभोग के साधन सब को बराबर मिले और जमीन मकान दूकान कारखाने आदि सभी सरकारी हो।

यह व्यवस्था बड़ी सुन्दर मालूम होती है ऐसा हो सके और शान्ति रह सके तो वैकुण्ठ ही पृथ्वी पर नजर आने लगे। पर इसे प्राप्त करने के लिये जितने दिन लगेगे उसका सौबे भाग समय तक भी यह टिकाई नहीं जा सकती। मानव मे जो स्व और स्वकीय का मोह है उसे दूर करना अशक्य है। स्व का सर्घर्ष मिटाया नहीं जा सकता। इस व्यवस्था मे स्व का इतना सर्घर्ष होगा कि उसे रोकने के लिये अकुश लगाना पडेगे और वही से फिर विषमता शुरू हो जायगी।

मनुष्य आलस्य का पुजारी है। दार्शनिकोने जो मोक्ष की कल्पना की है वह भी अनन्त आलस्य के सिवाय और कुछ नहीं है। आज जो एक के बाद एक आविष्कार हो रहे है वे सब परिश्रम घटाने, आराम पहुँचाने अर्थात् आलस्य की उपासना के लिये है। मनुष्यको अगर यह मालूम हो कि हमको हर हालत मे भर पेट रोटी मिलेगी ही और अधिक करने से अविश्व कुछ मिलने

वाला नहीं है तब वह कम से कम काम करने की कोशिश करेगा। नये नये वहानो का आविष्कार होगा। अगर आप उन वहानो पर ध्यान न देगे तो उस उपेक्षा की चक्की में सच्चे पीड़ित भी पिस जायेंगे। नकली बीमारो के साथ असली बीमार भी पिस जायेंगे। डॉक्टरों से परीक्षा कराई भी जाय तो रोगी-जिसमें मौके मौक़ेपर सभी लोग शामिल होते हैं—डॉक्टरों की कृपा के भिखारी होंगे। रोगियों से डॉक्टरों को कुछ मिल तो नहीं सकता इसलिये उनके द्वारा उपेक्षा और तिरस्कार होगा। रोगियों में ढीनता आयगी। धीरे धीरे कृपावान् और कृपोपजीवीका भेद बड़े भयंकर रूप में मनुष्यता का सहार करने लगेगा। यहाँ अभी सकेत मात्र किया है। विस्तार से अगर इसका चित्रण किया जाय तो उससे हम घबरा उठेंगे।

कौटुम्बिक व्यवस्था को नष्ट कर देने का अर्थ होगा मनुष्यता को तिलाञ्जलि देना। इससे दाम्पत्य की सुविधाएँ और आनन्द नष्ट हो जायगा अविवाश सन्तान वात्सल्यहीन रहेगी और उसमें हृदय हीनता आ जायगी। पुरुष नयी नयी नारियों की तलाश में और नारी नये नये पुरुषों की तलाश में सदा व्यस्त रहने लगे, सारा राष्ट्र एक प्रकार का वेश्यालय बन जायगा। इसलिये कौटुम्बिक व्यवस्था को नष्ट कर देना अत्यन्त अकल्याणकर है। सच पूछा जाय तो यह साम्यवाद का कल्पना चित्र है, स्वप्न है। जहाँ साम्यवाद का प्रचार हुआ वहाँ भी कौटुम्बिक व्यवस्था तोड़ी नहीं गई। विवाह बन्धन ढीला किया गया और काफी ढीला किया गया पर इससे कौटुम्बिक व्यवस्था नष्ट नहीं हुई और यह ढीलापन छोड़ देना पड़ा, इसलिये कौटुम्बिक व्यवस्था को नष्ट करने की बात व्यर्थ है।

मूल बात अर्थ की है। आजकल साम्यवाद के आन्दोलन में आर्थिक साम्य ही मुख्य है। पर क्या यह सम्भव है? यह बात तभी सम्भव है (१) जब प्रत्येक मनुष्य की आमदनी एक समान हो (२) उसका खर्च भी एक समान हो (३) धन संचय करने का किमी को अविकार न हो। पर क्या ये तीनों बातें सम्भव हैं? क्या इससे शान्ति सुव्यवस्था और उन्नति हो सकती है?

पहिले समान आमदनी की बातें लेले। इस में सब से बड़ी बाधा यह है कि प्रत्येक मनुष्य की योग्यता और सेवा एक सरीखी नहीं होती। न सभी सेवाओं का मूल्य एक सरीखा किया जा सकता है। बर्तन मलने या झाड़ू देनेवाली एक मजदूरिन और नये नये आविष्कारों के लिये दिन रात सिर खपानेवाला और प्राणों को भी दावपर लगा देने वाला एक वैज्ञानिक, इन दोनों की सेवा एक सरीखी नहीं हो सकती। अगर सबकी सेवा का मूल्य एक सरीखा हो जाय तो मनुष्य अधिक से अधिक काम करने के बदले कम से कम काम करने की ओर झुकेगा। न तो योग्यता बढ़ाने की तरफ उसका ध्यान जायगा न योग्यता का अधिक उपयोग करने की तरफ। इसलिये सब मनुष्यों की आमदनी एक सरीखी नहीं हो सकती। हा, यह हो सकता है और होना चाहिये कि आमदनी में जमीन आसमान का अन्तर न हो। एक आठमी पाच रुपया महीना पाये और दूसरा दस हजार या बीस हजार रुपया महीना। यह अन्धेरा जाना चाहिये। अन्तर रहे पर वह आवश्यक और उचित हो। अन्तर रहना अनिवार्य है। इस बात को साम्यवादी भी स्वीकार करता है। इस प्रकार जब आमदनी में अन्तर है तब पूर्ण आर्थिक साम्यवाद नहीं हो सकता।

किसी आदमी को खर्च करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता। इसलिये समान आमदनी में भी सचय हो सकता है फिर न्यूनाधिक आमदनी में तो सचय और भी अधिक सम्भव है। तीसरी बात सचय के अधिकार को रोकना है यह भी अशक्य है। इस विषय में ज़र्बदस्ती की जाय तो अन्याय होने की पूरी सम्भावना है (अमुक अश में सचय की आवश्यकता भी है) इस प्रकार सचय होना मानव प्रकृति को देखते हुए अनिवार्य है। हा, उस पर अकुश लगाये जा सकते हैं और लगाना चाहिये। अति सचय न हो, सचय सचय को बढ़ानेवाला न हो इसका विचार रखना आवश्यक है।

हमारे सामने तीन मार्ग हैं—१ सचय की मात्रा और प्रकार का निर्णय सरकार करे और इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक सूत्र सीधा सरकार के हाथ में रहे। २ व्यक्ति को इस विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता हो वह किसी भी प्रकार धन पैदा करे और कितना भी सचय करे इस पर अकुश न हो। ३—व्यक्ति को आर्थिक स्वातन्त्र्य हो पर उसके दुरुपयोग को रोकने के लिये तथा बेकारी हटाने के लिये सरकार का अर्थात् समाज का पर्याप्त अकुश हो। पहिला मार्ग साम्यवाद का है दूसरा मार्ग पूंजीवाद का और तीसरा निरतिवाद का।

पहिले मार्ग में सात खराबियाँ हैं:—[क] व्यक्तित्व के विकास का निरोध, [ख] दासता, [ग] कर्तव्य में आनन्द की कमी और बोझ का अनुभव, [घ] सरकार या अधिकारियों की निरकुशता रोकने की अक्षमता, [ङ] रुचि की अतृप्ति का कष्ट, [च] निम्न श्रेणी के कार्य-कर्ताओं के चुनाव में बाधा और उसके मन का

असन्तोष, और अधिकारियों का पक्षपात अन्धा-धुन्धी, [छ] सरकार के ऊपर असह्य बोझ या शक्ति के बाहर उत्तरदायित्व-इससे पैदा होनेवाली मँहगाई।

(क) यहाँ व्यक्तित्व-विकास-निरोध के दो कारण हैं। पहिला तो यह कि सरकार के ऊपर निर्भर हो जाने से मनुष्य में उत्तेजना का अभाव हो जाता है। जैसे जंगल में घूमने वाले शेर और पालतू शेर में अन्तर है वैसा ही अन्तर यहाँ हो जाता है। 'कुछ विशेष लाभ तो है ही नहीं फिर क्यों सिर खपाये' इस प्रकार की मनोवृत्ति विकास को रोकती है। दूसरा कारण यह कि अगर इस मनोवृत्ति को दबा भी दिया जाय तो भी मनुष्य को कार्य करने की पर्याप्त स्वतन्त्रता न होने से विकास रुक जायगा। आर्थिक सूत्र सीधा सरकार के हाथ में होने से प्रत्येक मनुष्य नौकर हो जायगा। इस प्रकार वह एक बड़ी भारी मर्गिन का पुरजा बनकर रह जायगा। जीवन-निर्वाह के लिये इच्छानुसार कार्य चुन लेना, उस पर नये ढंग की आजमाइश करना अत्यन्त दुर्लभ हो जायगा। इसीसे व्यक्तित्व का विकास रुकेगा।

(ख) आर्थिक सूत्र सर्वथा पराधीन हो जाने से मनुष्य में दासता आ ही जायगी। नौकर को तो इतनी सुविधा मिलती है कि एक जगह न पटी दूसरी जगह चले गये, दूसरे गाँव चले गये, दूसरा मालिक देख लिया पर सरकार के हाथ में सब का आर्थिक सूत्र आ जाने से यह सुविधा और स्वतन्त्रता नहीं रहेगी। अब एक जगह काम छोड़कर दूसरी जगह जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है और सरकार के सिवाय दूसरा कोई मालिक नहीं है इसलिये जीवन भर सरकार की ही नौकरी करना पड़ेगी इस प्रकार का अटूट

वन्धन दासता ही है। इससे देशभर में दासता के समान मनोवृत्ति और वैसे ही कष्ट बढ़ जायेंगे।

(ग) इस प्रकार की दासता के साथ थोड़ा भी काम करना पड़े तो वह असह्य होता है और स्वाधीनता के साथ इससे कई गुणा कष्ट भी सहन हो जाता है। एक दूकान का मालिक सुबह से रातकी दस ग्यारह बजे तक दूकान पर आनन्द से बैठ सकता है जितने अधिक ग्राहक आवें उतना ही अधिक खुश होता है क्योंकि वह अपने को स्वतन्त्र अनुभव करता है। पर नौकर की मनोवृत्ति ऐसी नहीं होती। वह थक जाता है घबरा जाता है उसे विवशता का अनुभव होता है। जहाँ स्वेच्छा से नहीं किन्तु विवशता से दूसरों की आज्ञा में रहकर काम करना पड़ता है वहाँ थोड़ा भी कार्य बोझ मान्य होता है। यद्यपि यह परिस्थिति आज भी है और चिरकाल तक रहेगी परन्तु आज सौ में दस आदमियों के लिये है पर कल सौ में निन्यानवे के लिये हो जायगी। यह समाज की अवनति है।

(घ) जब हमारा पेट भी सरकार की मुट्ठी में पूरी तरह आ जायगा तब सरकार के आसन पर बैठे हुए व्यक्ति काफी निरकुश हो जायेंगे। अज्ञानवश या स्वार्थवश की गई उन की भूलों का सुधार असाध्यसा हो जायगा। आज हम कहीं से भी पेट भर रोटी खाकर उन से लड़ सकते हैं पर तब तो पेट उनकी मुट्ठी में रहेगा तब उनसे लड़ना कैसे होगा ? न तो हमें कहीं से दान मिल सकेगा न हम सचय ही कर सकेंगे तब किस भरोसे जीवित रहकर सरकार का सामना कर सकेंगे।

(ङ) सारे कारबार सरकार के हाथ में चले जाने के कारण प्रायः सभी मनुष्यों की रुचि

अतृप्त रहेगी। अतृप्त रहेगी सो रहेगी पर तृप्त होने की आशा भी इतनी क्षीण हो जायगी कि उसे निराशा कहना होगा। यह और कष्ट है। एक आदमी खाने पीने की इतनी परवाह नहीं करता पर यह चाहता है कि मैं सारे देश में या विदेशों में कुछ समय भ्रमण करूँ अथवा और किसी कार्य में उसकी रुचि है जीविका के लिये भी वह ऐसा ही कार्य चाहता है अथवा अर्थ-सचय द्वारा वह अपनी इच्छा की तृप्ति करना चाहता है पर सरकार के हाथ में पूर्ण आर्थिक सत्ता होने से यह बहुत कठिन है। यद्यपि इस प्रकार की अतृप्त आकांक्षायें आज भी रहनी हैं पर उस समय उनकी मात्रा बढ़ जायगी तथा निराशा तो और भी अधिक।

[च] यदि प्रत्येक मनुष्य को समान साधन मिले वह समान परिस्थिति में रक्खा जाय उस के हृदय पर समानरूप में सत्कार डाले जायें ता प्रायः सभी या अधिकांश मनुष्य समान योग्यता के होंगे। ऐसी हालत में निम्न श्रेणी के काम करनेवाले अधिकांश लोग कहाँ से आयेंगे ? कोयले की खानों में कौन काम करेगा सड़क पर गिट्टी कौन कूटेगा खेती आदि कामों के लिये कितने आदमी तैयार होंगे ? अगर सब को समान साधन न दिये जायें जिससे निम्न श्रेणी के व्यक्ति भी मिल सकें तो यह अन्याय होगा।

कहा जा सकता है कि ऐसा आज भी तो होता है। होता है, पर इससे मनुष्य इतना दुःखी नहीं होता। आज का समाज व्यक्ति से कहता है कि तुम अपनी सारी शक्ति लगाकर स्वतन्त्रता से अपना स्थान बनाओ और भाग्य से जो तुम्हें पैतृक साधन सम्पत्ति मिले उसका भी उपयोग कर लो इतने पर भी अगर तुम ऊँचे नहीं पहुँचते

तो मैं [समाज] क्या करूँ ? व्यक्ति इस सचाई को मान कर चुप रहता है। वह किसी को दोष न देकर अपने भाग्य का फल समझ कर चुपचाप काम करता है। उठने की कोशिश करता है पर यदि नहीं उठ पाता तो वह समाज पर टूट नहीं पड़ता। क्योंकि जिम्मेदारी समाज पर नहीं उस पर है। साम्यवाद में समाज पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है व्यक्ति बहुत गौण हो जाता है ऐसी हालतमें वह लघुता सहन नहीं कर सकता। हम घर में कैसा भी रूखा मूखा खा सकते हैं परन्तु निमंत्रण में जाने पर घर से अच्छा भोजन करके भी हम उस हालत में सतुष्ट नहीं हो सकते जब कि दूसरे को हम से अच्छा भोजन परोसा जा रहा है। साम्यवाद में कोई भी छोटा बनने को तैयार न होगा और होगा तो उसे अन्याय का कड़ुआ अनुभव होता ही रहेगा। असन्तोष और ईर्ष्या उ-के जीवन को दुःखी करने के साथ दूसरे को भी दुःखी बनाये रहेगी। अगर सरकार साम्यवाद का दावा न करे न आर्थिक सूत्र सीधे अपने हाथ में रखे तो व्यक्ति अपनी परिस्थिति में बहुत कुछ सन्तुष्ट रहेगा। न अधिकारियों को उसके जीवन के दुरुपयोग करने का इतना अवसर मिलेगा न उसे अधिकारियों पर इतना रोष होगा।

सरकार के ऊपर रक्षण, शिक्षण, न्याय, नियन्त्रण कर-ग्रहण आदि का जो बोझ है वह कुछ कम नहीं है। सरकार कोई एक व्यक्ति न होने से उसके द्वारा जो कार्य होते हैं उन पर व्यवस्था सम्बन्धी बहुत खर्च बढ़ जाता है। मैं एक मकान बनवाऊँ और सरकार भी वैसा मकान बनवाये तो उसमें खर्च दूने से भी अधिक आयगा। इसका कारण यह है कि आधे से अधिक पैसा व्यवस्था

में खर्च हो जाता है। मजदूरों की देखरेख को एक निरीक्षक चाहिये। निरीक्षक कोई बेईमानी न करे इसके लिये एक चेकर चाहिये, काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ इसलिये इजीनियर चाहिये, हिसाब ठीक है कि नहीं इसके लिये ऑडिटर चाहिये, ढेर भर कागज फाड़ले और उस को गूदने के लिये क्लर्क चाहिये। इन सब कारणोंसे सरकारी काम बहुत महँगा पड़ता है। इसलिये ठेका देने का रिवाज है। ठेके का काम सस्ता पड़ता है लेकिन ठेकेदार पर नियन्त्रण और परीक्षण के लिये भी काफी खर्च होता है। और ठेका भी वास्तविक मूल्य से अधिक में दिया जाता है। यह बात इसीसे समझी जा सकती है कि ठेकेदार अविकारियों को हजारों रुपयोंकी रिश्वत देकर भी लखपति बन जाते हैं।

कहा जा सकता है कि ये उदाहरण किसी बिगड़ी हुई सरकार के नमूने हैं साम्यवादी सरकार ऐसी नहीं हो सकती।

ठीक है। माना कि ऐसी नहीं हो सकती सम्भवतः प्राग्भूत में ऐसी नहीं हो सकती, पर दस बीस वर्षों के बाद वहाँ भी ऐसी ही परिस्थिति आ जायगी अथवा अन्तर रहेगा तो उन्नीस बीस जैसा ही रहेगा। बात यह है कि जबतक मनुष्य अपने व्यक्तित्व का अनुभव करना नहीं भूलता व्यक्तित्व की महत्त्वाकांक्षा नष्ट नहीं होती तबतक उपर्युक्त उदाहरण हर एक सरकार में मिलेंगे। हा, उनकी मात्रा में थोड़ा बहुत अन्तर अवश्य आ सकता है।

दूसरी बात यह कही जा सकती है कि अच्छा महँगा पड़ता है तो पड़ने दो देश का पैसा देश में तो रहता है। परन्तु यह तर्क ठीक नहीं। पूँजीवाद में भी देश का पैसा देश में रहता है,

एक चोर पड़ोसी की चोरी करले तो भी देश का पैसा देश में रहेगा इसीलिये इन सब का समर्थन नहीं किया जा सकता। इस तर्क में दूसरा दोष यह भी है कि पैसे की दृष्टि से महँगाई का दोष भले ही न हो पर परिश्रम की दृष्टि से तो है ही। कोई चीज महँगी पड़ी इसका यह अर्थ अवश्य है कि उसमें बहुत से मनुष्यों को बहुत परिश्रम करना पड़ा। इस प्रकार सरकार के हाथ में जो कारवार जाता है वह अविक्रि शक्ति लेकर पूरा होता है। फिर भी बहुत से काम ऐसे हैं कि व्यक्ति के हाथसे हो नहीं सकते इसलिये महँगे पड़ने पर भी सरकार के हाथसे कराना पड़ने है। रक्षण न्याय आदि ऐसे ही कार्य हैं।

परन्तु यदि प्रत्येक मनुष्य का धनारोपण भी सरकारी हो जावे तब प्रकार प्रत्येक मनुष्य की आजीविका का बोझ सरकार के ऊपर पड़े तो वह बोझ कितना भारी होगा ? कितना महँगा होगा ? उसकी कल्पना ही मुश्किल से की जा सकती है।

अभी अभी जहाँ साम्यवादी शासन प्रचलित हुआ है वहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति का बोझ सरकार नहीं उठा सकी और धीरे धीरे सरकार ने लौटना शुरू कर दिया है। व्यक्ति की आजीविका व्यक्ति के हाथ में रखने की बहुत कुछ स्वतन्त्रता देना पड़ी है। और इसी लौटनेकी दिशा में प्रगति हो रही है।

व्यवहार में आने पर और भी कठिनाइयाँ दिखाई दे सकेंगी। सबसे बड़ा प्रश्न मानव स्वभाव और प्राकृतिक विपमता का है इससे साम्यवाद स्थायी नहीं हो सकता। जब वह स्थायी होने लगता है तब पूँजीवाद की ओर काफी झुकने लगता है। फिर भी मैं साम्यवाद को घृणा की दृष्टि से नहीं देखता। मैं तो उसे आदर्श समझता

हूँ इसलिये पूजा करता हूँ। पर वह आदर्श है, दिशा-दर्शन करा सकता है पर अप्राप्य है। इसलिये व्यवहार की चीज नहीं है।

हा, व्यवहार में भी कभी कभी उमका उपयोग हुआ है या हो सकता है पर वह झाड़ू की तरह ही हो सकता है। कमरे में अगर कचरा पड़ा हो और बैठने की जगह न हो तो झाड़ू लगा कर कचरा साफ किया जा सकता है साफ जगह निकाली जा सकती है पर इसीलिये झाड़ू बैठने के लिये उपयुक्त आसन नहीं हो जाता। सफाई काँके उसे भी अलग कर देना पड़ता है। पूँजीवाद के द्वारा जब विपमता का कचरा फैल जाता है तब साम्यवाद की झाड़ू से सफाई की जा सकती है पर बाद में वह साम्यवाद भी हट जाता है।

कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है जहाँ झाड़ू काम नहीं करती या उसकी जरूरत नहीं मालूम होती वहाँ दूसरी तरह के साधनों का उपयोग किया जाता है। भारतवर्ष की परिस्थिति अभी ऐसी ही है—यहाँ का इलाज निरतिवाद से ही हो सकता है।

पूँजीवाद पापरूप

साम्यवाद अव्यावहारिक हो करके भी निष्पाप है जब कि पूँजीवाद व्यावहारिक होकर भी पाप है। पूँजीवाद का अन्त्याचार यह है कि उसमें सेवाके बदले में धन नहीं मिलता बल्कि धनीको मुफ्त में धन मिलता है। इस प्रकार बिना किसी सेवा के धनियों का वन बढ़ता जाता है और सेवा करने पर भी निर्धनो की निर्धनता बढ़ती जाती है। इस प्रकार एक तरफ आवश्यकता से अधिक धन और दूसरी तरफ किसी तरह पेट भरने के लिये भी मुहताजी, ऐसी असह्य विपमता पैदा हो जाती है।

जिस समय मनुष्य वन्य—जीवन से निकल कर सामाजिक जीवन में आया उसने भौतिक विज्ञान का पाठ पढ़ा समाज रचना की व्यवस्था बनाई सुव्यवस्था के लिये कार्य का विभाग किया निश्चिन्तता के लिये कुछ बचाना और रक्षित रखना सीखा तभी से समाज में धन संग्रह और आर्थिक विपमता आई। मनुष्यों में स्वाभाविक विपमता होने से आर्थिक विपमता स्वाभाविक थी पर इस का मूलरूप संग्रह नहीं भोग था। जो अधिक बुद्धिमान और अधिक श्रमी थे वे अपने कीमती और अधिक कार्य का अधिक मूल्य माँगे यह स्वाभाविक था। समाज दो तरह से उसका मूल्य चुका सकता था। एक तो यह कि उसने जितना अधिक और कीमती काम किया है उसके अनुसार उसकी अधिक सेवा की जाय और भोगोपभोग की कीमती सामग्री दी जाय। जैसे उसको स्वादिष्ट भोजन मिले, रहने के लिये अच्छा स्थान मिले, कोई पगचपी करदे मालिश करदे इत्यादि। दूसरा यह कि उससे दूसरे दिन काम न लिया जाय और पहिले दिन की सेवाके बदले में ही उसे दूसरे दिन भी भोगोपभोग की सामग्री दी जाय। इन दो आचारों पर ही विनिमय या लेनदेन चलने लगा। किसी तरह किसीने अपनी एक दिन की सेवा को चार दिनके जीवन निर्वाह के योग्य समझा किसीने आठ दिनके। इस प्रकार वे लोग सामग्री का संग्रह करने लगे। अगर यह संग्रह जीवन भरके लिये होता तब तो ठीक था। जीवन के अन्त तक या तो वह सारी सामग्री भोग डालता या दान में दे देता दोनों ही दृष्टि से समाज का लाभ था। क्योंकि अगर भोगता तो वह सारा अन्न खा तो नहीं सकता था। वह तो उसको देकर किसी से मालिश

कराता किसी से पैर दबवाना, हवा कराता इस प्रकार सेवा लेकर वह सम्पत्ति समाज को दे देता। अगर दान करता तो भी दे देता। इस प्रकार उसकी विशेष सेवा का बदला भी मिल जाता और समाज की भी हानि न होती उसकी संपत्ति सब जगह बटकर सबको जीवित और सुखी रखती।

परन्तु सम्पत्ति का यह अधिकार जीवन पर्यन्त के लिये ही न रह सका वह वंश परम्परा के लिये पहुँचा। मैंने जो सेवा करके सम्पत्ति जोड़ी उसका मुझे अपने जीवन में ही दान या भोग कर लेना चाहिये था पर जब मैंने वह सम्पत्ति अपने बेटेको देदी तब समाज को बक्का लगा। समाज ने तो वह सम्पत्ति या जीवन-सामग्री तुम्हें तुम्हारी सेवा को प्रमाणित करने के लिये एक प्रमाण पत्र के रूप में दी थी। समाज को आशा थी कि तुम अपनी सेवाके बदले में प्रतिसेवा लेकर वह सम्पत्ति वापिस कर दोगे। पर तुमने विश्वासघात करके वह सम्पत्ति वापिस न करके अपने बेटे को दे दी। और समाज को उतने अंश में दुखी होना पड़ा। यही है संग्रह-कर्ता की पापता।

कहा जा सकता है कि उस समयमें जब कि धन अनाज आदि जीवन सामग्री के रूप में रहता था संग्रह करना अवश्य पाप था। परन्तु रुपये पैसे के रूप में वन संग्रह में क्या पाप है क्योंकि यह जीवन-सामग्री नहीं है।

परन्तु रुपये पैसे का संग्रह करना और जीवन सामग्री का संग्रह करना एक ही बात है। क्योंकि जीवन सामग्री को रखने और उसे प्राप्त करने का उपाय रुपया पैसा ही है। रुपया पैसा रोक लेने से जीवन सामग्री आपसे ही रुक जाती है। इसलिये रुपये पैसे के बहाने से परिग्रह क्षम्य नहीं हो सकता।

इस प्रकार लोगोंने अनिर्दिष्ट काल के लिये जीवन सामग्री रोक कर जहा विश्वासघात किया वहा समाज के व्यक्तियों के संकट का दुरुपयोग करके एक और अनर्थ किया। सम्पत्ति एक तरफ रुक जाने से दूसरे लोगो का जीवन—निर्वाह कठिन हो गया। उनने यह सोचकर कि आज कही से लेकर काम चलाओ कल फिर किसी तरह उपार्जन करके देदेगे। इस विचार से वे लोग धनियो के पास उधार मँगने आये। पर धनियोने कहा कि ले जाओ पर हम दसके बदले ग्यारह लगे। यह शर्न मजूर हो तो हम देते है नही तो हमे क्या गर्ज पडी कि हम तुमको उधार दे। इस प्रकार धन-संग्रह करके विश्वासघात किया था सो तो किया ही था अब दूसरा पाप यह होने लगा कि बिना सेवा दिये ही धन प्राप्त करना शुरू कर दिया गया। व्याज खाना इसीसे पाप है। आज हम गेयर लेकर, अपनी चीज भाडे देकर, तथा अन्य उपायो मे जो बिना परिश्रम के धन पैदा करते है वह सब व्याज है मुफ्तखोरी है, दूसरो की गरीबी बढाने वाला है दूसरे के संकट का दुरुपयोग करने से निर्दयता है। इन कारणो से पाप है। प्राय सभी धर्मो मे परिग्रह को जो पाप कहा गया है इसका यही कारण है। इसी का नाम पूँजीवाद है। अर्थात् अनिर्दिष्ट काल के लिये या वंशादिपरम्परा के लिये पूँजी पर अधिकार रखना और किसी न किसी तरह व्याज खाना यही पूँजीवाद है। इसके सहारे से और भी बहुत से अनर्थ तथा बेईमानियाँ पैदा होती है। अपनी साधारण व्यवस्था शक्ति को बहुमूल्य बताना, मनमाना पारिश्रमिक लेना ये सब पूँजीवाद के साथ रहने वाले अनर्थ है। इस पूँजीवाद ने ही जहा इनेगिने

कुवेर पैदा किये है वहा करोडो भिखमगे और कगाल पैदा किये है। नव्वे फीसदी मनुष्य आज पूँजीवाद के चक्रमे पिसकर मनुष्यता खोकर पशु-जीवन बिना रहे है। इसलिये आवश्यक है कि समाज की शान्ति सुख के लिये मौलिक नियमो के पालन के लिये सबके साथ न्याय करने के लिये पूँजीवाद दूर कर दिया जाय।

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक दल दूसरे दल पर, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर जो दूट रहा है उसे ठिकार बना रहा है उसका कारण यह पूँजीवाद है। पूँजीपति इतना बुरा नही है जितना कि पूँजीवादी बुरा है।

पूँजीपति वह मनुष्य है जो पूँजी रखता है। पर पूँजीवादी वह है जो सम्पत्तिको सदा के लिये रखना चाहता है और पूँजी के बलपर उसे बढाना चाहता है।

मानव-जीवन मे संग्रह की आवश्यकता तो है ही। प्रतिदिन कमाना और प्रतिदिन खर्च कर डालने की व्यवस्था किसी को भी सुखकर या सुविधा-जनक नही हो सकती। एकाध को हो भी जाय तो बात दूसरी है पर साथ ही उसे दूसरो का ज्ञात या अज्ञात भरोसा रखना पडता है। जनता इसका पालन नही कर सकती। इसलिये संग्रह अनिवार्य है। पर संग्रह से संग्रह को न बढाया जाय, वह अनिर्दिष्ट काल के लिये न किया जाय, यथा-सम्भव संग्रह की मात्रा कम हो, अधिक हो जाने पर दाखले लगा दिया जाय इन सब परिस्थितियो मे मनुष्य पूँजीपति तो हो सकेगा पर पूँजीवादी न हो सकेगा। किन किन परिस्थितियो मे किस तरह मनुष्य धन का संग्रह करते हुए भी पूँजीवादी न कहला सके इसके लिये कुछ दिशासूचक नियम दे देना उपयोगी होगा।

१—अगर इस आग्य से सम्पत्ति का सग्रह करता है कि भविष्यमे अपना जीवन—निर्वाह करते हुए बिना किसी बदले के समाज—सेवा करूँगा। समाज पर अपने जीवन—निर्वाह का बोझ कम से कम डालूँगा या न डालूँगा। सग्रह की हुई सम्पत्ति समाजके काम मे लगा दूँगा और मरने के बाद समाज को दे जाऊँगा।

२—सन्तानके शिक्षण और नाबालिग अवस्था मे उसके पोषण के लिये जितनी सम्पत्ति आवश्यक है उतनी सम्पत्ति उत्तराधिकारियों को छोड़ कर बाकी सम्पत्ति दान कर जाऊँगा और जीवन मे भी समय समय पर दान करता रहूँगा।

३—पूर्वजो से उत्तराधिकारित्व मे पर्याप्त धन मिला है इसलिये धन रखता है। धन बढ़ाता नहीं है। जितना धन बढ़ाता है उतना दान मे और उचित भोग मे खर्च कर देता है। और मूल धन भी दान मे लगाता रहता है।

४—मूलधन खर्च नहीं करता किन्तु आम-दनी सब खर्च डालता है।

इन चारो श्रेणियों के पूँजीपतियों के लिये यह आवश्यक है कि उनका पैसा कमाने का ढग गैर कानूनी न हो। न कानून का दुरुपयोग किया गया हो। जूआ सट्टा आदि का भी सबध न हो। इस प्रकार के पूँजीपति या धनवान पूँजी-वादी नहीं कहे जायेंगे। निरतिवाद ऐसे पूँजी-पतियों का विरोध नहीं करता। खासकर पहिली और दूसरी श्रेणी का। तीसरी और चौथी श्रेणी को भी वह सह सकता है।

जिस प्रकार पूँजीपति होकर भी पूँजीवादी होना आवश्यक नहीं है उसी प्रकार पूँजीवादी होकर भी पूँजीपति होना आवश्यक नहीं है। गरीब होकर के भी मनुष्य पूँजीवादी हो सकता

है। पूँजीपति सौ मे दो चार ही हो पर पूँजीवादी सौ मे निग्यनवे होते है या हो सकते है।

एक मजूर चार छ. आने रोज कमाता है इससे उसकी अच्छी तरह गुजर नहीं होती पर चार पैसे सट्टेके ढाव पर लगाता है तो वह पूँजीपति न होकर के भी पूँजीवादी है। एक मजूर अपने पड़ोसी को एक रुपया देता है और महीने के अत मे एक रुपये का व्याज भी लेता है तो वह पूँजी-वादी है। गरीब होने से हमे यह न समझना चाहिये कि यह पूँजीवादी नहीं है या असयमी नहीं है। गरीब हो या अमीर सभी किमी न किसी मार्ग से धन पैदा करना चाहते है, न्याय और अन्याय की किसी को परवाह नहीं है (इनेगिने महात्माओ को छोड़कर) अगर परवाह है तो सिर्फ इतनी कि कानून के पजे मे न फँस जायें। भिख-मगा भी चाहता है और करोड पति भी चाहता है कि सारी सम्पत्ति मेरे घर मे आजाय और वह किसी भी तरह आ जाय। ऐसी हालत मे सभी पूँजीवादी है। और पूँजीवाद जब पाप है तब वे पापी भी है।

जिनके पास पूँजी है वे पापी है और जिनके पास पूँजी नहीं है वे धर्मात्मा है ऐसा समझने की भूल कदापि नहीं करना चाहिये। यह तो भाग्य की—अकस्मात् की बात समझना चाहिये कि किसी के पास धन है और किसी के पास नहीं है। जिनके पास धन है न तो वे सयमी है जिनके पास धन नहीं है न वे सयमी है। इस-लिये धनवान और गरीब सब पर एकसी दृष्टि रखना चाहिये। धनवानो को विशेष पापी समझने का कोई कारण नहीं है। विशेष पापी धनवानो मे भी है और गरीबो मे भी है और अनुपात भी उसका बराबर है। निरतिवाद दोनो की परिस्थिति

पर तटस्थता से विचार करता है, वह न तो पूँजी-पतियो को शत्रु समझता है न गरीबों को । हा, पूँजीवाद को वह शत्रु समझता है जो कि अमीर और गरीब सब में समायो हुआ है इमको नष्ट करने का वह सन्देश देता है ।

पूँजीवाद से जो हानियाँ हैं उसका दिशा-मूचन करने के लिये कुछ हानियों की तरफ संकेत किया जाता है ।

१—एक तरफ धन इतना इकट्ठा हो जाता है कि लाखों आदमियों को उसके बिना भूखो मरना पड़ता है ।

२—सम्पत्ति के बढ़ले में जन समाज को सेवा नहीं मिलती । समाज की सम्पत्ति मुफ्त में ही बहुत से लोग मार ले जाते हैं ।

३—जहाँ धन इकट्ठा हो जाता है वहाँ अनु-त्तरदायित्व, ऐयाजी (वेश्या—सेवन मद्यपानादि) आलस्य, निर्बलता, घमंड आदि दुर्गुण पैदा हो जाते हैं और उसके प्रभाव से और भी बहुत से मनुष्यों का पतन होता है बहुत से मनुष्य उनके दुर्गुणी कार्यों के भी शिकार बन जाते हैं ।

४—पूँजी से धन पैदा करने के लिये बहुत से साहूकार लोग भोले प्राणियों को ऋण देकर फँसाते हैं और इस प्रणाली से सैकड़ों घर तबाह हो जाते हैं ।

५—दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण भी पूँजीवाद का फल है । जब लोगों को अपने देश में पूँजी फँसाने के लिये जगह नहीं रहती या उससे सन्तोषप्रद लूट नहीं हो पाती तब दूसरे देशों पर जाल फैलाया जाता है । उन पर आक्रमण किया जाता है उनकी स्वतन्त्रता छीनी जाती है लाखों आदमियों का कत्ल कर दिया जाता है । अधिकांश

अन्तर्राष्ट्रीय जटिलताएँ पूँजीवाद का ही फल हैं ।

६—पूँजी लगाकर नफा के नाम पर लूट मचाने के लिये अनेक अनावश्यक चीजें तैयार की जाती हैं और उन चीजों को खपाने के लिये जन-समाज का अनेक तरह से पतन किया जाता है अर्थात् उसे मार्ग भ्रष्ट किया जाता है । जैसे पूँजी लगाकर युद्ध की सामग्री तैयार करना और उसे खपाने के लिये दो देशों को या दो जातियों को लडा देना । इसके लिये लोगों में राष्ट्रीयता या जातीयता का ऐसा उन्माद भरना जिससे वे दूसरे देश को शत्रु समझने लगे और लड़ पड़े, राष्ट्र के सूत्रधारों को लॉच रिश्त देकर युद्ध के लिये तैयार करना, अज्ञात रूपमें ऐंसे आक्रमण करा देना जिमसे दो देश आपस में लड़ पड़े इस प्रकार युद्ध सामग्री खप जाय । और भी इसके अनेक प्रकार हैं । मनुष्य को व्यसनी बनाने वाली चीजें तैयार करके मनुष्य का पतन किया जाता है । मानव-जाति की या दूसरे की कुछ भी दगा हो पर पूँजी-वादी अपनी पूँजी फँमाकर उससे आमदनी निकालने की कोशिश करेगा ।

निरतिवाद का रूप

ऊपर बताये हुए साम्यवाद और पूँजीवाद दोनों दो दिशाओं की सीमाएं हैं । एक आसमान की इतनी ऊँची चीज है कि जिसे हम पा नहीं सकते । अगर किसी तरह उछलकर उसे छू भी ले तो वहाँ रह नहीं सकते । हमें गिरना पड़ेगा । पूँजीवाद इतना नीचा है कि वहाँ के अन्धकार गर्मी और गदगी से दम घुटता है । मार्ग बीचमें है । हमें जमीन पर रहना है । न आसमान में न पाताल में । निरतिवाद, पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच का स्थान है ।

निरतिवाद को समझने के लिये ये चार बातें ध्यान में रखना चाहिये ।

१—निरतिवाद, साम्यवादको एक काल्पनिक आदर्श समझता है । पर अव्यवहार्य होने से हानिकारक मानता है ।

२—पूँजीवाद को वह पाप समझता है इस लिये उसे नष्ट या मृतप्राय कर देना चाहता है ।

३—वह पूँजीपतियों को पापी (विशेष पापी) नहीं समझता है परन्तु उनका पूँजीपतित्व बढ़ने न पावे बल्कि घटकर बेकारों या गरीबोंके पोषण में काम आवे ऐसी योजना करना चाहता है ।

४—वह पूँजीपतियों को एकदम कगाल नहीं बनाना चाहता परन्तु उनको झटका न लगे इस प्रकार धीरे धीरे उनके पूँजीपतित्व को सीमित करना चाहता है ।

निरतिवाद के सामाजिक आदि अनेक पहलू हैं, लेकिन ऊपर जो चतुःसूत्री दी गई है वह निरतिवाद के आर्थिक पहलू को ही बताती है । इस आर्थिक पहलू को साफ साफ समझने के लिये उसका भाष्य जरूरी है । अगर किसी राष्ट्र में निरतिवाद का प्रचार हो तो उस राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था कैसी हो, वहाँ के आर्थिक कानून कैसे हो इसका रेखाचित्र यहाँ खींचा जाता है ।

१ — बेकारशाला

(क) सरकार की ओर से प्रत्येक जिले के भीतर कम से कम दो और अधिक से अधिक जितने सम्भव हो, उतने ऐसे केन्द्र हों, जहाँ बेकारों को रहने का प्रबन्ध हो । वहाँ उन्हें साधारण भोजन और साधारण वस्त्र दिये जायें । और इसके बदले में करीब आठ घंटे काम लिया जाय ।

ख—बेकारों को घरसे बेकार-शाला तक आने और जाने का ग्वर्च सरकारकी तरफ से हो ।

ग—बेकारों को शारीरिक श्रम करने के लिये तैयार रहना होगा । सूत काटना, कपड़े बुनना, मिट्टी आदि की चीजें बनाना, फर्नीचर तैयार करना, सड़के बनाना, गिट्टी बिछाना, खेती करना वगीचा करना आदि हर काम के लिये तैयार रहना होगा । कठिन काम थोड़े समय तक लिया जायगा । शारीरिक शक्ति तथा अन्य योग्यता का भी विचार किया जायगा । उनको उद्योग वगैरह भी सिखाया जायगा जिससे उन्हें बाहर काम मिलने में सुर्माता हो ।

घ—सरकार की यह दृष्टि न रहेगी कि बेकारों के कार्य का बाजार मूल्य क्या है । कार्य का मूल्य कुछ भी हो पर बेकारों को भरोपेट रोटी और कपड़े का प्रवचन करना सरकार का उद्देश्य होना चाहिये । सरकार के पास कुछ काम न हो तो भी कुछ न कुछ काम लेना चाहिये । कहावत है कि—

खाली न बैठ कुछ न कुछ किया कर ।

कुछ न हो तो पैजामा उधेड़ कर रिया कर ॥

यह कहावत बेकारों के विषय में भी लागू रहना चाहिये । जैसे कुछ न हो तो जंगल के पत्ते बीन लाओ और लाकर जला दो । यह तो एक उदाहरण है असली बात यह है कि बेकारों से कुछ न कुछ काम अवश्य लिया जाय ।

ङ—साठ वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़ों से बेकार शाला में काम न लिया जाय । या उनसे सिर्फ देखरेख का काम लिया जाय । परिश्रम लिया जाय तो इतना ही जितना कि उनके स्वास्थ्य के संभालने के लिये जरूरी हो ।

च—बेकार शाला का अधिकारी बेकारों को काम ढूँढ़ने का प्रयत्न करता रहे । जिन को जरूरत हो वे भी बेकार-शाला से स्थायी अस्थायी

रूप में कर्मचारी प्राप्त कर सके ।

छ—आये हुए कार्य को स्वीकार करना या न करना बेकार की इच्छा पर निर्भर रहे ।

प्रश्न—ऐसा होगा तो बहुत से बेकार जिन्दगी भर बेकार शाला से जाना न चाहेंगे । सरकार के ऊपर बोझ बने हुए वहीं पड़े रहेंगे ।

उत्तर—ऐसा न होगा । क्योंकि बेकार शाला में भी उसे काम तो करना पड़ता है । और जो चाहे काम करना पड़ता है । साथ ही बेकार शाला का जीवन इतना वैभवशाली न होगा कि वह बाहर की स्वतन्त्र जीविका के आनन्द को भुला सके ।

ज—बेकार अगर अपने घर पर रहकर ही भरणपोषण चाहे तो सरकार कुछ काम का ठेका देकर उस कुटुम्ब के पोषण के लिये साधारण प्रबन्ध करे । जैसे कम से कम इतने नवर का सूत इतने गज कातकर लाओ या और ऐसा ही कोई काम दे ।

शका—[१] बेकार शाला न बनाकर घर पर ही सबको काम दिया जाय और भरणपोषण दिया जाय तो कैसा ?

समाधान—अच्छा है और यथासम्भव यही करना चाहिये । पर हर हालत में यह सम्भव नहीं है । किसी बेकार के पास कदाचित् घर न हो तो उसे बेकार शाला में ही रखना ठीक होगा । अथवा + सरकार के पास घरमें देने लायक पूरा काम न हो बेकार शाला में ही बहुत से बेकारों को मिलाकर काम कराना हो तो भी बेकार शाला

+ (सरकार का अर्थ है उसी देश के जन मत से बनी हुई सरकार । निरतिवादके प्रकरणमें सब जगह सरकार का यही मतलब समझना चाहिये ।)

में रखना ठीक होगा । हा, कोई बेकार घर में रह कर बेकार-शाला अथवा सरकार ने जहाँ कार्य के केन्द्र बनाये हो वहाँ जाकर आठ घण्टे या नियत घण्टे तक काम करके घर आ जाना चाहे तो कोई हानि नहीं ।

२ धन संग्रह पर रोक

क—किसी कुटुम्ब के पास एक लाख रुपये से अधिक रुपये हो तो उन अधिक रुपयों का आधा भाग या दो तृतीयांश सरकार में चला जाय । और यह रकम बेकार-शाला के कार्य में लगाई जाय ।

ख—निम्न लिखित चीजें सम्पत्ति में न गिनी जायें पर शर्त यह रहे कि ये चीजें कभी बेची न जायेंगी न किसी को भाड़े पर दी जायेंगी ।

[१] रहने का मकान [२] भोजन सामग्री [३] पहिनने ओढ़ने के कपड़े [४] पढ़ने की पुस्तकें [५] फरनीचर [६] सजावट की चीजें फोटो चित्र-मूर्तियाँ खिलौने आदि । [७] घोड़ा साइकिल, मोटर गाड़ी, तागा आदि [८] भोजन बनाने खाने की सामग्री-वर्तन चौकी आदि । [९] आविष्कार के साधन [१०] इन्द्रियों के विशेष विषय—इत्र, हारमोनियम फोनोग्राफ वीणा आदि वादित्र, इत्यादि ।

। अगर ये चीजें व्यापार के लिये रक्खी जायेंगी तो सम्पत्ति में गिनी जायेंगी ।

॥ सोने चाँदी के आभूषण भी सम्पत्ति में गिने जायेंगे ।

॥ व्यापार के विशेष साधन भी सम्पत्ति में गिने जायेंगे । जैसे फोटोग्राफर का केमरा सम्पत्ति है ।

॥ रुपया पैसा जमीन मकान (निवास के

अनिरिक्त) आदि तो सम्पत्ति है ही ।

उपर्युक्त दस तरह की चीजों के सिवाय लाख रुपये तक की सम्पत्ति एक कुटुम्ब को रखने का अविकार रहे । बाकी सम्पत्ति का आधा या दो तृतीयांश सरकार ले ले ।

शंका (१)—एक लाख रुपये की सीमा बहुत अधिक है । इसके अतिरिक्त दस तरह की चीजों की जो छूट दी गई है उसके बहाने तो और भी कई लाख रुपये की सम्पत्ति हजम की जा सकेगी इसके अतिरिक्त कुटुम्बियों में धन का विभाग करके भी कई लाख की सम्पत्ति लाख के भीतर बताई जा सकेगी ।

समाधान—दुरुपयोग होने पर भी आखिर सीमा रहेगी । और इतना नियंत्रण काफी है । वर्तमान के श्रीमानों का नियंत्रण भी हो जायगा और कुछ बेकार-शालाओं के संचालन के लिये भी सरकार के हाथ में जायगा । आज के बड़े २ श्रीमानों को एकदम छूट लेना एक तरह का अन्याय है । उत्तराधिकारित्व के समय उनकी सम्पत्ति को इस तरह धीरे धीरे कम करने से उन्हें भी न खटकेगा और बेकारी हटाने के लिये भी धन मिल जायगा ।

भोगोपभोग के साधनों के रूप में अगर कोई लाखों की सम्पत्ति रख भी ले तो भी जनता की विशेष हानि नहीं है । बल्कि वह सम्पत्ति भोगो-पभोग के साधनों को खरीदने में लगायगा इसलिये उन साधनों को तैयार करने वाले लोगों को काम मिलेगा इस प्रकार बेकारी दूर करने में सहायता मिलेगी । भोगोपभोग के साधनों में जीवन की आवश्यक सामग्री कोई अधिक नहीं रख सकता । अन्नका संग्रह तो अधिक करके कोई क्या करेगा क्योंकि अन्न बहुत अधिक तो खाया नहीं जा

सकता । विक्रय करने के आग्रह से बहुत अधिक रखेगा तो वह सम्पत्ति में गिन लिया जायगा । सजावट की चीजें या और भी ऐसी वस्तुओं का अधिक संग्रह करे तो इससे शिल्पकार आदि को काम मिलेगा । बेकारी यों ही दूर हो जायगी ।

कुटुम्बियों में धन का विभाग कर भी लिया जाय तो भी अच्छा है । कम से कम इससे बहुत व्यक्तियों के पास तो सम्पत्ति पहुँचेगी । इस दृष्टि से सम्पत्ति का जितना विभाजन हो उतना ही अच्छा है ।

शंका—[२] सरकार को देने के लिये अधिक सम्पत्ति कोई अपने पास रखेगा क्यों ? वह दान कर देगा रिश्तेदारों और मित्रों में वितरण कर देगा ।

समाधान—दान कर दे तो अच्छा है ही । इससे वह धन समाज में फैलेगा ही । अगर रिश्तेदारों में वितरण कर देगा तो भी सम्पत्ति का विभाजन होगा । और धीरे धीरे वह सम्पत्ति समाज में फैल जायगी ।

शंका [३]—जो चीजें भोगोपभोग की सामग्री समझ कर सम्पत्ति नहीं ठहराई गई है अगर कदाचित् उन्हें बेचना पड़े—जीवन निर्वाह के लिये ही उनका बेचना आवश्यक हो जाय तो वह क्या करे ?

समाधान—ऐसी परिस्थिति में वह सरकार की अनुमति लेकर बेच सकेगा । पर इस हालत में उसकी सम्पत्ति एक लाख रुपये से अधिक न होना चाहिये ।

शंका [४]—रुपया तो भारत का सिक्का है । भारत की आर्थिक दशा के अनुरूप यह मर्यादा उचित कही जा सकती है पर दूसरे देशों के लिये न तो यह मर्यादा ठीक हो सकती है और न वहाँ रुपये का चलन ही है ।

समाधान—रुपया तो एक उपलक्षण मात्र है। इसीके अनुरूप दूसरे देशों को अपने सिक्के में सम्पत्ति की मर्यादा निश्चित कर लेना चाहिये। भारत में भी परिस्थिति के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक या कम मर्यादा स्थिर की जा सकेगी। ग्वासकर अगर बेकारी की समस्या हल न हो तो एक लाख रुपये की मर्यादा घटाकर पचास हजार की जा सकती है। और उत्तराधिकारित्व के समय ही नहीं किन्तु जीवन में ही अधिक सम्पत्ति का आधा या दो तृतीयांश बेकार शाला फड में लिया जा सकता है।

शंका [५] क्या श्रीमानों की तरफ से मिले हुए इसी वन से बेकार-शालाओं का काम चलाया जायगा?

समाधान—यह मुख्य द्वार होगा। साथ ही बेकार शालाओं को चलाने के लिये सरकार दूसरी आमदनी में से भी ग्वर्च करेगी। बेकार शालाओं को चलाने की सरकार पर पूरी जिम्मेदारी रहेगी। श्रीमानों की सम्पत्ति में से भाग नहीं मिला यह वहाना बेकारशालाओं के सञ्चालन में बाधक न बनेगा।

शंका —[६] अगर पूँजीवाद मिट जाय और बेकार-शालाओं में कोई आदमी न रहे तब भी क्या धन सग्रह पर रोक रहेगी?

समाधान—अवश्य। बेकार-शालाओं को अगर उस वन की आवश्यकता न होगी तो सरकार उस वन को प्रजा-हित के दूसरे कामों में खर्च करेगी।

ग—आय कर [इनकम टैक्स] निम्न लिखित दर के अनुसार देना पड़ेगा।

१- कुटुम्ब के प्रत्येक व्यक्ति पर पन्द्रह रुपया मासिक [बड़े गहरो में बीस रुपया] तक की

आमदनी पर कर न लगेगा। सरकारी मकान का भाड़ा देना पड़ता होगा तो वह भी करसे मुक्त रहेगा। इससे अधिक आमदनी का चतुर्थांश करके रूपमें देना होगा।

जैसे किसी कुटुम्ब में पाँच व्यक्ति हैं और १०) मासिक मकान भाड़ा देना पड़ता है और आमदनी १००) मासिक हैं तो $१५ \times ५ = ७५) + १०) = ८५)$ इस ८५) मासिक पर कुछ टेक्स न रहेगा बाकी १५) रुपये में से चतुर्थांश ३।।।) कर देना पड़ेगा। अगर छ आदमी कुटुम्ब में हो जाँय तो कुछ भी न देना पड़ेगा। अगर चार रह जाँय तो ७।।) रु मासिक देना पड़ेगा। इस प्रकार कुटुम्ब में आदमी बढ़ने पर फी आदमी ३।।।) रु. कर घटेगा और आदमी घटने पर फी आदमी ३।।।) रु कर बढ़ेगा।

घ—प्रत्येक आदमी को कुटुम्ब का मुखिया होते समय इस बात का विवरण देना होगा कि उसके पास इस समय कितनी सम्पत्ति है।

ङ—किमी भी मनुष्य से यह पूछा जा सकता है कि तुमको वालिग होते समय या उत्तराधिकारी होते समय इतनी सम्पत्ति मिली थी पर आज इतनी अधिक क्यों है? सम्पत्ति के बढ़ने का यदि सन्तोष-जनक कारण न मिलेगा तो वह अपराध समझा जावेगा। इससे जितनी सम्पत्ति के विषय में सन्तोष-जनक उत्तर न मिलेगा उतनी सम्पत्ति छीनी जा सकेगी और कुछ जुर्माना भी किया जा सकेगा।

३ व्याज हराम

क—कोई भी व्यक्ति व्याज के ऊपर साहुकारी न कर सके, सुरक्षण के लिये सरकारी बेको में वह रुपया जमाकर सके पर उसे व्याज न मिले। आवश्यकता होने पर वह सरकार के मार्फत दूसरों

को रुपया दे सके पर उसका भी व्याज न मिल सके।

ख—करीब दस रुपये तक का देन लेन सरकार की मार्फत के बिना ही हो सकेगा। अधिक का भी हो सकेगा पर वह सरकार में न माना जायगा। जैसे किसी के पास दो लाख की सम्पत्ति है। सरकार नियम न. २ [क] के अनुसार एक लाख की सम्पत्ति से अधिक का आधा भाग ले लेना चाहे और उसपर यह कहा जाय कि दो लाख में एक लाख तो हमें अमुक आदमी का देना है तो सरकार इसे बहाना ही समझेगी। अगर वह एक लाख रुपया सरकार के मार्फत लिया होगा तो सरकार मान्य करेगी।

सरकार की मार्फत लेन देन से एक फायदा तो यह होगा कि लोग सम्पत्ति छिपाने के लिये ऐसा झूठा बहाना न बनायेंगे। दूसरा लाभ यह होगा कि दीवानी झगड़े प्रायः निःशेष हो जाँयेंगे। झूठे स्टाप झूठे गवाह आदि के झगड़ों से लोग बच जाँयेंगे।

इस समय बेक के द्वारा जैसा लेन देन होता है उसी तरह की व्यवस्था तब भी बना दी जायगी साथ ही यह शर्त भी रहेगी कि देने वाले और लेने वाले बेक पर हाजिर रहे। कुछ अपवादों की बात दूसरी है।

शंका (६) इस प्रकार अगर व्याज लेना बिल्कुल बन्द होजायगा तब कोई किसी को रुपया उधार क्यों देगा ? सभी लोग अपना रुपया बेक में या घर में रखेंगे। पर जीवन में उधार लेने की आवश्यकता तो सभी को होती है उनकी असुविधा बढ़ जायगी। और उधार के बिना कभी कभी भूखो मरने की नौबत आ जायगी।

समाधान—आज उधार लेने की जितनी जरूरत पड़ती है उतनी उस समय न पड़ेगी। भूखो मरने की नौबत तो इसलिये न आयगी कि

बेकार शालाओं के द्वारा खाना मिल जायगा। विवाह आदि विशेष अवसरों पर उधार लेने की जरूरत पड़ती है पर यह मूर्खता बन्द होना चाहिये। उधार लेकर उत्सव मनाना ऐसा अपराध है जो कानून की मारसे भले ही बच जाता हो पर उत्तरदायित्व और विवेकी दृष्टि से जो अत्यन्त निन्दनीय है। विवाह के खर्च के लिये अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो पाच पड़ोसियों के सामने दोनों का विवाह घोषित कर दो सरकार में इस की सूचना दे दो। बस, खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। उधार न मिलने से बहुत से मूर्खतापूर्ण अनावश्यक खर्च आप ही बन्द हो जाँयेंगे। लोगों को यह बड़ा लाभ होगा।

ग—यह हो सकता है कि किसी को व्यापार के लिये पूँजी की आवश्यकता हो और पूँजी देने के लिये कोई भी पड़ोसी या परिचित अपरिचित बन्धु उधार न देता हो तो ऐसी हालत में सरकारी बेक से रुपया उधार मिल सकेगा। इसके लिये उसे अपनी आवश्यकता योग्यता और कार्य प्रणाली बताना पड़ेगी। ऋण चुकाना अनिवार्य होगा। नहीं तो दफा नं. ४ के अनुसार उसे दंडित होना पड़ेगा। साधारणतः यह ऋण १००० रुपये से अधिक न होगा।

घ—जो आदमी इस प्रकार सरकारी बेक से रुपया उधार लेगा उसे सौ रुपये पर महीने में दो आने व्याज देना होगा। इस प्रकार सिर्फ सरकारी बेक ही व्याज ले सकेंगे सो भी इतनी मात्रा में। और किसी को व्याज लेने का अधिकार न होगा। न खानगी बेक खुल सकेंगे। सरकारी बेकोंको जो व्याज से आमदनी होगी वह बेक के संचालन में खर्च होगी। फिर भी अगर कुछ बचत रही तो बेकार शालाओं के पोषण में

जायगी । इस प्रकार इस व्याज से जनता का ही भला होगा । इसलिये यह हराम न समझा जायगा ।

६—वृद्ध आदमियों को कुछ शर्तोंपर विशेष व्याज मिल सकेगा । जिमसे वे सन्तोष से जीवन बिता सकें । गर्ते ये रहे ।

[१] मूल वन सदाके लिये सरकार मे जप्त हो जायगा ।

[२] ४५ वर्ष के वृद्ध को प्रतिमास आठ आना सैकड़ा, ५० वर्ष के वृद्ध को नव आना सैकड़ा ५५ वर्ष के वृद्ध को दस आने सैकड़ा, ६० वर्ष के वृद्ध को ग्यारह आना सैकड़ा और ६५ वर्ष के वृद्ध को बारह आना सैकड़ा, ७० या इससे अधिक उम्रके वृद्ध को चौदह आना सैकड़ा उसके जीवन के अन्त तक मिलता रहेगा । उससे मरने के बाद उसकी मौजूदा [रुपये जमा कराते समय की] सन्तान को तब तक यह रकम मिलती रहेगी जब तक सन्तान नाबालिग और अविवाहित है । विवाहित होने पर या बालिग होने पर [१८ वर्ष का होने पर] उस का हिस्सा मिलना बन्द हो जायगा ।

जैसे किसीने ४५ वर्ष की उम्र मे ४००० रु जमा किये । २०) महीना व्याज मिलने लगा । दस वर्ष बाद वह मर गया । उसके चार सन्तान है । १२ वर्ष का पहिला लड़का, १० वर्ष की लड़की, ८ वर्ष का दूसरा लड़का, ४ वर्ष की लड़की । तो उन मासिक बीस रुपये के चार हिस्से किये जायेंगे और चारों को पाच पाच रुपया महीना दिया जायगा । बड़े लड़के को छ वर्ष बाद जब कि वह १८ वर्ष का हो जायगा उस का हिस्सा ५) महीना मिलना बढ होगा । लड़की अगर १८ वर्षकी उम्र तक कुमारी रही तो उसे तबतक ५) महीना मिलेगा । अगर १५ वर्षकी

उम्र मे शादी हो गई तो उसका महीना उसी समय बढ हो जायगा । इसी प्रकार दूसरा लड़का और दूसरी लड़की भी बालिग होने तक व्याज पाती जायगी । मूलवन सदाके लिये सरकारी हो जायगा ।

३ —यह व्याज किसी भी हालत मे बढ न होगा । किसी अपराध मे जुर्माना होने पर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध इस व्याज मे से जुर्माना वसूल न किया जायगा । अगर वह जेल जाय तो उसकी पत्नी या सन्तान को वह व्याज मिलता रहेगा । अगर पत्नी या सन्तान न होगी तो और किसी सम्बन्धी को न मिलेगा उसीके नाम से जमा होता रहेगा और जेल से निकलने पर उसे मिल जायगा ।

४ —इस प्रकार के पेन्शन-व्याज लेने वाले वृद्ध को चाहिये कि वह किसी का ऋण अपने ऊपर न रखे । अगर ऋण निकलेगा तो उसका पेन्शन व्याज ऋण चुकाने मे लगा दिया जायगा । अगर पेन्शन-व्याज से शीघ्र न चुकेगा तो आज तक दिये गये पेन्शन-व्याज को काटने पर जितना मूलधन बचेगा उसमे से वह ऋण चुका दिया जायगा । और ऋण छिपाने के अपराध मे मूलधन का एक चतुर्थांश तक और कम कर लिया जायगा । बान्नी मूलधन समझा जायगा । जैसे किसी ने २०००) जमा किया । पाच साल मे उसने ६००) रुपये व्याज मे ले लिये । बाद मे किसी का ४००) ऋण निकल आया । तो २०००) मे से व्याज के ६००) निकालने पर जो १४००) बचे उसमे से ४००) का ऋण चुकाया जायगा । फिर जो १०००) बचे उस मे से २५०) ऋण छिपाने का ढड समझ कर ७५०) मूलधन के रूप मे बचेमे जमा रहेगे ।

और सिर्फ ७५० का व्याज ही उसे मिलेगा ।

[५] अगर पति पत्नी में से कोई भी पैतालीस वर्ष से कम उम्रका न हो तो दोनों के नाम से वेक में रुपया जमा होगा । दोनों में से जो अन्त तक जीवित बचेगा उसी को वह पेन्शन-व्याज मिलता रहेगा । पर दोनों में से जिसकी उम्र कम होगी उसी के अनुसार व्याज की दर निश्चित की जायगी । अगर पति पचास वर्षका है और पत्नी पैतालीस की तो व्याज की दर ४५ वर्ष के अनुसार आठ आना रहेगी । पचास के अनुसार नव आना नहीं ।

दोनों के मरने के बाद वह व्याज नाबालिग सन्तान को मिलेगा ।

दोनों में से कोई एक मर जाय और दूसरा गादी करले तो उसको व्याज मिलना बन्द हो जायगा । वह पहिले दम्पति की नाबालिग सन्तान को मिलने लगेगा । सन्तान न होगी तो किसी को न मिलेगा ।

४ ऋण चुकाना अनिवार्य

क-जो ऋण लिया है वह ईमानदारी से पाई पाई चुकाना मनुष्य मात्र का नैतिक कर्तव्य है । ऋण न चुकाना एक प्रकार की चोरी है और ऋण अस्वीकार करना तो डकैती है । इसलिये प्रत्येक व्यक्तिको ऋण चुकाना अनिवार्य होगा ।

यह कहना कि ऋण देनेवाले के पाम आवश्यकता से अधिक धन होगा इसीलिये उसने ऋण दिया । वह अधिक धन अगर किसी ने खा लिया तो क्या अन्याय है, ठीक नहीं । आवश्यकता से अधिक धन तो बहुतों के पास होगा परन्तु जिसने तुम्हारी ही इच्छा के अनुसार तुम्हारे लिये मौके पर सहयोग दिया उसे ही तुम धोखा

दो विश्वासघात करके हजम कर जाओ और जिसने तुमको विश्वासपात्र नहीं समझा या तुम्हारी आवश्यकता का मूल्य नहीं समझा वह सुरक्षित रहे यह तुम्हारे जीवन का बड़ा भारी पाप है । अगर सम्पत्ति का विभाजन ही करना है तो नीति और कानून के बलपर करो इस तरह विश्वासघात करके नहीं । निरतिवाद में किसी का ऋण माफ नहीं किया जायगा । हा, ऋण में जितना भाग अयोग्य होगा या सारा ऋण ही अयोग्य होगा तो उतना ऋण नाजायज ठहरा दिया जायगा पर माफ नहीं किया जायगा ।

ख-कोई आदमी अपने को दिवालिया घोषित नहीं कर सकेगा । उसे जीवन भर ऋण चुकाने का यत्न करना पड़ेगा ।

दिवालिया की प्रथा पूँजीवाद और पूँजीपति बढ़ाने में सहायक होती है । एक पूँजीवादी व्यक्ति पूँजीपति बनने के लिये चतुराई के नाम पर बद-माशी करके इधर उधर से लेकर सम्पत्ति इकट्ठी करता है । कुछ दिनों बाद दिवाला निकाल देता है । कुछ सम्पत्ति पत्नी के नाम कुछ नाबालिग बच्चे के नाम कर देता है । कुछ किसी अन्य दग से छिपा जाता है । कुछ दिनों बाद दूसरे नाम से दूकान चलाता है फिर इसी तरह की गडबडी करता है । इस प्रकार एक दो बार दिवाला निकाल कर अच्छा श्रीमन्त बन बैठता है । बहुत से पूँजीपति तो इसी प्रकार बन गये हैं । ऐसे लोग अपने साथी पूँजीपतियों का ही नहीं, किन्तु गरीबों का भी वन हडप जते हैं । कोई गरीब दो दो चार चार रुपये जोड़कर सेठजी के यहाँ जमा कर देता है । सेठजी का कल दिवाला निकलनेवाला है और राततक मोठे खरीदी जा रही है । इस प्रकार धोखा देकर कुछ लोग पूँजीपति बन बैठते

है । इसलिये ठिवालिया किसीको न बनाया जाय ।

ग—जो आदमी अपने को ऋण चुकाने में असमर्थ घोषित करे उसके कुटुम्ब की सब संपत्ति सरकार जप्त करले । फिर वह स्त्री के नाम हो या पुत्र के नाम हो ।

घ—अगर यह मालूम हो कि ऋणी ने कुछ संपत्ति इसलिये सम्बन्धी या मित्रों के नाम कर दी है कि जिससे वेक या साहुकार उसे ऋण में ले न सके तो वह संपत्ति सरकार जप्त तो कर ही लेगी । साथ ही दोनों के लिये यह दंडनीय अपराध समझा जायगा ।

ङ—ऐसे व्यक्ति को अपना मकान जमीन आभूषण आदि ऋण चुकाने में लगा देना होगा । और तबतक उसे ऋणशाला में रहना होगा जबतक वह ऋण न चुक जाये । हा, पत्नी पुत्र आदि के लिये ऋणशाला में जाना अनिवार्य न होगा । अगर ऋण न चुक पाये तो उसे जीवन भर ऋणशाला में रहना होगा ।

च—ऋणशाला बेकार शाला की तरह एक ऐसी शाला होगी जहाँ ऋण चुकाने में असमर्थ लोगों को आकर रहना पड़ेगा । बेकारशाला की तरह उन्हें साधारण खाना मिलेगा और साधारण मजदूरी काना पड़ेगी । अगर उनकी योग्यता अधिक कमाने की होगी तो इस प्रकार की नौकरी करनेकी सरकार इजाजत दे देगी । अथवा जमानत मिलने पर उन्हें व्यापार की सुविधा भी दी जा सकेगी । उनकी आमदनी में से उनके भरण पोषण का खर्च निकाल कर बाकी ऋण चुकाने में लगाया जायगा । ऋण मुक्त होने पर उन्हें ऋणशाला से मुक्त कर दिया जायगा ।

छ—निरतिवादके प्रचारके पहिलेका अगर ऋण होगा तो उसके चुकाने के लिये कुछ

सहूलियत दी जायगी । उसमें आगे के लिये व्याज तो माफ कर ही दिया जायगा साथ ही कुछ समझौते के ढंग से काम लिया जायगा ।

ज—समय की अविकता से ऋण नाजायज न हो सकेगा । समय कितना भी चला जाय ऋण बना ही रहेगा ।

झ—जो आदमी ऋणी की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा उसे वह ऋण भी लेना पड़ेगा । नहीं तो वह संपत्ति उसे न मिलेगी ।

५ कारखाने आदि

क—कपड़े की मिले, कोयले की खदाने, रेलवे, घासलेट, पेट्रोल आदि, मोटर, साइकिल इत्यादि के कारखाने सरकारी हो और सरकारी प्रबन्ध में काम करते हो ।

ख—छोटे छोटे खानगी कारखाने रहे पर उन में कोई शेयर न ले सके । शेयर की प्रथा ही बन्द रहे ।

ग—बीमा कम्पनियाँ और वेक राष्ट्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार के हो । व्यक्ति के या हिस्सेदारों [शेयर-होल्डरों] के वेक और बीमा कम्पनियाँ न हो । क्योंकि पूँजी बढ़ाने की मनई है अगर बीमा का रुपया व्यापार में लगाया जायगा तो व्यापार में घाटा आने पर बीमावालों का रुपया मारा जायगा ।

घ—अनेक व्यक्ति मिलकर एक दूकान खोल सकने हैं—अथवा हलका पतला कारखाना भी निकाल सकते हैं । पर प्रत्येक हिस्सेदार को वहाँ काम करना होगा । सिर्फ पूँजी लगाकर कोई हिस्सेदार न बन सकेगा न व्याज के नाम पर कुछ ले सकेगा । जो आदमी उसमें काम न करता होगा और व्याज के लिये पूँजी लगायगा

तो उसकी पूंजी सरकार में जप्त हो जायगी । व्याज या नफा लेने पर अपराधी समझा जायगा इससे सजा पायगा ।

ड--म्युन्युसपल कमेटियों या डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ट्राम रेलवे, बस आदि खोलने का अधिकार होगा ।

च--जहां तक हो सके बड़े बड़े कारखाने न खोले जायें । कारखानों का रूप ऐसा हो जिन्हें एक कुटुम्ब आराम से चला सके । कपड़े की एक मीलकी अपेक्षा अगर छोटे छोटे कर्घे घर घर में हो या इस प्रकार की मशीनें हो जो घर पर चलाई जा सकती हो और मनुष्य इच्छानुसार उस पर काम करे और काम के अनुसार पैसा पावे तो और अच्छा । घर द्वार छोड़कर हजारों आदमियों का एक जगह काम करने से काम चाहे कुछ सस्ता या सुविधा जनक होता हो पर दूसरी दृष्टि से बड़ी हानि होती है । १--बीच बीच में विश्राम करता हुआ स्वतन्त्रता से काम करने वाला मनुष्य दस घंटे से भी अधिक काम आराम से कर सकता है । मील में आठ घंटा भी भारी मात्तूम होता है । २--मील में स्वास्थ्य खराब हो जाता है । ३--सदाचार नष्ट हो जाता है । ४ पराधीनता बढ़ जाती है ।

इत्यादि बहुत से दोष बड़े बड़े कारखानों में हैं । जिन कार्योंके लिये बड़े कारखाने बनाना अनिवार्य है उनकी बात दूसरी है । वे रहे, पर जो चीजे ऐसे बड़े कारखानों के बिना भी तैयार की जा सकती हैं उनके विषय में नीति विभक्तीकरण की रहे ।

६ ज़मीन और मकान

क--जमीन की मालिकी जहां तक हो सके समानरूप में रखी जाय । आवश्यकता से अधिक जमीन कोई न रखे । जमींदारी प्रथा नष्ट कर

दी जाय । जमीन को भाड़े पर देना आदि सख्त मना रहे ।

ख--एक कुटुम्ब को उतनी ही जमीन मिले जितने में वह अपने हाथ से खेती कर सके । अनाज काटने या देखरेख में वह नौकरो या मजदूरो से सहायता ले सके पर खेती के कार्य में वह स्वयं सहयोगी रहे ।

ग--कुटुम्ब के एक एक व्यक्ति के पीछे कुछ जमीन नियत रहे [उदाहरणार्थ पांच पांच एकड़] जिससे अधिक जमीन कोई न रख सके । अगर कुटुम्बियों की संख्या घट जाय और उसमें जमीन रखने की सीमा का उल्लंघन होता हो तो सरकार वह जमीन दूसरों को-जिनके पास सब से कम जमीन हो-भाड़े से दे दे ।

घ--सरकार जो जमीन किसी को भाड़े पर देगी वह जमीन आवश्यकतानुसार कभी भी ले सकेगी । सरकारी आवश्यकता के दो रूप रहेंगे । १ कोई सरकारी काम हो । २--किसी कम जमीन वाले को या बेजमीन को जमीन देना हो ।

जो जमीन सरकार बेच देगी उसका लगान तो देना पड़ेगा पर वह मौरूसी हांगी । मकान मालिक उसे बेच तो सकेगा, पर तबतक सरकार वह जमीन ले न सकेगी जबतक उसके कुटुम्ब में उतनी जमीन के खेती करने वाले रहे । सरकार जब लेगी तब उसका मूल्य चुका देगी । पर बारह वर्ष तक मूल मालिक को आवश्यकता सिद्ध करने पर सरकार से अपनी जमीन वापिस लेनेका हक होगा ।

ड--बस्ती या म्युन्युसपल के भीतर कोई कुटुम्ब एक एकड़ से अधिक जमीन न रख सकेगा

च--अपने उपयोग के लिये ही मकान रख सकेगा भाड़े पर देने के लिये नहीं ।

छु--भाडे पर देने के लिये मकान और दूकान सरकारी या म्युनिसिपल आदि की होगी । छोटे गाव मे भी गाव की ओर से या सरकार की ओर से ऐसे मकान बनेगे जो भाडे पर दिये जा सकेगे ।

प्रश्न--इससे प्रवासियों का कष्ट बढ जायगा । अगर किसी गाव मे सरकारी मकान न हो, अथवा होकर के भी भरा हुआ हो तो प्रवासी कहा ठहरे ? गाववाले भाडे के लोभ के बिना मकान क्यों देगे ?

उत्तर--मकान जब व्यापार के साधन न रह जाँयेंगे तब लोगो की भावना ही बदल जायगी । आज भाडे के कारण मकानो का मूल्य दूसरे ढग का ही मालूम होता है । पर उस समय मकान आवश्यक होने पर भी पानी की तरह पीने और पिलाने की चीज रह जाँयेंगे । आतिथ्य की भावना बढ जायगी । यो तो आज भी प्रवासियों को थोडा बहुत कष्ट सहना ही पडता है मो तब भी सहना पडेगा । छोटे गावो मे तो आज भी मकान भाडे को लोग बहुत कम जानते है ।

२ प्रश्न--होटलो का क्या होगा ?

उत्तर--होटल तब भी रहेगे । पर इसके लिये सरकारी मकान भाडे से मिलेगे । हा सिर्फ भोजन कराने के लिये अपने मकान का उपयोग किया जा सकता है । पर यात्री को ठहराने और ठहरने का भाडा लेना हो तो सरकारी मकानो मे ही हो सकेगा । यदि ऐसा न किया जायगा तो लोग इसी बहाने पूँजी से व्याज या नफा पैदा करने की कोशिश करेगे ।

३ प्रश्न--भाडे के लिये सरकारी मकान रहने से एक बडी दिक्कत बढ जायगी । वह है पडोस की । सरकारी मकानो मे जाति-पाँति का विचार तो रक्खा नहीं जा सकता । तब पडोस मे एक

मास-भक्षी भी आकर रह सकेगा । इससे शाक-भोजियो को बडा कष्ट होगा ।

उत्तर--सरकारी मकानो मे जातिपाँतिका विचार तो न रहेगा पर मासभोजियो के लिये खास खास इमारते ही रहेगीं । शाक भोजियो के मकान मे मांसभोजी न रह सकेगा ।

४ प्रश्न--जमीन और मकान जिस प्रकार भाडे से न दिये जाँयेंगे उसी प्रकार क्या अन्य चीजो के भाडे पर देने की मनाई होगी ? उदाहरणार्थ-मोटर-गाडी, साइकिल आदि भी भाडे से न दी जासकेगी ?

उत्तर--साइकिल मोटर आदि को भाडे पर देने की मनाई न होगी । जमीन और मकान जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएँ है इनके ऊपर मनुष्य का एकाधिपत्य हो जाना दूसरो को जन्म सिद्ध अधिकार से वञ्चित करना है । साइकिल मोटर आदि मे नहीं ।

प्रश्न--फिर भी पूँजी पैसा कमाने मे सहायक तो हुई ।

उत्तर--सो तो होगी ही । पर उसके साथ परिश्रम आदि भी लगेगा । व्याज की तरह केवल पूँजी पूँजी न बढ़ाये यही आवश्यक है । परिश्रम का साधन बने तो कोई हानि नहीं अथवा अनिवार्य हानि है ।

७ सरकारी मुलाजिम

क--सरकारी काम पर नियुक्त होते समय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी साम्प्रतिक अवस्था बता देनी होगी । इसी प्रकार छोडते समय बतानी होगी ।

ख--रिश्तत लेने की सख्त मनाई रहेगी । साधारणतः रिश्तत देने वाला और रिश्तत लेनेवाला दोनो ही अपराधी समझ जावेगे । पर रिश्तत लेने वाला तो निश्चित ही अपराधी रहेगा । हा, रिश्तत

देने वाला उस हालत में ही अपराधी समझा जावेगा जब रिश्त देकर कोई अनुचित लाभ चाहेगा। भुलाकर ढराकर या उसकी स्वाभाविक सुविधा से वंचित कर अगर रिश्त ली गई होगी तो रिश्त देनेवाला अपराधी न माना जावेगा।

ग-वेतन निम्न लिखित मासिक दरके अनुसार रहेगा।

राष्ट्राध्यक्ष (१०००)

प्रान्ताध्यक्ष (५००) से ७००) तक

राष्ट्रीय धारासभा के मंत्री आदि (५००) से ६००)

प्रान्तीय धारासभा के मंत्री आदि (४५०) से ५००)

हाइकोर्ट जज (४५०) से ६००) तक

कलेक्टर शेरसन जज आदि (२५०) से ३५०) तक

प्रोफेसर सबजज आदि (१००) से २००) ,,

तहसीलदार आदि (७५) से १००) तक

नायब तहसीलदार (५०) से ७५) ,,

पुलिस इन्स्पेक्टर (४०) से ६५) ,,

हॉइस्कूल के मास्टर (४०) से १००)

मिडिल स्कूल के मास्टर (२५) से ३५) तक

प्राथमरी स्कूल (१६) से ३०) तक

यह एक साधारण रूप रेखा है। इससे दृष्टि-कोण मालूम होता है।

घ-सरकारी मुलाजिमों को वेतन के अतिरिक्त निम्न लिखित सुविधाएँ और मिलेगी।

राष्ट्राध्यक्ष-मकान, मकान की सफाई आदि को नौकर, बोडीगार्ड, मोटर आदि सवारी, उसके लिये नौकर तथा पेट्रोल आदि।

प्रान्ताध्यक्ष आदि को कुछ कम मात्रा में। इसी के अनुसार मंत्री आदि का भी विचार किया जायगा।

सबजज आदि को रहने के लिये मकान मुफ्त दिया जायगा।

छ-पेंशन मिलेगी।

८ नारीका अधिकार

क-प्रत्येक विवाह के समय स्त्री-वन नियत किया जायगा। उस पर हर हालत में जीवन भर नारी का अधिकार रहेगा।

ख-उत्तराधिकारित्व में पुत्रों के समान पत्नी का भी एक भाग रहेगा।

ग-माता के स्त्रीवन पर उसकी पुत्रियों का अधिकार होगा। पुत्री न हो या जीवित न हो तो वह पुत्रों का मिलेगा। पुत्री के पति पुत्र आदि को नहीं। माता अगर अपना स्त्रीवन पुत्रियों को न देना चाहे तो नहीं भी दे सकती है। माता की इच्छा मुख्य है।

घ-नारी अगर विशेष अर्थोपार्जन करती हो तो (१५) मासिक आमदनी के अतिरिक्त जितनी आमदनी होगी उस पर उसी का अधिकार होगा। (१५) कुटुम्ब खर्च के लिये कम किये गये हैं।

ङ-पति के अगर कोई सन्तान न हो तो पति की ममस्त सम्पत्ति पर पत्नी का अधिकार होगा। पति के कुटुम्बियों का नहीं।

निरतिवाद का यह साकेतिक रूप है। कुछ बातें तो मैंने यहाँ कुछ स्पष्टता से लिखी हैं जिससे निरतिवाद की व्यावहारिकता को लोग समझ सकें और कुछ साधारण रूप में ही लिख दी है। समय आने पर इनके उपनियम बनाने में देर न लगेगी।

कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैंने यहाँ लिखा नहीं है पर वे आपसे आप समझी जा सकती हैं। जैसे निरतिवादी समाज में सद्दा जूआ आदि बन्द रहेगा, भिक्षा माँगना अपराध समझा जायगा। अमुक योग्य साधुओं को ही आवश्यकतावश इसकी पर्वानगी दी जा सकेगी। लोग सग्रहणील

वनने की अपेक्षा दानशील बने इसके लिये दानियो को विशेष उपाधियो का देना आदि बहुत सी छोटी बड़ी बातें हैं जो देगकाल देखकर प्रचलित की जायेंगी । यहां तो निरतिवाद को समझने के लिये सक्षिप्त रूप-रेखा रखदी है । परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन भी हो सकता है ।

अब और यहां

निरतिवाद का जो रूप यहां बताया गया है वह कोरा आदर्श नहीं है वह एक व्यावहारिक योजना है । पर उस व्यावहारिक योजना को भी अमल में लाने के लिये समय चाहिये । प्रत्येक देश की परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि जो एक-दम निरतिवाद के रूप में बदल जाय । यद्यपि निरतिवाद के प्रचार के लिये पूरी नहीं तो आशिक क्रान्ति की आवश्यकता है फिर भी निरतिवाद इस ढंग से काम करना चाहता है कि लोगो को कम से कम झटका लेंगे ।

मैं भारत की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए कुछ ऐसा कार्य निश्चित करना चाहता हू जो कुछ शीघ्र व्यवहार में लाया जा सके । दूर भविष्य में पूरा निरतिवाद प्रयोग में आ ही जायगा किन्तु उसके बीच का विश्राम-स्थान कैसा हो इसी का यहां वर्णन करना है ।

निरतिवाद की योजना में बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जिन पर आज भी पूरा अमल करना है । परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर समझौते की दृष्टि से कुछ परिवर्तन करना है ।

(१) बेकार-शाला

इस विषय की सभी बातें आज भी व्यवहार में आने लायक हैं ।

(२) धनसंग्रह पर रोक

इस विषय की भी सभी बातें आज व्यवहार में आने योग्य हैं ।

(३) व्याज हराम

क—मूल योजना तक पहुँचने के लिये पंद्रह वर्ष का समय निश्चित किया जाय । पहिले पाच वर्ष तक बेकोसे प्रति वर्ष २) सैकड़ा । इसके आगे पाच वर्ष तक १॥) सैकड़ा । इसके आगे पाच वर्ष ॥॥) सैकड़ा व्याज मिले बादमें व्याज देना बिलकुल बंद हो जाय ।

ख, ग,—मूल योजना की तरह अब और यहां भी व्यवहार में लाये जा सकते हैं ।

घ—इसमें व्याज की दर में परिवर्तन करना होगा । जब बेक पंद्रह वर्ष के तीन भागों में २) १॥) ॥॥) व्याज देंगे तब उन्हें लोगो से कुछ अधिक लेना होगा । इसलिये पहले पाच वर्ष में ३) सैकड़ा प्रतिवर्ष, दूसरे पाच वर्ष में २॥) सैकड़ा तीसरे पाच वर्ष में २) सैकड़ा ।

खानगी बेको को भी व्याज की इसी दर का पालन करना चाहिये । और पाच वर्ष में बेक तोड़ देना चाहिये । बेक की पूँजी गेयर-हॉलडगे में बॉट देना चाहिये ।

ङ—मूल योजना की तरह ।

(४) ऋण चुकाना अनिवार्य

इसके क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, विषय तो मूल योजना की तरह अब और यहां भी रहेंगे । छ के विषय में कुछ स्पष्टीकरण यह है—

पुराना जो ऋण है उस पर तब से अबतक मासिक चार आना सैकड़ा व्याज लगाया जाय और बीचमें अवधि समाप्त होने के डरसे नालिश

वगैरह की हो तो उसका खर्च भी जोड़कर ऋण की जो रकम हो उसमें वह सब रकम कम कर दी जाय जो साहूकार को आज तक मूल या ब्याज के नाम पर मिली है। इस ऋण को चुकाने के लिये पांच वर्ष की मुदत दी जाय। इस मुदत में ब्याज न लगाया जाय। अगर ऋणी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो जल्दी ऋण चुकाने के लिये न्यायालय आज्ञा दे।

(५) कारखाने आदि

इसके सभी विषयों में पुराने कारखानों के लिये निम्न लिखित स्पष्टीकरण है—

१—अभी जो कारखाने या कम्पनियों हैं वे पांच वर्ष में सरकारी हो जायेंगी। उनकी मशीन आदि की जो उस समय कीमत उचित समझी जायगी वह सरकार देगी। पर सरकार एक साथ न देगी। वह दस वर्ष में धीरे धीरे देगी। और उसी क्रम से वह शेयर होल्डरों में बंट जायगी।

२—एक व्यक्ति के नाम अगर एक लाख रुपये से अधिक के शेयर होंगे तो वे अधिक शेयर सरकार जप्त कर लेगी। अर्थात् हिस्सा होते समय उन शेयरों का रुपया सरकार खुद लेलेगी।

३—बीमा कम्पनियों नये बीमा लेना बंद कर देगी। पांच साल तक पुराने बीमों का रुपया लेती रहेगी और चुकाती रहेगी पर शेयर होल्डरों को प्रति वर्ष ३) सैकड़ा से अधिक न बॉट सकेगी। बाद में कम्पनी सरकारी हो जायगी। और वह ऊपर के दो नियमों के अनुसार शेयर-होल्डरों को बदला देगी।

४—पांच वर्ष में सब हिस्सेदारों को अपना हिस्सा करके अलग हो जाना चाहिये।

अथवा वे नियम न. ५ घ के अनुसार नये ढंगसे

हिस्सेदारी कर सकते हैं।

६ जमीन और मकान

क—वर्तमान में जो जमींदार हैं उनका जमींदारी हक दस वर्ष तक चालू रहे। बाद में उनकी जमींदारी सरकार लेले। इसके बाद पांच वर्ष उनको अपनी जमीन कम करने के लिये और दिये जायें। इस बीच वे अपनी जमीन बेच सकते हैं या कुटुम्ब में इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं कि नियम न. [६-ग] के साथ विरोध न रहे।

ख—जिनके पास जमीन अधिक है उन्हें दस वर्ष का समय दिया जाय कि वे अपनी जमीन नियम न. ६-ग के अनुसार करले।

ग—ऊपर जो क और ख में समय दिया गया है उसके पूर्ण होने पर यह योजना काम में लाई जाय।

घ—मूल योजना की तरह।

ङ—पांच वर्ष की अवधि दी जाय।

च—पांच वर्ष तक मकान भाड़ा ले सकेगा। परन्तु भाड़ा औचित्य की मात्रा से अधिक तो नहीं है इसकी जाँच की जायगी। और दो वर्ष के बाद भाड़ेका चतुर्थांश सरकार लेने लगेगी। उसके दो वर्ष बाद आधा लेने लगेगी और पांचवें वर्ष तीन चतुर्थांश। बाद में पूरा। सिर्फ मरम्मत के लिये भाड़े की आमदनी का एक दशांश मिल सकेगा।

छ—मूल योजना की तरह।

७ सरकारी मुलाजिम

क और ख मूल योजना की तरह।

ग में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है।

घ ङ मूलकी तरह।

८ नारीका अधिकार

सभी विषय मूल योजना की तरह ।

९ देशी राज्य

यह एक नया विषय है जो मूल योजना में नहीं है । वास्तव में इनकी आवश्यकता नहीं है परन्तु भारतवर्ष में ये हैं और इस परिस्थिति में हैं कि इन्हें सहसा तोड़ा नहीं जा सकता । ऐसी हालत में अगर इनके विषय में निश्चित और दृढ़ विचार प्रगट न किये जायें तो ये गंकाकुल रहेंगे और कभी भी प्रजा के सहयोगी न बनेंगे । देशी राज्यों को ईमानदारी के साथ दृढ़ आश्वासन देने की जरूरत है और इनका स्थान निर्दिष्ट कर देना भी जरूरी है ।

क-राजाओं का सम्मान वही रहेगा जो आज है ।

ख-राजाओं को राज्यों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करना होगा । राजाओं का स्थान सुरक्षित है । पर जैसे इंग्लैंड के राजा के अधिकार सीमित हैं असली और अंतिम अधिकार पार्लमेण्ट को है उसी प्रकार राजाओं के अधिकार सीमित रहेंगे असली अधिकार उस राज्य की व्यवस्थापक सभाओं और अंतिम अधिकार भारत सरकार को रहेंगे ।

ग-देशी राज्यों के अलग सिक्के पोष्ट और फौजदारी कानून न होंगे । भारत सरकार के सिक्के पोष्ट और फौजदारी कानून ही लागू होंगे । दीवानी कानून भी भारत सरकार से पास करा लेना पड़ेगा ।

घ-वर्तमान में उनके रहने के लिये जो महल हैं वे उन्हीं के पास रहेंगे । हा, जो उनके किसी काम में नहीं आते वे राज्य के काम में लेलिये जावेंगे । राज महलों की देखरेख सफाई आदि के लिये नौकर तथा सामान राज्य की तरफ से मिलेगा ।

ङ-ब्रीडीगार्ड, मोटर आदि का खर्च भी राज्य की तरफ से मिलेगा ।

च-विदेश-यात्रा या अन्य किसी यात्रा का खर्च भी राज्य से मिलेगा पर इसकी स्वीकृति धारासभा से लेनी होगी और बजट भी धारासभा से पास कराना होगा ।

छ-विवाह गादी आदि विशेष प्रसंगों के लिये भी राज्य की तरफ से खर्च मिलेगा पर उसकी स्वीकृति धारा सभा से लेनी होगी ।

ज-भोजन खर्च, वस्त्र खर्च, खानगी यात्राएँ, दान पुण्य, तथा और भी पाकिट खर्च के लिये राजाओं को निम्न लिखित भेट राज्य की ओर से मिलेगी ।

राजा के लिये १०००) मासिक

रानी के लिये ५००) मासिक

राजकुमार और राजकुमारियों को २५०) मासिक

राजा के सगे भाई	}	२५०)
अविवाहित बहिन और		
राजमाता प्रत्येक को		

झ-राजा, रानी, राजा के भाई, वालिग राजकुमार इनको राज्य की तरफ से कुछ न कुछ काम सौंपा जायगा । वह इन्हें करना होगा । उप-र्युक्त भेट पेन्शन के तौर पर न होगी किन्तु एक तरह का वह वेतन या आनरेरियम होगा ।

ञ-आज जो राजाओं के पास खानगी जायदाद है उसमें से दस लाख रुपये तक की जायदाद उनके पास रहेगी बाकी राज्य की समझी जायगी ।

ट-देशी राज्यों की तीन श्रेणियाँ रहेंगी । प्रथम श्रेणी में हैदराबाद मैसूर ग्वालियर बड़ौदा काश्मीर इन्दौर उदयपुर जयपुर आदि रियासते रहेंगी । राजकुटुम्बों के लिये ऊपर जिस भेटका वर्णन किया गया है वह प्रथम श्रेणी की रियासतों

के विषय में है। इन रियासतों का स्थान एक प्रान्तीय सरकार सरीखा होगा अर्थात् ये भारत सरकार के नीचे रहेगी।

दूसरी श्रेणी की रियासतों में राजकुटुम्बों के लिये जो भेट दी जायगी वह ऊपर के अनुपात में करीब आधी होगी उनके अन्य खर्च भी कम होंगे। ये रियासतें प्रान्तीय सरकारों के अधीन रहेगी इन का स्थान एक जिला की तरह होगा।

तीसरी श्रेणी की रियासतें जिलाधीश (कलेक्टर) की देखरेख में रहेंगी। इनके शासकों को आनरेरियम और भी कम मिलेगा।

ठ—किसी भी राजाको गोद लेने का अधिकार न होगा। उसके बाद राजपुत्र उत्तराधिकारी होगा। उसके अभाव में राजपुत्री [अगर वह किसी दूसरे राज्य की रानी न हो तो] राजपुत्री के अभाव में रानी की अनुमति हो तो राजा का सगा भतीजा, उसके भी अभाव में अन्तिम शासक के रूप में रानी, राज्य करेगी। रानी के देहान्त के बाद राज्य भारत सरकार के हाथ में पूरे रूप में आ जायगा। भारत सरकार या तो उसका स्वतन्त्र एक प्रान्त बना देगी अथवा किसी प्रान्त में मिला देगी।

डू—इस प्रकार जो राज्य भारत सरकार में मिला दिया जायगा उसकी राजधानी में अन्तिम राजा और अन्तिम रानी का एक विशाल स्मारक होगा। जिस में राजा और रानी की मूर्तियाँ रहेगी और चारों तरफ एक बाग होगा। यह स्मारक प्रथम श्रेणी की रियासतों के लिये करीब दस लाख रुपये के खर्च से, दूसरी श्रेणी की रियासतों के लिये करीब पाँच लाख रुपये के खर्च से और तीसरी श्रेणी की रियासतों के लिये करीब दो लाख रुपये के खर्च से बनाया जायगा।

अगर राजा या रानी ने यह इच्छा प्रदर्शित की होगी कि उनकी खानगी जायदाद भी उनके स्मारक बनाने या किसी दूसरे ढंग से कोई दूसरा स्मारक तैयार कराने में लगायी जाय तो उसके अनुसार कार्य किया जायगा।

देशी राज्योंकी इस प्रकार कायापलट हो जाने से भारतीय जनता को और राजाओं को, दोनों को लाभ है।

भारतीय जनता को तो यह लाभ है कि राजाओं के साथ जो संघर्ष है वह मिट जायगा और राजा लोग भारत की उन्नति करने में और जन सेवा करने में दत्तचित्त हो जायेंगे। निस्सन्देह राजाओं को जो विशेष सुविधाएँ रहेंगी वे निरतिवाद की नीति के कुछ बाहर जाती हैं। उनका खर्च राष्ट्राध्यक्ष की अपेक्षा भी बढ़ जाता है। फिर भी वर्तमान परिस्थिति की अपेक्षा वह परिस्थिति कई गुणी अच्छी है। राजाओं का कुछ पूँजीपतित्व अवश्य बढ़ा रहता है पर पूँजीवाद नहीं बढ़ता। इससे विशेष हानि कुछ नहीं है। राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित हो जाने से राजा लोग जो प्रजा से दूर पड़े हुए हैं वे निकट आजायेंगे। परस्पर का सकोच और भय दूर होजायगा। एक दूसरे के सहयोगी और प्रेमी बन जाँयेंगे। राजाओं के मनमें भी भारत से विशेष प्रेम हो जायगा। इसलिये भारतीय प्रजा को चाहिये कि वह देशी राज्योंके विषय में उपर्युक्त नीति से सहमत हो जाय।

बहुत से लोग राजाओं को नष्ट कर देने की बातें किया करते हैं। इस तरह की बातों से राष्ट्र की शक्ति छिन्न भिन्न होती है। राजा लोग अभी अनियन्त्रित शासक हैं अथवा जिसके

नियन्त्रण में है वह सत्ता भारतीय लोकमत की नहीं है। राजाओं को उखाड़ देने की बातों से दो सत्ताएँ भारतीय लोकमत के विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं। बाहर की सत्ता से लड़ा भी जा सकता है पर भीतर की सत्ता के साथ लड़ाई छेड़ने से राष्ट्र की शक्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। राष्ट्र निर्बल हो जाता है।

कुछ लोग ऐसे हैं जो राजाओं के विषय में कुछ नहीं बोलते अथवा कह देते हैं कि राजाओं को ज्यो का त्यो रक्खेगो। पर इससे राजाओं की शक्ति दूर नहीं होती। भारत में जो उथल पुथल मची हुई है उसको देखते हुए राजा लोग भी यह नहीं समझते कि भविष्य में वे ज्यो के त्यो रह सकेंगे। वे कुछ त्याग करने को भी तैयार हैं पर उनको कुछ ऐसा निश्चित रूप मालूम होना चाहिये जिसे देखकर वे आश्वासन प्राप्त कर सकें। हम आप को छेड़ना नहीं चाहते इत्यादि मीठी बातों पर वे भरोसा नहीं रख सकते। वे तो यह समझते हैं कि आप नहीं छेड़ेंगे; चाहते तो आप का साथी या शिष्य छेड़ेगा दूसरे लोग छेड़ेंगे। म. गांधी न छेड़ेंगे तो प. जवाहरलाल छेड़ेंगे। जबतक कि उनके विषय में कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं (व्यक्ति तो आज है कल नहीं) किन्तु कोई जिम्मेदार सत्ता (उदाहरणतः कांग्रेस) स्पष्ट शब्दों में कुछ घोषणा नहीं करती तबतक राजा लोग कैसे आश्वासन प्राप्त करेंगे। राजा लोग यहाँ तक तो सहमत हो जायेंगे कि रियासतों की त्रुटियाँ चली जाँय पर वे यह जरूर चाहेंगे कि उनका व्यक्तित्व बना रहे वे राजा बने रहें और अमुक सुविधाएँ भी [भले ही वे काफी मर्यादित हों] पाते रहें।

ऊपर की योजना में दोनों बातें हैं इसलिये

देश के नेताओं को और कांग्रेस को उसका समर्थन करते हुए स्पष्ट घोषणा करना चाहिये भले ही आवश्यकतानुसार उस में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिया जाय।

राजा लोग अगर इस विषय में कुछ विचार करेंगे तो उन्हें बहुत से लाभ दिखाई देंगे। कुछ का संकेत यहाँ किया जाता है—

१—कुप्रबन्ध आदि की जिम्मेदारियों से बच जावेंगे इससे जो उनका अपयश फैलता है वह दूर हो जायगा।

२—भारत सरकार के एजेन्ट से उन्हें डरते रहना पड़ता है, और भीतर ही भीतर उन से काफी अपमानित होना पड़ता है। प्रजा का बल न होने से उन्हें यह अपमान सहना पड़ता है। परन्तु पीछे यह अपमान न सहना पड़ेगा।

३—एक तरफ निर्बलों पर अत्याचार और दूसरी तरफ बड़ी सत्ता से भय, इन दोनों दोषों से मनुष्यता नष्ट होती है और इससे सच्चा आनन्द नहीं मिलता और न सच्चे मित्र मिलते हैं। पैसे के बल पर नौकर मिलते हैं धनके लोभ से चापलूस मिलते हैं, हृदय से प्रेम करनेवाले नहीं मिलते। क्योंकि राजाओं की वर्तमान परिस्थिति प्रजा के ऊपर बोझ सरीखी है। जहाँ सच्चा प्रेम और भक्ति नहीं है और जीवन बोझ है वहाँ सच्चा आनन्द कहा से मिलेगा।

४—वर्तमान में राजाओं का जीवन बहुत कुछ परार्थीन है। वे प्रजा के सम्पर्क में आ नहीं सकते न सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। जरा जरासी बात के लिये उन्हें बड़ी सत्ता का मुँह ताकना पड़ता है। अधिकार परिमित हो पर निश्चित हो और किसी के द्वेष का विषय

न हो और उन में नागरिकता की वास्तविक सुविधाएँ हो तो उसमें जो आनन्द और शान्ति है वह अन्यत्र नहीं ।

५—भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए यह निश्चयात्मकरूप में कहा जा सकता है कि राजाओं की स्थिति सुरक्षित नहीं है । जिस युग में बड़े बड़े साम्राज्यों के मिटने में देर नहीं लगती उस युग में राजाओं के उखड़ने में देर न लगेगी । यह ठीक है कि राजा अपनी शक्ति का उपयोग करके प्रजा की प्रगति में रोड़े अटका सकते हैं पर इससे इतना ही होगा कि आज का कार्य कल हो पायेगा । पर वह कल राजाओं के लिये बहुत भयंकर होगा । प्रजा का कोप खुदाकी चक्की की तरह है जो धीरे धीरे चलती है पर अच्छी तरह पीसती है । इस के लिये सब से अच्छा उपाय यही है कि प्रजा के साथ राजा लोग उपर्युक्त शर्तों पर सुलह करले, इससे वे भी सदाके लिये निश्चित रहेगे और प्रजा की भी उन्नति होगी । राष्ट्र की उन्नति के साथ वे भी उन्नत हो सकेंगे ।

प्रजा के साथ संघर्ष होने में अगर वे सफल भी होंगे तो भी चैन से न रह पावेंगे और अगर असफल हुए तो मिट जावेंगे । सफल होने की सम्भावना बहुत कम है । वे नहीं तो उनके उत्तराधिकारी सकट में पड़ेगे । इस प्रकार के अशान्तिमय विद्रोहमय चिन्तित जीवन की अपेक्षा प्रजा के साथ सुलह करके शान्तिमय प्रेममय जीवन बिताना बहुत अच्छा है ।

६—ऊपर की योजना में राजाओं को वेतन या भेट आज की अपेक्षा कम रखी गई है पर सच पृच्छा जाय तो उसमें कुछ नहीं है क्योंकि महल मकान ठाठ आदि तो फिर भी

रहेगा और उसका खर्च राज्य देगा । भोजन वस्त्रादि के लिये जो दिया जायगा वह कम नहीं है । हा, ऐयाशी के उन्माद के लिये पैसा नहीं मिलेगा और इससे उन्हें बड़ा लाभ होगा । आज दुर्व्यसनो के कारण उनका जीवन बर्बाद हो जाता है और वे बाहर से वैभव-पूर्ण होने पर भी भीतर से खोखले और दुखी होते हैं । इसमें राजाओं का ही अपराध नहीं है, राजाओं के हाथ में जो अनियन्त्रित साधन हैं उनका अपराध भी है । जहाँ अनियन्त्रित धन और प्रभुत्व हो वहाँ देवता भी दानव बन सकते हैं फिर राजा तो राजा ही है । इस दानवता से राजाओं का जीवन सुख शान्तिमय नहीं हो पाता । इसलिये यह आर्थिक नियन्त्रण उनके जीवन को पवित्र और सुख शान्तिमय बनाने में सहायक होगा । आज उनके विषय में प्रजा का ऐसा खयाल है कि राजा लोग लाखों रुपये मुफ्त में उड़ा जाते हैं पर निरतिवादी योजना के अनुसार सुलह हो जाने पर उन पर से यह आक्षेप निकल जायगा इसलिये वे 'प्रजा के प्रेमपात्र हो जायेंगे' साथ ही उनका वैभव या ठाठ करीव ज्यों का त्यों बना रहेगा । इस प्रकार दोनों ओर राजाओंका कल्याण ही है ।

इस प्रकार निरतिवादी योजना के अनुसार राजाओं और भारतीय जनता के बीच सुलह हो जाने से राजाओं का भी हित है और भारतीय जनता का भी हित है । हा, थोड़ा थोड़ा त्याग दोनों को करना पड़ेगा जो कि उचित है ।

उपसंहार

निरतिवाद की यह योजना पत्थर की लकीर नहीं है इसमें अनुभव और युक्ति के आधार पर

थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है सो वह तो समय आने पर हो जायगा। अभी तो उस की आत्मा को समझ कर अपनाने की कोशिश करना चाहिये।

यद्यपि श्रीमत्ता पर इसमें अकुश है पर अगर श्रीमान लोग विचार करेंगे तो उन्हें मान्य होना कि उन्हें दुःखी होने का कोई कारण नहीं है बल्कि उनकी अनियन्त्रित लालसाओं को रोककर उन्हें एक प्रकार की शान्ति दी गई है और प्रजा के कोप और ईर्ष्या से बचाया गया है। और दानादि के रूप में जीवन को सफल बनाने की ओर उन्हें परिचालित किया गया है।

साम्यवादियों से मैं कहूँगा कि भारत की परिस्थिति पर विचार करें। साम्यवाद का पौधा इस देशकी मिट्टीमें लग सकता है या नहीं? यदि लग सकता है तो उसके लिये खाद तथा रक्षा के साधन हम जुटा सकते हैं या नहीं यह एक प्रश्न तो है ही, साथ ही यह भी एक प्रश्न है कि साम्यवाद क्या स्थिर चीज बन सकती है? अभी तो उसकी परीक्षा हो रही है। और ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा है त्यों त्यों वह निरतिवाद की ओर ही बढ़ता जा रहा है। भय है कि कहीं आवेग में या किसी क्रांति द्वारा वह निरतिवाद की सीमा का उल्लंघन कर पूँजीवाद में न चला जावे। कुछ भी हो पर कम से कम अभी वह निरतिवाद की ओर जा रहा है। ऐसी हालत में हम निरतिवाद को ही अपना कार्यक्रम बनावे और दूसरों की भूलों से लाभ उठाकर विचार-पूर्वक अपना पथ निर्माण करें तो यह सब नकल करने की अपेक्षा कहीं श्रेयस्कर है।

कांग्रेस में 'सोशलिस्ट पार्टी' के नाम से जो दल बना हुआ है वह निरतिवाद के दृष्टि-

विन्दु को सामने रख कर कार्य करें और श्रीमानों को गाली देने में अपनी शक्ति खर्च न करें तो देशको उसके द्वारा कुछ ठोस सेवा मिल सकती है।

साम्यवादी दलमें गाली न देने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों की-त्यागियों की-विद्वानों की-कमी नहीं है। जो गाली ही देते हैं उनका भी कुछ अपराध नहीं है। बात यह है कि यहाँ की भूमि के अनुकूल निश्चित योजना न होने से इस प्रकार की अस्त-व्यस्तता स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ कि निरतिवाद की योजना साम्यवादियों को भी अपने व्यय के अनुकूल और व्यवहार्य मालूम होगी।

बहुत से लोग इस योजना को राजनैतिक योजना समझेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि इसका सम्बन्ध थोड़ा बहुत राजनीति से है भी। इस योजना के कार्य-परिणत होने पर राजनैतिक परिवर्तन होना अनिवार्य है। पर मैं राजनीति के अग के रूप में इस योजना को नहीं रख रहा हूँ। मैं तो इसे सामाजिक क्रांति या सामाजिक सुधार के रूप में रख रहा हूँ। बल्कि दूसरे शब्दों में मैं इसे धार्मिक समझता हूँ।

पुराने समय में वर्म और समाज के नाम पर ही लोग परिग्रह का त्याग करते थे, दान करते थे, अपने व्यापार को सीमित करते थे, राजा लोग आर श्रीमान लोग अपने सर्वस्वका त्याग करके भिक्षुक बन जाते थे। कोई भिक्षुक अपने द्वार से भूखा निकल जावे तो लोग गर्मिन्दा होते थे और समझते थे कि हमसे कोई पाप हो गया है। राजसत्ता भी समाज के इस प्रभाव की अवहेलना न कर सकती थी।

आज हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन में यह सब नहीं रह गया है। और राजसत्ता विलकुल अलग जा पड़ी है

निरतिवाद इन सब को मिलाकर, सब की सुविधाओं का विचारकर पुराने युगको वापिस लाना चाहता है पथ-भ्रान्ति दूर कर देना चाहता है । पर वह पुराना युग ज्यो का त्यो तो वापिस आवेगा नहीं, उसका तो पुनर्जन्म ही हो सकेगा । निरतिवाद के रूप में उसका पुनर्जन्म ही समझना चाहिये । किसी की दृष्टि में यह धार्मिक है, किसी की दृष्टि में आर्थिक और किसी

की दृष्टि में राजनैतिक । अपनी अपनी दृष्टि है ।

ऐसी कौनसी योजना है जिस पर लोग हँसे न हों या जिसकी निन्दा न की हो । सो इसके विषय में भी होगा । उन लोगो से मुझे कुछ कहना नहीं है । पर जिनको यह कार्यकारी जचे, जो इस कार्य के लिये सगठन करना चाहे, तन मन वचन धन से सहयोग करना चाहे उनको सादर निमन्त्रण है ।

अति और निरति

‘अति’ इधर कहीं अति उधर कहीं, ‘अति’ ने अन्धेर मचाया है ।

कोई कण कण को तरस रहा, अति-उदर किसी ने खाया है ।

या तो नचती उच्छ्रखलता, अथवा मुर्दापन छाया है ।

‘अति’ का यह अति अन्धेर देख, प्रभु निरतिवाद बन आया है ।

इक्कीस सन्देश

‘सत्यसमाज की मॉगे’ इस शीर्षक से जो इक्कीस सन्देश जनता के सामने रखे गये थे उन पर बहुत से विद्वानों और समाचार पत्रों का ध्यान गया है। कुछ विद्वानों ने कुछ मतभेद भी प्रगट किये हैं। मैं उनकी यहा अक्षरग आलोचना नहीं करना चाहता। फिर भी उनकी आलोचनाओं पर ध्यान देकर जो कुछ बदलने लायक माद्धम हो उसे बदलना, और जिनका खुलासा करना जरूरी हो उनका खुलासा करना आवश्यक समझता हूँ। इसलिये यहा प्रत्येक सन्देश का सुधरा हुआ रूप और उसका भाष्य किया जाता है।

सत्यसमाज हरएक बात पर निरतिवाद की दृष्टि से विचार करना चाहता है। वह किसी भी दिशा में इस प्रकार अति नहीं करना चाहता कि वह तत्त्व कल्याणकर होने पर भी अतिमात्रा में होने के कारण अकल्याणकर बन जाय। अच्छी से अच्छी चीज भी अगर अधिक मात्रा में हो जाय। अपनी मर्यादा भूल जाय तो अकल्याणकर हो जाती है। जिस प्रकार अंधेरा आँखों को बेकाम कर देता है। उसी प्रकार तीव्र प्रकाश की चकाचौंध भी आँखों को बेकाम कर देती है इसलिये अतिअधिकार और अतिप्रकाश दोनों ही अकल्याणकर हैं। कल्याणकर है निरति= अति का अभाव।

सत्यसमाज के इक्कीस सन्देश किस आशय को लेकर हैं और निरतिवाद की कसौटी पर कैसे जाकर वे किस रूप में व्यावहारिक बन सकते हैं इसी बात का दिग्दर्शन मुझे यहां कराना है।

सन्देश पहिला

सब मनुष्य अपने को मनुष्य जाति का ही माने। रंग, देश, व्यापार, कुलपरम्परा आदि के भेद से जातिभेद न माना जाय, अर्थात् इन कारणों से रोटी बेटी व्यवहार सीमित न रक्खा जाय। न कोई जाति के कारण ऊँच नीच छूत अछूत आदि समझा जाय।

भाष्य—जातीयता की निशानी स्वाभाविक दाम्पत्य है। जहा विजातीयता होती है वहा स्वाभाविक दाम्पत्य नहीं होता जैसे हाथी घोड़ा ऊँट आदि जानवरों में स्वाभाविक दाम्पत्य नहीं है इसलिये हम हाथी घोड़ा आदि को एक एक जाति कह सकते हैं। परन्तु मनुष्यों के भीतर जो जातिभेद की कल्पना की गई वह ऐसी नहीं है उस में ऐसा आकारभेद या शरीरभेद नहीं है कि हम भारतीय और अंग्रेज को आर्य और मंगोलियन को ब्राह्मण और शूद्र को भिन्न भिन्न जाति का कह सकें। इन में परस्पर दाम्पत्य हो सकता है वगपरम्परा चल सकती है इसलिये मनुष्य मात्र को एक जाति का समझना चाहिये।

फिर भी दाम्पत्य को अगर वैपयिक सम्बन्ध ही मान लिया जाय और दाम्पत्य को सिर्फ इसीमे सीमित कर लिया जाय तो यह मनुष्य का पशुता की ओर पतन होगा। मनुष्य के दाम्पत्य मे शारीरिक ही नहीं किन्तु मानसिक समन्वय की भी आवश्यकता है। इसलिये सौन्दर्य, सदाचार, खान पान की समता, भाषा आदि बातों के देखने की भी आवश्यकता है। परन्तु इन बातों को लेकर जातिभेद न बनाना चाहिये। अभी जाति के नाम पर जो भेद बना लिये गये हैं उनमे कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो दूसरो मे न पाई जाती हो इसलिये अनुकूल सम्बन्ध ढूँढने के लिये अमुक गुणों और अपनी आवश्यकताओं का ही विचार करना चाहिये न कि कल्पित जाति का। दाम्पत्य के लिये जिन जिन गुणों को हम चाहे उनका विचार करे परन्तु सब कुछ मिल जाने पर भी सिर्फ कल्पित जातिभेद से न डर जाय। आवश्यक गुणों को कसौटी बनाकर मनुष्य मात्र के साथ सम्बन्ध करने को हम तैयार हो। और दूसरा जो तैयार होता हो उसे सहारा दे उसके साथ सहयोग करे।

बहुत से लोग सैद्धान्तिक रूप मे इस सर्व-जाति-समभाव को मानते हैं पर किसी कारण से उन्हें अमुक जाति से घृणा होती है। जैसे अमेरिका मे अमेरिकन लोग सबसे समभाव रखेंगे परन्तु उसी देश मे बसनेवाले हब्शी लोगों से न करेंगे इसका कारण यह दुरभिमान है कि एक दिन ये हब्शी हमारे गुलाम थे और आज बराबरी का दावा करते हैं। वास्तव मे उनमे कोई विपमता नहीं है। एक दिन जो हब्शी पशु सरीखे थे वे ही आज सभ्यता शिक्षा आदि मे अमेरिकनो के बराबर हैं इसीसे मात्तम होता है कि मनुष्य

क्षेत्रादि परिस्थितिके भेद से विपम मात्तम होता है अन्यथा मूल मे वह एकसा-सजातीय है।

कुछ राजनैतिक कारणों से एशिया, खासकर भारत मे गोरी जातियों के विषय मे घृणा है क्योंकि उनने अन्य जातियों पर बहुत अत्याचार किये हैं और छलबल से सताया है। नि सन्देह पाप घृणा की वस्तु है। और उस कारण से पापी से भी घृणा हो जाय तो क्षम्य है परन्तु पापी की जाति को मौलिक रूप मे सदा के लिये जुदा समझ लेना भूल है। कुगासन से हम घृणा करेंगे इसके लिये कुगासक को भी सतायेंगे पर उस जाति मात्र को बुरा समझना भूल है। पशु-वल और अधिकार आने पर मनुष्य मे अत्याचार की प्रवृत्ति होने लगती है इसके लिये हम उसे ढक दे सकते हैं लेकिन सप्पह मात्र से घृणा नहीं कर सकते। समूह मे एक दो प्रतिशत अच्छे आदमी भी हो सकते हैं उनसे घृणा नहीं कर सकते। राजनैतिक आदि परिस्थितियों के बदल जाने से वे लोग मित्र बन जायेंगे इस मे कोई सन्देह नहीं। इसलिये हमें गोरे काले पीले आदि

के कारण किसी से घृणा न करना चाहिये न विपमभाव रखना चाहिये। हा, अत्याचार के विरुद्ध लड़ना चाहिये इसलिये हम अत्याचारी से लड़ सकते हैं, पर उसको अत्याचारी समझ कर न कि विजातीय समझकर। अत्याचार का बदला चुक जाने पर या अत्याचार दूर हो जाने पर हम प्रेम भी करेंगे।

खाने पीने मे हमें भोजन की शुद्धता, स्वास्थ्यकरता स्वादिष्टता स्वच्छता आदि का ही विचार करना चाहिये न कि जाति का। विवाह सम्बन्ध मे अनुकूल गरीर मन आदि का विचार

करना चाहिये न कि जाति का, छूताछूत के विचार में सक्रामक रोगों या गदकी से बचने का ही विचार करना चाहिये न कि जाति का, यह त्रिसत्री सर्व-जाति-समभाव की सूचक है। इस में निरतिवाद की भी रक्षा हुई है। जाति के नाम पर जो कल्पनाएँ हैं वे एक अति हैं और जाति तोड़ने के नाम पर शुद्धि, स्वच्छता अनुकूलता आदि का विचार न करना दूसरी अति है। निरति मध्य में है।

संदेश दूसरा

सभी मनुष्य सर्व धर्म समभावी हो किसी धर्म सस्था में विशेष रुचि रखना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर रहे पर उस सम्प्रदाय में किसी का ऐसा अन्धानुराग न रहे कि दूसरे सम्प्रदाय का आदर नष्ट करदे।

भाष्य--इस विषय में भी अतिवाद फैला हुआ है। एक दल वर्मोंकी अन्धनिन्दा करता है और सब अन्यों की जड़ इन्हे ही समझता है। दूसरा दल अपने किसी धर्म में इस प्रकार चिपटा हुआ है कि अपने धर्म में आये हुए विकार भी वह नहीं देखना चाहता और उन विकारों को भी धर्म समझता है और अन्य वर्मों को दम, नरक का रास्ता मानता है। दूसरों को नास्तिक काफिर मिथ्यात्वी आदि कहकर तिरस्कार करता है। निरतिवाद इन दोनों अतिवादों को पसंद नहीं करता।

धर्म-विरोधियों से वह कहना चाहता है कि धर्म का नाश नहीं हो सकता वह किसी न किसी रूप में जीवित रहेगा उसका नाम भले ही बदल जाय। उसका प्राण नैतिकता और सदाचार है वह नष्ट नहीं हो सकता न होना चाहिये। भक्ति आदि जो उसके बाह्य अंग हैं वे भी नष्ट नहीं हो

सकते। प्रतीक बदल सकता है। मूर्ति न होगी नेता की कब्र होगी राष्ट्रीय झंडा होगा। सच्चे समाज सेवकों का आदर जनता के दिल से कैसे निकल जायगा? अगर निकल जाय तो इससे लाभ क्या? समाज सेवकों को जीवन भर और कुछ आराम तो मिलता नहीं है मरने के बाद-और थोड़ा बहुत जीवन में भी-लोग उन्हें याद करेंगे यही एक आशा का तन्तु उनको कठिनाइयों में टिकाये रहता है। यह नष्ट हो जाय तो उनको सहारा क्या रहे और जनता में भी कर्तव्य की प्रेरणा कैसे हो। सो धर्म के जो आदर भक्ति आदि अंग हैं वे नष्ट नहीं हो सकते न होना चाहिये। धर्मों के नेता या सस्थापक अपने समय के सामाजिक क्रान्तिकारी हैं। धर्म भी एक सामाजिक वस्तु है। उन समाज-सेवकों का हमें आदर करना चाहिये। और जब साधारण जनता आदर रखती है तब ऐसे शुभ कार्य में उसके साथ सहयोग करके हम जनता के निकट में क्यों न पहुँचे? हा, उन धर्म-प्रवर्तकों को आप अलौकिक व्यक्ति या ईश्वर न मानिये। लोक सेवक महात्माओं के रूप में ही उनका आदर कीजिये। उनके विषय में जो अन्वश्रद्धा-पूर्ण कथाएँ और अतिशयोक्तियाँ प्रचलित हैं उनको न मानिये बल्कि उनका विरोध कीजिये। ईश्वर की सत्ता भी आप मानना चाहे माने न मानना चाहे न माने, पर यह अवश्य मानिये कि मानव जीवन के लिये नीति-सदाचार की आवश्यकता है और इसका प्रचार करनेवाले जन सेवक आदरणीय हैं। वस, धर्म का मानना हो गया। धर्म के नाम पर चलनेवाले दक़ोसलों का आप खूब विरोध कीजिये।

अन्व-श्रद्धा और धर्ममद को लेकर जो अतिवादी बने हुए हैं उनसे कहना है कि जैसे आपका

धर्म जगत् की शान्ति के लिये आया था उसी प्रकार दूसरे धर्म भी आये थे । सदाचार के नियम सभी धर्मों में पाये जाते हैं । जो अन्तर है वह देशकाल का है सो होना चाहिये । ऐसी हालत में आप अमुक धर्मवाली समाज में पैदा हुए इसलिये वह धर्म सर्वोत्तम है इसमें सचाई क्या हुई ? आप हिन्दू में पैदा हुए सो हिन्दू धर्म अच्छा और मुसलमान में पैदा हुए इसलिये मुसलमान धर्म अच्छा या जैन में पैदा हुए सो जैन धर्म अच्छा इसमें निपक्षता विचारकता और तर्क नहीं है इसलिये इसका कुछ मूल्य नहीं । यहाँ धर्म की ओट में अभिमान की पूजा है जो कि पाप-मूल है । सत्कारों के कारण अगर किसी धर्म विशेष से आपको आत्मीयता हो गई है तो धर्म के साथ घनिष्टता रखिये पर इसीलिये दूसरे धर्मों की निन्दा न कीजिये और न अपने ही धर्म को स्वर्ग मोक्ष पहुँचाने का ठेका दीजिये । परीक्षा करते समय भी लोकहित को धर्म की कसौटी बनाइये अपने धर्म के अमुक वेप या रीतिरिवाजों को धर्म की कसौटी बनाकर दूसरे धर्मों की परीक्षा न कीजिये सभी धर्म अपने रूप को धर्म की कसौटी बनाकर दूसरों की परीक्षा करें तो सभी परस्पर मिथ्या साबित होंगे फिर आपका धर्म भी मिथ्या होगा । लोकहित की दृष्टि से विचार करने पर और जिस देशकाल में वह धर्म पैदा हुआ था उसदेश काल को नजर में रखने पर सभी धर्म सन्तोषजनक मालूम होंगे । हा, जो बातें अकल्याणकर हों उन्हें कदापि न मानिये पर दूसरों की ही नहीं, अपनी भी अकल्याणकर बातें न मानिये बल्कि जब दोष देखने की इच्छा हो तो पहिले अपनी धर्मसंस्था के देखिये पीछे दूसरों की धर्म संस्था के । आत्मनिन्दा बुरी नहीं है पर परनिन्दा बुरी है ।

धर्म के विषय में निरतिवाद न तो किसी धर्म में अन्धश्रद्धालु होने को कहता है न अन्ध-निन्दक, वह विवेकपूर्ण समभावी होने की प्रेरणा करता है । धर्म-संस्थापक महापुरुषों को न तो वह ईश्वर मानता है न ब्रह्मक । उन्हें लोक-सेवक पूर्वजों के समान आदरणीय-वन्दनीय समझता है और एक दूसरों के पूर्वजों का आदर करके परस्पर में प्रेम बढ़ाने का सन्देश देता है ।

संदेश तीसरा

सम्प्रदाय या जाति के नामपर किसी को किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार न रहे । न पृथक् निर्वाचन रहे ।

भाष्य-सम्प्रदायों को और जातियों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं उससे ईर्ष्या फूट अविश्वास आदि बटने के सिवाय और कुछ लाभ नहीं । राष्ट्रीय उदारता नष्ट होजाती है । और इन दलबन्धियों में राष्ट्रका हित गौण होजाता है । हिन्दू मुसलमानों के प्रश्न को लेलीजिये । एक के प्रतिनिधि को दूसरे की कोई परवाह नहीं । इसलिये दोनों को राष्ट्र की चिन्ता न होकर अपनी अपनी कौम की परवाह होती है । आपस में ही आत्मरक्षा की चिन्ता में सब परेगान हैं, विवायक कार्य या स्वतन्त्रता का कार्य कोई नहीं कर पाता या बहुत कम कर पाता है । जातीय दगे होते हैं तो उनका उपाय करने की अपेक्षा अपनी अपनी कौम को निर्दोष साबित करने की बकालत में सब शक्ति खर्च हो जाती है । खैर, कांग्रेस मरीखी एक असाम्प्रदायिक संस्था के होने से फिर भी गनीमत है । अगर हिन्दू सभा और मुसलिमलीग के ही प्रतिनिधि धारासभाओं में रहे तो धारासभाओं के टग ऑफ वार में राष्ट्र की बज्रिया उडजाय । अगर हिन्दू मुसलमानों के अलग अलग प्रति-

निधि न हो तो हरएक प्रतिनिधि को हरएक कौम के मनुष्य का खयाल रखना पड़े और साम्प्रदायिक कटुता न हो ।

परन्तु प्रारम्भ मे जब तक ठीक तौर पर विश्वास पैदा नहीं हुआ है तबतक निरतिवाद की नीति के अनुसार कुछ समझौते का मार्ग निकाला जा सकता है । इसके दो मार्ग हैं—

पहिला मार्ग—तो यह है कि न तो पृथक् प्रतिनिधित्व रहे न पृथक् निर्वाचन रहे किन्तु प्रतिनिधियों की संख्या नियत रहे । अल्पसंख्यक कौमो के प्रतिनिधि उनकी जन संख्या के अनुसार नियत हो । पर चुनाव सामान्य ही हो । चुनाव होने के बाद अगर यह माहूम हो कि अमुक कौम के नियत प्रतिनिधि चुनाव में नहीं आ सके कुछ प्रतिनिधि कम रह गये हैं तो जितने प्रतिनिधि कम रह गये हों उसी कौम के उतने प्रतिनिधि धारासभा अपने बहुमत से चुन ले । जैसे कहीं मुसलमानों के तीस प्रतिनिधि नियत हैं और चुनाव में पच्चीस ही आये तो पांच प्रतिनिधि धारासभा फिर चुन लेगी । इस प्रकार तीस की संख्या पूरी हो जायगी ।

दूसरा मार्ग—यह है कि पृथक् प्रतिनिधित्व तो रहे परन्तु पृथक् निर्वाचन न हो । इस विषय में निम्न लिखित नियमों का पालन होना चाहिये ।

१—बहुसंख्यक समाज के लिये प्रतिनिधि नियत न किये जाय ।

२—अल्प संख्यक समाजके लिये भी उस की संख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधि नियत न किये जाय ।

३—पृथक् प्रतिनिधित्व उन्हीं को दिया जाय जिनके दायभाग आदि के कानून जुदे हो और जाति की दृष्टि से अपने को जुदा मानते हो ।

तीसरा मार्ग—पृथक् प्रतिनिधित्व कर देने पर भी अगर सम्मिलित निर्वाचन से सन्तोष न होता हो और अविश्वासादि कारणों से कुछ समय तक पृथक् निर्वाचन भी चालू करना हो तो आशिक पृथक् निर्वाचन की नीति काम में लेना चाहिये । बहुसंख्यक समाज नियत प्रतिनिधित्व न माँगे तो अच्छा है परन्तु अगर माँगे ही तो वह भी दिया जा सकता है ।

इसमें निम्न लिखित नियम रहेगे ।

१—अपने अनुपात से अधिक किसी को प्रतिनिधित्व न रहेगा ।

२—वह अनुपात सौ में अस्सी प्रतिनिधियों के साथ लगाया जायगा । बाकी बीस प्रतिनिधि सामान्य निर्वाचन के लिये रहेगे ।

३—दस दस वर्ष के बाद सामान्य निर्वाचन के प्रतिनिधियों की संख्या दस प्रतिशत बढ़ती जायगी । और जानीय निर्वाचन की घटती जायगी ।

४—सामान्य निर्वाचन का क्षेत्र ७० प्रतिशत होने पर पूर्ण सामान्य निर्वाचन कर दिया जायगा । इस प्रकार पचास वर्ष में पूर्ण राष्ट्रीयता प्रचलित हो जायगी ।

इन नियमों को एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना जरूरी है । मानलो किसी प्रान्त की धारासभा में सौ बैठके हैं । ५० मुसलमानों की ३० हिन्दुओं की १५ सिक्खों की ५ बाकी कौमों की । इन सौ बैठकों में से २० बैठके सामान्य निर्वाचन के लिये रहेगी । इन बैठकों के लिये हरएक कौम का आदमी खड़ा रह सकेगा । और हरएक कौमका आदमी वोट दे सकेगा । बाकी ८० बैठके इस तरह बंट जायगी ।

नाम	जन सख्या	बैठके
मुसलमान	५०	४०
हिन्दू	३०	२४
सिक्ख	१५	१२
फुटकर	५	४
साधारण बैठके	×	२०
	— —	— —
	१००	१००

पहिला मार्ग उत्तम है दूसरा मध्यम^१ है तीसरा जघन्य है। अगर जघन्य मार्ग भी न अपनाया जाय तब इसे भयकर दुर्भाग्य ही समझना चाहिये।

व्यवस्था कोई भी अपनाई जाय बहुसंख्यक तो बहुसंख्यक रहेगे ही, पृथक् निर्वाचन से अल्प-संख्यक न बन जायेंगे। अल्प-संख्यकता से पैदा होने वाले भय का उपाय पृथक् निर्वाचन नहीं है किन्तु विश्वास प्रेम और राष्ट्रीयता को महत्त्व देना है। यह बात मुसलमान और हिन्दू दोनों को समझ लेना चाहिये।

संदेश चौथा

प्रत्येक नगर और गांव में एक एक धर्मालय हो जिस में उस देश में प्रचलित मुख्य मुख्य धर्म देवो-महापुरुषों की मूर्तियाँ हो। धर्मालय में आने में जातिपाँति का बंधन न हो। सभी धर्म वाले वहाँ प्रार्थना करें। वहाँ पशुबलि न हो। सम-भावी व्याख्यान या अन्य कार्य हो।

भाष्य--इसे नगर-मन्दिर या ग्राम-मन्दिर भी कह सकते हैं परन्तु धर्मालय शब्द सर्वोत्तम है। पहिले मैंने इसे ग्राम-मन्दिर कहा था पर एक सज्जन ने यह पसंद नहीं किया। मुसलमान समाज को इस शब्द से विरोध है इसका कारण एक भ्रम है। मुसलमान भाई मंदिर शब्द का

अर्थ हिन्दू का धर्म-स्थान समझते हैं जब कि बात यह नहीं है। मंदिर शब्द का अर्थ भवन या घर है। यह बात अवश्य है कि रूढ़ि में प्रतिष्ठित घर को ही मन्दिर कहते हैं जैसे राज-मंदिर-राजा का घर, शिक्षामंदिर-पाठशाला। देवों के घर को देवमंदिर कहते हैं पर देव-मंदिरों की बहुलता होने से अकेला मंदिर शब्द देव-मंदिर के लिये रूढ़ हो गया। जब किसी शब्द के साथ मिल कर मंदिर शब्द आता है तब उसका अर्थ व्यापक--घर-हो जाता है। फिर भी यह शब्द भ्रम से भी सम्प्रदाय की सूचना न दे इसलिये इस शब्द के बदले में यहाँ धर्मालय शब्द रक्खा गया है।

सत्यसमाज के मंदिर की जो योजना है जिस में सभी धर्मों के स्मारक रखने का विधान है उसका नाम भी सत्य-मंदिर की जगह धर्मालय कर दिया जाता है। क्योंकि हिन्दू, मुसलमान, जैन, ईसाई आदि सभी को उस में एकसा स्थान है।

इस विषय में निम्न लिखित प्रश्न प्रदर्शित किये गये हैं जिन का खुलासा करना जरूरी है।
१-मूर्तिविरोध २-एक धर्म पूजना ही बुरा है फिर सब धर्म पूजने से और भी बुरा होगा।
३-वहाँ दिन भर क्या होता रहेगा ?

१-मूर्ति पूजा के विषय में मैंने स्वतन्त्र लेख में ही विस्तार से लिखा है। यहाँ संक्षेप में यही कहना है कि जब तक मनुष्य के पास हृदय है तबतक अपनी भावनाओं को जाग्रत रखने के लिये स्मारक रखना अनिवार्य है। फिर चाहे वह पुतला, ध्वजा, त्रिशूल, नख, केस, हड्डी, स्तंभ, चरखा, लिखे हुए अक्षर, पुस्तक, कब्र या समूचा मकान हो। अगर उसके सम्पर्क से हमारे हृदय

मे कोई भावना व्यक्त होती है तो वह मूर्ति ही है । उसकी पूजा किसी जड़ पिंड की पूजा नहीं है न उसमे जड़ पिंड का गुणानुवाद किया जाता है वह तो किसी आदर्श की पूजा है । हो सकता है कि किसी महात्मा को उस सहारे की आवश्यकता न हो तो वह उसपर उपेक्षा करेगा परन्तु जन-साधारणके लिये तो अवश्य चाहिये । मूर्ति न रखने से एक तरह की मूर्ति विरोधी कट्टरता पैदा होती है । मूर्ति-पूजक तो मूर्तिशून्य स्थान मे भी जा सकता है मूर्ति का विरोधी मूर्ति के सामने जाने मे भी अपमान समझता है । समभाव के लिये यह कट्टरता घातक है ।

अगर हम धर्मालय मे सभी धर्मों का कोई न कोई स्मारक न रखेगे तो सर्व-धर्म-समभाव पटाने के लिये और सभी धर्मों के धर्मस्थान के विषय मे आदर पैदा करने के लिये हमारे पास कोई अवलम्बन न रह जायगा । हमारे मनमे मन्दिर आदि स्थानों से घृणा ही रहेगी । यह घृणा जाना चाहिये । अगर मूर्ति का हमे अभ्यास न होगा तो हम हिन्दू मन्दिर, जैन मन्दिर, बौद्ध मन्दिर, गिरजाघर (रोमन कैथोलिक) मे आदर के साथ कैसे जायेंगे । हमारे हृदय मे इनके लिये जगह न रहेगी यह वासना द्वेष और घृणा के बीज का काम करेगी ।

एक बात और है । अगर धर्मालय मे किसी धर्म का कोई स्मारक न हो तो वह थोड़े से सुधारकों की चीज रह जायगी । न तो उस स्थान के विषय मे साधारण जनता के दिल मे पवित्रता का भाव होगा न किसी को उसमे आत्मीयता पैदा होगी । वह एक साधारण टाउन-हॉल बनकर रह जायगा । सर्व-धर्म-समभाव के लिये उसमे स्मारक रखना आवश्यक है और जब

स्मारक ही रखना है तब उनमे मूर्तियाँ सर्वोत्तम है ।

२-एक धर्म पूजने मे भी कोई विशेष बुराई नहीं है अगर कदाचित मानली जाय तो भी सब धर्म पूजने मे बुराई नहीं हो सकती । एक धर्म पूजने मे मनुष्य का हृदय सकुचित अन्धश्रद्धालु अहकारी हो सकता है जब कि सब धर्म पूजने मे ये दोष निकल जाते है । विविधता मे जब समता देखने की उदारता आजाती है तब विवेक आही जाता है । हा, सब धर्म की सभी बातें मानने की जरूरत नहीं है, विवेकपूर्वक सभी मे से अच्छी अच्छी बातों का चुनाव करलेना जरूरी है ।

३-धर्मालय मे सुबह शाम प्रार्थनाएँ होगी । समय समय पर समभावी व्याख्यान होंगे । पुस्तकालय धौरह की योजना भी की जा सकती है । और भी सामूहिक कल्याण के कामों मे धर्मालय का उपयोग किया जा सकता है ।

अभी योजना कठिन मालूम होती है पर दो चार जगह प्रारम्भ हुआ कि यह बात साधारण हो जायगी । सत्यसमाज ऐसे धर्मालयों के नमूने बनाना हो चाहता है ।

संदेश पाँचवाँ

प्रत्येक नगर और गाव में एक रक्षक दल हो जिसमे सभी सम्प्रदाय और जाति के लोग शामिल हो । जातीय और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व रखने वाले लोग उसमे शामिल न हों । इस दल के काम निम्नलिखित हो ।

[क] कोई पुरुष किसी नारी को न छेड़ सके । नारी कहीं जाय तो वह अनुभव कर सके कि वहा मेरे शील और इज्जन की रक्षा होगी । हर एक धर्म और हर एक जाति का मनुष्य उसका रक्षक है ।

[ख] सामूहिक झगडो को रोकना अत्याचार पीडितो को सहायता पहुचाना ।

[ग] भले आदमियो को सतानेवाले गुडो का दमन करना ।

[घ] आग लगने जल-प्रलय होने या और किसी तरह की आपत्ति आने पर सहायता करना ।

[ङ] नगर को साफ स्वच्छ रखने मे सहायता करना ।

भाष्य-यहा कुछ सशोधन खडे हुए है—

१-क्या गुडो का गुडापन हटाने के लिये उद्योग न करना चाहिये ?

२-गुडो के पीछे रह कर गुडो को पोसने और उनकी योजना करनेवालो के खिलाफ क्या कुछ न करना चाहिये ।

३-क्या नारी को अपने शील की रक्षा के लिये ऐसे रक्षक दल पर ही अवलम्बित रहना होगा ?

४-भले आदमी अर्थात् पूँजीपति, गुडा अर्थात् गरीब, उसका दमन ठीक नहीं ।

५-क्या रक्षक दल को सगृह्य तालीम न दी जायगी ?

६-दल को अहिंसक ही रहना चाहिये ।

७-जबतक यह साबित न हो कि एक स्त्री अपनी इच्छा से व्यभिचारिणी है उसे वह अत्याचारित ही समझेगातो स्त्री की आत्मरक्षा करने की शक्ति बढ सकती है ।

सूचनाएँ सुन्दर है । यहा मूल सन्देश मे मैने इन बातो पर प्रकाश नहीं डाला इसका कारण सिर्फ यही था कि मुझे नगर रक्षक दल के सिर्फ कार्य बताने थे । उन कार्यों को करने की परिस्थिति पैदा न हो या क्यो पैदा होती है

आदि बातो पर विचार तो अन्यत्र विस्तार से किया गया है कई बातो पर स्वतन्त्र लेख तक लिखे है । फिर भी इन सब बातो का यहा कुछ स्पष्टीकरण करना उचित है ।

१-गुडापन हटाने के लिये अधिक से अधिक कोशिश करना चाहिये । उन्हे दुःसगति से बचाना चाहिये सदाचार की शिक्षा देनी चाहिये । उनकी सामाजिक कठिनाइयो को दूर करने का उपाय खोजना चाहिये । पर जबतक ये उपाय नहीं हुए तबतक रक्षकदल की आवश्यकता है । और परिस्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि बहुत समय तक यह आवश्यकता रहेगी । जब सारा ग्राम ही रक्षकदल बन जायगा तब रक्षक दल की अलग जरूरत न पड़ेगी ।

(२) गुडो के पीछे रहनेवाले सम्य गुडो को भी गुडा समझना चाहिये और उनको ठिकाने लाने के लिये भी कोशिश होना चाहिये ।

३-रक्षक दल होने का यह मतलब नहीं है कि नारी उसी पर अवलम्बित रहे । नारी मे वीरना शक्ति और निर्भयता आना चाहिये उसके लिये भी कोशिश करना चाहिये । वह आततायी के प्राण ले सके और न ले सके तो अपने प्राण दे सके पर अत्याचार को सफल न होने दे, इतनी दृढता प्रत्येक नारी मे होना चाहिये । पर नारी को प्राण देने का अवसर न आवे इसके लिये रक्षक दल का उपयोग है ।

नि सन्देह पर-रक्षितत्व से परतन्त्रता आती है पर इस प्राणि जगत् मे योडी न योडी पर-रक्षितता और परतन्त्रता अनिवार्य बन गई है । हर आदमी को अपनी रक्षा करने मे समर्थ होना

चाहिये पर उसकी इस समर्थता की सीमा बहुत दूर नहीं है। उसे पुलिस की आवश्यकता पड़ती है और सरकार सरीखी सस्था का बोझ भी उसने उठाया है। व्यक्ति को जितनी सम्भव है उतनी शक्ति आत्मरक्षण के लिये पैदा कर लेना चाहिये पर बाढ़ में पररक्षितत्व आ ही जाता है। नारी के विषय में यह बात कुछ अधिक मात्रा में है। उसकी अंग रचना ऐसी है कि उस पर नर का आक्रमण हो सकता है। पशुओं में भी जहाँ नर और मादा किसी भी मनुष्य समाज की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र हैं, नर आक्रमणकारी देखा जाता है, फिर मानव समाज में तो यह बात कुछ अधिक ही होगी। मानव समाज में नर नारी का कार्यक्षेत्र कुछ ऐसा विभक्त है—और शान्ति और सुव्यवस्था की दृष्टि से वह बुरा नहीं है—कि नारी को कुछ और कमजोर हो जाना पड़ा है। किन्तु नारी को अधिक से अधिक बल-शालिनी तो होना ही चाहिये, जराजरासी बात में वह पुरुष का सहारा चाहे यह कमजोरी भी जाना चाहिये। फिर भी कुछ न कुछ सरक्षण की आवश्यकता तो है ही उसके लिये यह दल आवश्यक है।

४—दुर्भाग्य से भले आदमी का रूढ़ अर्थ पूँजीपति भी प्रचलित है पर यहाँ इस अर्थ में यह शब्द नहीं है। भले आदमी का अर्थ है सज्जन पुरुष, चाहे वह गरीब हो या अमीर। श्रीमान् भी सज्जन होते हैं और गरीब भी। श्रीमान् भी गुड़े होते हैं और गरीब भी।

५—रक्षक दलको सशस्त्र तालीम अवश्य देना चाहिये। यह राष्ट्ररक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। पर शस्त्रों का उपयोग सम्भल कर ही करना चाहिये। जहाँ जातीय दंगे हो वहाँ

शस्त्रोंके उपयोग से समस्या और जटिल हो जायगी। पशु बल या शस्त्रों का उपयोग नारी रक्षण आदि नैतिक कार्यों में ही करना चाहिये।

६—साधारणतः दल को अहिंसक रहना चाहिये। खास कर घर के जातीय झगड़ों में। पर गुडापन रोकने के लिये हिंसा का भी उपयोग किया जा सकता है।

७—नारी के विषय में जो पक्षपात—पूर्ण मनोवृत्ति समाज में घुस गई है वह अवश्य जाना चाहिये। इसके विषय में मैं विस्तार से अनेक बार लिख चुका हूँ।

नारी को सनाया जाय और वही भ्रष्ट समझी जाय इससे बढ़कर अधेर और क्या होगा। उसके विषय में हमारी सहानुभूति बढ़ना चाहिये और साथ ही अपनी असावधानता पर हमें लज्जित होना चाहिये और आक्रमणकारी को दंड देना चाहिये। पर होता है इमसे उल्टा यह अन्धेर जाना चाहिये।

रक्षक दल की रूप रेखा और कार्य-क्षेत्र के विषय में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है पर हर जगह ऐसे रक्षक दल की आवश्यकता है। स्त्री को न तो पशु बनाना चाहिये न बिलमुल्ल अरक्षित छोड़ना चाहिये। यह निरतिवाद है।

सन्देश छट्ठा

वेद कुरान पुरान मूत्र पिटक वाइबिल आवस्ना ग्रंथ साहब आदि किसी भी शास्त्र की दुहाई दूमरों के अधिकार या सुविवाओं में बाधा डालनेवाली या किसी को विशेषाधिकार दिलानेवाली न समझी जाय। कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय युक्ति और अनुभव के आधार पर लोकहित की कसौटी पर कसकर किया जाय।

भाष्य—इन धर्मग्रन्थों ने एक जमाने में लोगों की बहुत भलाई की है और इनके भीतर ऐसे नैतिक उपदेश भरे हैं जो आज भी हितकारी हैं। पर उनमें ऐसी बातें भी हैं जो उसी समय के लिये उपयोगी थीं। आज अगर उनका उपयोग किया जाय तो दूसरों के अधिकारों में बाधा आ सकती है। देशकाल को देखकर विविध विधान बनाना चाहिये। आजके युग में आज की परिस्थिति देखकर विधान बनाना चाहिये। सैकड़ों हजारों वर्ष पुराने विधानों में से तो कुछ चुने हुए विधान ही काम में लाना चाहिये।

अपने अपने धर्मग्रन्थों पर जोर दिया जाय और अक्षरशः पालन किया जाय तो सत्यासत्य का निर्णय हो ही न सके क्योंकि वस्तुस्थिति को कोई न देखे अपनी अपनी बात पकड़ कर सत्र रह जाय। हमें यह याद रखना चाहिये कि धर्म शास्त्र अपने नैतिक विकास के लिये हैं दूसरों के ऊपर अपना बोझ लादने के लिये नहीं।

इस सन्देश पर भी कुछ सूचनाएँ आई हैं—
एक सूचना यह है कि इन ग्रन्थों की पुनर्रचना की जाय। इस बात पर मेरा ध्यान बहुत दिन से है। बल्कि सत्यसमाज के पहिले मैंने यही काम शुरू किया था। बल्कि इन धर्मग्रन्थों के सार लिखे जाना चाहिये और इन पर समयोपयोगी समझावी टिप्पणियाँ भी लिखी जानी चाहिये। टिप्पणियाँ ऐसी हो जिससे लोगों की शास्त्रान्धता नष्ट हो जाय और विवेक या विचार-शक्ति जाग्रत हो।

शास्त्रों के विषय में न तो अन्वश्रद्धा रखी जाय न उनका सर्वथा बहिष्कार किया जाय। यह निरतिवाद है।

संदेश सातवाँ

नारी, नारी होने के कारण ही किसी अवि-कार से वञ्चित न रखी जाय। शारीरिक भेद के कारण कार्यक्षेत्र का भेद व्यवहार में रहे कानून में नहीं। दायभाग में नारी का अधिकार बढ़ाया जाय। विधवाविवाह विधुरविवाह के समान समझा जाय। बहुपत्नीत्व की प्रथा कानून से वन्द कर दी जाय।

भाष्य—नर-नारी-सम्बन्ध एक ऐसी विकट समस्या है जो कानून के बल से सुलझ नहीं सकती। खासकर घर के भीतर तो यह और भी जटिल है। फिर भी इसकी रूप रेखा पर कुछ अंकुश लगाये जा सकते हैं। खासकर सामाजिक जीवन में तो इसको बहुत स्पष्ट किया जा सकता है। निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है।

१-धारासभाएँ, म्युनिसिपल आदि सस्थाओं में, शिक्षा विभाग तथा अन्य प्रबन्ध विभाग में भी नारी में भेदभाव न रखा जाय। अव्यक्त पद वगैरह भी स्त्रियों को दिये जाय। हा, योग्यता का विचार तो सर्वत्र आवश्यक है।

२-आर्थिक अधिकार 'नारीका अविहार' इस शीर्षक के वर्णन के अनुसार रखा जाय।

३-विधवाविवाह का अविहार पूरा हो और इससे उसके स्त्रीजनमें बाधा न आवे।

४ तलाक के रिवाज को उत्तेजन न दिया जाय परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्देश किया जाय जब नारी तलाक दे सके। नारीको तलाक देने की सुविधा जितनी मिले पुरुष को उसमें कुछ कम मिले अथवा यह नियम और जोड़ दिया जाय कि परिन्यक्त नारी जब तक अपना दमारा

विवाह न करले तब तक उसके भरण पोषण का भार उसी पुरुष पर रहे जिसने तलाक दिया है । पर इसका निर्णय न्यायालय करे ।

५-बहुपत्नीत्व की प्रथा जाना चाहिये । अगर किसी कारण से अपवाद रूप में रहे तो उसके साथ अपवाद रूप में बहुपत्नित्व की प्रथा भी रहे अथवा नियोग का सुभीता मिले । जैसे कोई पुरुष सन्तान के लिये दूसरी शादी करना चाहता है तो करे, परन्तु उसकी पत्नी को सन्तान के लिये नियोग करने का सुभीता हो । अच्छी बात यही है कि न बहुपत्नित्व रहे न बहुपत्नीत्व ।

६-शिष्टाचार में नरनारी का समान दर्जा हो । योग्यताभेद से जो शिष्टाचार के रूपमें परिवर्तन होता है वह बात दूसरी है ।

बड़ी बड़ी बातों में यो कानून या लोकनीति कुछ अकुश लगा सकते हैं पर घर की बातों में परस्पर का त्याग और प्रेम ही बड़ा कानून है । इसके बिना कोई भी कानून नर नारी की समस्या को नहीं सुलझा सकता ।

हा, वातावरण ऐसा अवश्य होना चाहिये कि जो पुरुष को उद्बुध बनाने से रोके । नारीको मार बैठना, अमर्याद गालियाँ बकने लगना, सब के सामने तीव्र अपमान कर बैठना आदि बातें अत्यन्त निन्द्य समझी जाना चाहिये । इन बातों पर भी कानून नियन्त्रण नहीं कर सकता पर लोकनीति नियन्त्रण कर सकती है ।

पुरुष पशुबल में अधिक है इसलिये उसके अधिकार अधिक हों और नारी निर्बल है इसलिये उसके अधिकार कम हो यह दृष्टि जाना चाहिये ।

इन सब समताओं के होने पर भी नारीका कार्यक्षेत्र घर के भीतर है और पुरुष का बाहर-

जरूरत होने पर नारी को बाहर के काम भी करना चाहिये और पुरुष को भीतर के । नर नारी में समता रहे और विषमता का समन्वय रहे यही निरतिवाद की दृष्टि है ।

संदेश आठवाँ

हिन्दू, मुसलमान, जैन, ईसाई, पारसी आदि के दायभाग के नियम जुदे जुदे न रहे । इस विषय में नर नारी के अधिकारों की समानता जितनी अधिक सम्भव और व्यवहारोचित है उसी के अनुसार कानून बनाया जाय जो सभी सम्प्रदाय और जातियों के व्यक्तियों पर एकसा लागू हो । इसकी रूपरेखा शास्त्रों के आधार से नहीं किन्तु लोकहित और शक्यसमानाधिकार के आधार से बनना चाहिये ।

भाष्य-फौजदारी कानून सबको एक सरीखे हैं दीवानी कानून सबको एक सरीखे है फिर दायभाग का कानून सब को जुदा जुदा क्यों हो ? जुदे जुदे शास्त्रों में दायभाग के कानून जुदे जुदे मिलते हैं उसका कारण यह है कि वे एक ही समय और एक ही जगह के बने हुए नहीं हैं । शास्त्रों ने उस समय के कानून में फेरफार करके सुधार अवश्य किया और उससे जन-समाज को लाभ पहुँचाया पर आज जब कि सब एक जगह आ गये हैं तब उन सबसे अच्छा दायभाग कानून क्यों न बनाया जाय ? एक हिन्दू ही सिर्फ इसी-लिये मनुष्योचित अधिकारों से वञ्चित रहे कि वह हिन्दू कुटुम्ब में पैदा हुई इस प्रकार का अन्याय कदापि न रहना चाहिये ।

उत्तराधिकारित्व का प्रश्न किसी एक सम्प्रदाय का या जातिका प्रश्न नहीं है वह मनुष्य-मात्र का प्रश्न है इसलिये मनुष्योचित दृष्टि से ही उसका विचार करना चाहिये । इसमें किसी की

हानि क्या है। इससे उत्तराधिकारित्व की जटिलताएँ कम हो जायगी। और बहुत से लोग जाति सम्प्रदाय रीति रिवाज आदि के विषय में न्यायालय में कुछ का कुछ साबित करते हैं वह सब झगडा दूर हो जायगा। सम्प्रदाय और जातियों को जो अनुचित महत्त्व प्राप्त है वह भी नष्ट हो जायगा। हर एक सम्प्रदाय के दायभाग में जो त्रुटियाँ, या व्यक्ति के प्रति अथवा नारी के प्रति अन्याय है, वह नष्ट हो जायगा।

कोई कह सकता है कि हमको अपनी सम्पत्ति इसी तरह बाटना है। कानून किसी खास तरह बाटने के लिये जोर क्यों दे ?

पर इस के लिये कोई मनुष्य सम्पत्ति का 'विल' अपनी इच्छा के अनुसार बना सकता है। वर्तमान में ही यही सुभीता है। उत्तराधिकारित्व तो किसी एक कानून से ही दिया जाता है, चाहे हिन्दू कानून हो या मुसलिम कानून। जब कानून का सहारा अनिवार्य है तब इस विषय में एक सब से अच्छा कानून क्यों न बनाया जाय।

हमारे कानून में तो ये सुभीते हैं और अमुक के कानून में तो ये सुभीते नहीं हैं इस प्रकार की शिकाएँ भी निर्मूल हैं क्योंकि जो नया कानून बनेगा उसमें आज के सभी कानूनों की अच्छाइयाँ शामिल की जायगी। वह किसी एक वर्गशास्त्र के आधार पर न बनेगा बल्कि सभी धर्मों में से अच्छी अच्छी बातें चुनी जायगी। साथ ही लोकहित का विचार किया जायगा।

आज जो किसी को अत्यधिक सुविधाएँ हैं किसी को अत्यधिक असुविधाएँ, इन दोनों को हटाकर सब को समान सुविधाएँ मिले ऐसा प्रयत्न होना चाहिये।

सन्देश नववाँ

प्रत्येक विवाह सरकार में रजिस्टर्ड हो। हा, उसके पहिले या पीछे विवाह की विधि इच्छानुसार की जा सकती है। कानून की वे सब धाराएँ उठा देना चाहिये जो एक जाति का दूसरी जाति में (अनुलोम या प्रतिलोम) एक सम्प्रदाय का दूसरे सम्प्रदाय में वैवाहिक संबंध होने में बाधा डालती है। किसी भी तरह का विवाह हुआ हो सब में गोद लेने का अधिकार रहे। विधवा को भी रहे।

भाष्य--इस विषय में कई सूचनाएँ आई हैं १--रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का जितना कम अकुश रहे उतना ही अच्छा। २--रजिस्ट्री सरकार नहीं, काजी या पुरोहित करे। ३--रजिस्ट्री के बाद विधि करना विडम्बना है दो में से एक कोई भी चीज रखी जाय। ४--गोद का रिवाज बिल्कुल उठा दिया जाय।

समाज शास्त्र में एक कसौटी का निर्देश आता है कि जो सरकार अधिक से अधिक सुव्यवस्था के साथ कम से कम अकुश रखे वही सरकार अच्छी है। इसलिये विवाह शादियों के विषय में सरकारी अकुश खटकना स्वाभाविक है। पर सरकारी अकुश और सरकारी सेवाओं का भेद ध्यान में रखना आवश्यक है। सरकार के कुछ काम तो नियन्त्रण सबधी हैं और कुछ काम सहायता या सेवासबधी। शिक्षण देना अस्पताल खोलना, मर्दुमशुमारी करना आदि अकुश नहीं किन्तु सेवाएँ हैं। रजिस्ट्री का काम इसी श्रेणी का है। रजिस्ट्री करने का सिर्फ यही मत लब है कि समाज को याद रहे कि इन दो व्यक्तियों का विवाह हुआ है। समाज के हाथ में यह काम

संदेश नववाँ

सौप देने से भी एक तरह से काम तो चल ही जाता है परन्तु कभी कभी बड़े झगड़े पैदा हो जाते हैं। एक दल कहता है कि इन दोनों का विवाह हो गया, एक कहता है नहीं हुआ और दोनों अपने अपने गवाह पेश करते हैं। रजिस्ट्री में ये झगड़े न रहेंगे। कभी कभी जबरदस्ती भी विवाह विधि कर दी जाती है। वर वधू दिखाये कोई जाते हैं और शादी किसी के साथ कर दी जाती है। बालविवाह-प्रतिवधक कानून तथा और भी ऐसे कानूनों को भग करके शादियाँ हो जाती हैं। रजिस्ट्री के रिवाज से ये झगड़े कम हो जायेंगे।

रजिस्ट्री का यह मतलब नहीं है कि सरकार के हाथ में विवाह का सूत्र दे दिया जाय। रजिस्ट्री का मतलब सरकार को विवाह का गवाह बना लेना है। जैसे बालक के पैदा होने और मरने की सूचना सरकार में कर दी जाती है और सरकार उसे रजिस्टर में लिख लेती है उसी प्रकार विवाह की सूचना भी लिख ली जायगी। हा, जन्म मरण की सूचना की अपेक्षा इस में कुछ अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। कोई स्वयं वश झूठी रिपोर्ट भी कर सकता है इसलिये वर वधू को रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होने या रजिस्ट्रार को घर बुलाने की आवश्यकता रहेगी।

काजी या पुरोहित से रजिस्ट्री कराने की कोई जरूरत नहीं। समाज में इन की आवश्यकता ही नहीं है। उन लोगों को आजीविका के लिये धधा मिल जायगा यह ठीक है पर रजिस्ट्री का उद्देश्य मारा जायगा। नाजायज विवाहों का समर्थन कर देना इनके लिये बड़ा सरल है। फिर भी अगर किसी सघ को अपना रजिस्ट्रेशन आफिस रखना है तो भले ही रखे पर

सरकारी रजिस्ट्री गवाही की दृष्टि से अनिवार्य

वर्तमान में रजिस्ट्री कराने में एक है। वह यह कि जिस विवाह की रजिस्ट्री जाती है उसके लिये एक जुदा ही [सिविल ला] लागू होता है। हिन्दू ला लिम ला आदि की अपेक्षा उसका कुछ जुदा है। पर रजिस्ट्रेशन की यह तभी तक है जबतक कि दायभाग आदि कानून जुड़े जुड़े हैं बाद में यह आपत्ति जायगी।

पर यदि अभी हिन्दू ला आदि अलग कानून उठाये न जा सकते हो तो भी पहिले रजिस्ट्री की सुविधा की जा सकती है सिविल ला के अनुसार होने वाले विवाहों ही रजिस्ट्री न की जाय किन्तु किसी भी तरह के विवाह की रजिस्ट्री की जाय और उस यह बात लिख दी जाय कि यह विवाह कानून के अनुसार हुआ है। इस प्रकार वैवाहिक कानून की अडचन दूर हो सकती है।

रजिस्ट्रेशन के आगे पीछे विधि या उत्सव करना विडम्बना कही जा सकती है पर इस में कोई विडम्बना की बात मालूम नहीं होती। जब हमारे यहाँ वच्चा पैदा होता है तब उसकी खबर सरकार में कर दी जाती है पर इसीसे हमारे कार्योंकी इतिश्री नहीं हो जाती। हम उत्सव भी मनाते हैं और भी आवश्यक क्रियायें करते हैं इसी प्रकार विवाह की बात है। विवाह के कानूनी रूप के लिये रजिस्ट्रेशन है और वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का अनुभव करने और समाज की भी गवाही लेने के लिये विवाहोत्सव मनाना चाहिये। जब कभी राज्यक्रान्ति आदि होने से सरकारी रजिस्ट्रार न मिले तो समाज

की गवाही काम आयगी । इस प्रकार विवाह का रजिष्ट्रेशन जरूर हो, विशेष विधि या उत्सव स्वेच्छा पर निर्भर रहे ।

गोद का रिवाज कोई हानिकारक नहीं मालूम होता । अपना बच्चा तभी गोद दिया जाता है जब वह किसी श्रीमान् के घरमे जाता है । गोद मे जाने से बच्चे के हित की कोई हानि होने की संभावना नहीं है । नुकसान तो बच्चे के माता पिता का हो सकता है सो वह तो अपना नफा नुकसान विचार कर दे ही रहा है । इस प्रकार न तो बच्चे की हानि है न गोद देने वाले और लेनेवाले पर कोई जबरदस्ती है ऐसी हालत मे गोद के रिवाज से अगर किसी की पुत्रपणा शात होती है तो क्या हानि है ? वह सतान पैदा करने के लिये दूसरी शादी करना चाहे पत्नी पर अप्रसन्न रहे या उत्तराधिकारी के अभाव मे दुखी रहे इससे तो यही अच्छा है कि वह किसी बालक या युवकको गोद लेले । इस कार्य मे किसी के साथ कोई जबरदस्ती तो होती ही नहीं कि अन्याय हो जाय । इस प्रकार गोद लेने की प्रथामे कोई बुराई नहीं मालूम होती ।

हा, कही कहीं पर पुरुष को गोद लेने का अधिकार है और स्त्री को नहीं है यह बात अवश्य ही अनुचित है । यह पक्षपात जाना चाहिये ।

विवाह सस्था मे जो जाति या सम्प्रदाय आदि के नाम पर बधन है वह एक तरफ का अतिवाद है और अनमेल विवाहादि की जो छूट है वह दूसरी तरफ का अतिवाद है । निरतिवाद अनमेल विवाहों का और अनुचित बधनो का विरोधी है ।

सन्देश दसवों

व्यभिचार घृणित समझा जाय परन्तु व्यभिचारजात सन्तान घृणित न समझी जाय । समाज मे इसके अधिकार पूरे रहे ।

भाष्य--बहुत से लोगो का ऐसा भ्रम है कि व्यभिचार पाप होकर के भी क्षम्य है जब कि व्यभिचारजातता क्षम्य नहीं है । इसलिये व्यभिचारियो को तो शुद्ध करके सामाजिक अधिकार दे दिये जाते हैं पर व्यभिचारजातो को सदा के लिये अलग कर दिया जाता है । यह पूरा अधेर है । जिन स्त्री पुरुषो ने व्यभिचार किया वे ही दोषी है उनको ही दंड देना चाहिये । व्यभिचार से पैदा होनेवाले बच्चे का क्या दोष है । इसलिये उसे तो धर्म, समाज, राष्ट्र के जितने अधिकार है सब मिलना चाहिये । एक निरपराधी को दंड देना अन्याय है । हा, व्यभिचारजातता से उसमे बल बुद्धि सौन्दर्य सदाचार आदि मे कोई त्रुटि होती हो तो उसका फल उसे आपसे ही मिल जायगा उसके लिये दंड देने की जरूरत नहीं है । पर यह भूलना न चाहिये कि व्यभिचारजातता से बल बुद्धि आदि मे कोई त्रुटि नहीं होती ।

कोई यह संमंशते है कि इससे व्यभिचार पर रोकथाम लगती है पर बात यह नहीं है । एक आदमी व्यभिचार से इसलिये नहीं डरता कि व्यभिचार से सन्तान पैदा होगी और उसे सामाजिक अधिकार न मिलेगे । बल्कि इसलिये डरता है कि सन्तान होने से व्यभिचार का प्रबल प्रमाण समाज के हाथ मे आजायगा इसलिये मैं सजा पाऊंगा और बदनाम हो जाऊंगा । इसी डर से वह भ्रूण हत्या करता है । जब हत्या करने का डर नहीं है तब सन्तान के अनधिकारी होने का

उसे क्या डर होगा । बल्कि व्यभिचारजात सन्तान अधिकारी न होने से उसका डर कम हो जाता है । जब व्यभिचारजात सन्तान सम्पत्ति की उत्तराधिकारी होने लगेगी तब व्यभिचार करना कुछ कठिन ही हो जायगा ।

परन्तु इससे कुटुम्ब कलह बढ़जाँयेगे । पुरुष के अपराध के कारण उसकी पत्नी सन्तान आदि के साथ अन्याय होगा इसलिये साम्प्रतिक अधिकार के विषय में कुछ नियम बनाना होंगे ।

१-व्यभिचार करनेवाले अगर दोनों ही अकेले हो (पतिहीन और पत्नीहीन) तो साम्प्रतिक उत्तराधिकारित्व का नियम लागू हो । और दोनों पतिपत्नी माने जाँय । अगर सधवा और सपत्नीक व्यभिचार करे तो वे अपराधी समझे जाँय और उनका सम्बन्ध तुड़ा दिया जाय ।

२-वेद्यों के विषय में दाम्पत्य बनाने का नियम लागू न हो ।

किसी का उचित अधिकार मारा न जाय इसके लिये आवश्यक उपनियम और भी बन जाँयेगे । पर साधारण बात यह है कि व्यभिचार बुरा होने पर भी बेचारी व्यभिचारजात सन्तान बुरी न समझी जाय । व्यभिचार को रोकने के लिये जो दंड और शिक्षण की आवश्यकता हो वह अवश्य दिया जाय ।

कहा जा सकता है कि हरएक युवक और युवती को विवाहित होना अनिवार्य कर दिया जाय और जो विवाह न करे वह टेक्स दे । ऐसा होने पर व्यभिचार रुक जायगा ।

परन्तु व्यभिचार तो इस अवस्था में भी नहीं रुक सकता, हा, कम अवश्य हो सकता है । पर जो मनुष्य इतना पैदा न कर सकता हो कि वह पत्नी और सन्तति का पालन कर सके उसे जब-

र्दस्ती विवाह के लिये तैयार करना एक असफल दाम्पत्य का निर्माण करना है । इसलिये अगर टेक्स लगाना हो तो कुछ आमदनी का नियम रखना होगा कि अविवाहित कर चालीस या पचास रुपया से अधिक मासिक आमदनी वाले को लगाया जाय । फिर भी जो व्यभिचार हो उस पर यथोचित दंडादि व्यवस्था की जाय । यहाँ एक बात और ध्यान में रखना चाहिये कि जब तक देशमें जन सख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है तब तक विवाह के लिये विवश करना ठीक नहीं मालूम होता । खैर,

व्यभिचार की छुट्टी दे देना और मनुष्य को पशु कोटि में जाने देना एक प्रकार की अति है, और व्यभिचार रोकने के लिये व्यभिचारजात सन्तान का गला घोटना दूसरे प्रकार की अति है । निरतिवाद व्यभिचार रोकना चाहता है पर व्यभिचारजात की रक्षा करना चाहता है ।

संदेश ग्यारहवाँ

एक देश दूसरे देश पर एक जाति दूसरी जाति पर एक प्रान्त दूसरे प्रान्त पर शासन न करे । भौगोलिक सीमाओं के आधार पर राष्ट्रो का निर्माण हो और शासन की स्वतन्त्रता उस देश की जनता को रहे ।

भाष्य—पहिले सन्देश की अगर पूर्ति होजाय तो इसकी आवश्यकता बहुत कम रह जाती है । पर जब तक पहिले सन्देश की पूर्ति न हो तब तक इसकी आवश्यकता ताँ है ही साथ ही प्रथम सन्देश की पूर्ति के बाद भी है । प्रथम सन्देश से इन सीमाओं के अन्दर रोटी बेटी व्यवहार की खुलासी मिलती है परन्तु ऐसी भी परिस्थितियाँ हैं जब रोटी बेटी व्यवहार की खुलासी होजाने पर भी शास्य शासक का भेद बना रहता है । पहिला

सन्देश सामाजिक एकता के लिये है और यह राजनैतिक एकता तथा बराबरी के लिये है । एक दूसरे के पूरक तो है ही ।

व्यक्ति व्यक्ति पर आक्रमण करता है उससे समाज में अशान्ति पैदा होती है और नम्बर बार दोनो सताये जाते हैं यही बात राष्ट्रों और प्रान्त आदि के विषय में भी है ।

भारत में जब जब किसी एक प्रान्त का उत्थान हुआ तभी उनमें दूसरों को गिराने की चेष्टा की या उनपर अधिकार जमाया इससे उनका पतन हुआ और दूसरों का भी हुआ । मराठों का, राजपूतों का सब का ऐसा ही इतिहास है ।

आज बंगाली, महाराष्ट्री, गुजराती आदि भेदों को मुख्य बनाकर एक प्रान्त दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करना चाहे राष्ट्रीय हित को गौण करके प्रान्तीयहितों को मुख्यता दे तो भारत का सर्वनाश हो जाये । इनमें जो भापा और रहन सहन के भेद हैं वे ऐसे नहीं हैं जो अमिट हों । वृथा-भिमान की पुष्टि के लिये राष्ट्रीयता और मनुष्यता की हत्या न करना चाहिये ।

जो बात प्रान्तों के लिये है वही बात राष्ट्रों के लिये भी है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रपर आक्रमण करना चाहता है इसके लिये दोनों ही अपनी सारी ताकत शस्त्रास्त्रों के बढ़ाने में लगा देते हैं । राष्ट्र में जनकल्याण के कार्य किनारे रह जाते हैं और नरसंहार की तैयारी होने लगती है और कभी कभी लाखों का सहार हो जाता है । जब तक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबाये रखना चाहेगा या दबायेगा तब तक आदमी चैन से न रह पायगा ।

आदमी में अगर थोड़ी भी आदमियत हो तो वह राष्ट्र प्रान्त जाति आदि के नामपर वृथा-

भिमान न करे । अपना स्वार्थ देखता हो तो देखे परन्तु एक कल्पित समानता के नामपर एक गिरोह के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझकर मनुष्यता का खून क्यों करे ? कुटुम्ब और मनुष्य के बीचके जितने भेद हैं उन्हें संघर्ष का कारण क्यों बनाये ?

इतनी साधारण समझदारी यदि आजोवे तो जगत के राजनैतिक झगड़े निर्मूल हो जावे । राष्ट्र आदि प्रबन्ध के सुभीते के लिये रह जाय । जैसे एक ही शासन के नीचे ग्राम तहसील और जिले निर्विरोध रहते हैं उसी प्रकार प्रान्त और राष्ट्र भी हो जावे । इसमें सभी का कल्याण है ।

अपने देश को पराधीन रखना या दूसरे देश को पराधीन करना दोनों ही अनुचित हैं । स्वतंत्र रहो और दुनिया को स्वतंत्र रखो यह निरतिवाद है ।

सन्देश बारहवाँ

किसी व्यक्तिको अगर दूसरे देशमें जाकर बसना हो तो उसे वहाँ बसने का पूरा अधिकार निम्न शर्तों पर रहना चाहिये ।

[क] वहाँ की भाषा को अपनाना होगा ।

[ख] उस देश के निवासियों के साथ रोटी बेंटी व्यवहार को अपनाकर सामाजिक एकता स्थापित करलेना होगी ।

[ग] अपनी जुदी सस्कृतिका दावा न करना होगा और न कोई विरोधाधिकार की माँग उपस्थित करना होगी ।

[घ] बाहर से आकर बसे हुए अन्य लोगों के साथ मिलकर ऐसा कोई गुट न बनाना होगा जो उस देश के निवासियों पर आक्रमणात्मक सिद्ध हो सके ।

भाष्य—जिस समय वह सुवर्ण युग आ जायगा जब राष्ट्रीयता की भी सीमाएँ नष्ट हो जाँयगी तब की बात दूसरी है परन्तु जब तक ये हैं तब तक यह सन्देश उपयोगी है ।

यहा यह बात ध्यान में रखने की है कि जो लोग सैकड़ों वर्षों से जहा बसे हुए हैं उनको अपने घर लौटाना नहीं है । उनका घर तो अब वही है जहा वे सैकड़ों वर्षों से बसे हुए हैं । पर हा, अगर उनमें से कोई यह मानता हो कि जहा हम बसे हुए हैं वह हमारा देश नहीं है, हमारा देश तो वही है जहा से हमारे पूर्वज आये थे तो ऐसे आदमी को बसे हुए देश में नागरिक अधिकार नहीं दिये जा सकेंगे । जो आदमी जिस देश का नागरिक बनना चाहता है उसका फर्ज है कि वह उस देश को सब से अधिक प्यार करे अथवा विश्ववन्धुत्व की भावना तीव्र हो गई हो तो ससार के समस्त देशों को बराबरी की नजर से देखे । मुख्य बात यह कि जो जहा का नागरिक हो वह वहासे अविक किसी दूसरे देश को प्यार न करे । अगर वह व्यवहार में इस भावना को नहीं बताता है तो वह सिर्फ यात्री की तरह रह सकेगा नागरिक की तरह नहीं ।

हा, इसमें सन्देह नहीं की बाहर के नये नये प्रभावों से सस्कृतियों की सुन्दरता और उपयोगिता बढ़ती है इसलिये सस्कृतियों का बहिष्कार नहीं किया जा सकता पर सस्कृति के दावा की मनाई अवश्य की जा सकती है । अच्छी बात का प्रचार अच्छेपन के कारण होना चाहिये सस्कृति के नाम पर नहीं ।

सस्कृति शब्द का जो मूल अर्थ है उसका तो किसी से विरोध नहीं है । परन्तु सस्कृति का अर्थ रहनसहन तथा और बहुत से रीतिरिवाज

भी बन गया है । इन सब बातों को हम तीन श्रेणियों में बाट सकते हैं । १ नैतिक २ अनैतिक ३ तटस्थ । तटस्थ की भी दो श्रेणियाँ होगी—

क—जिन का दूसरों से कोई सर्घर्ष नहीं है ।

ख—जो सर्घर्ष पैदा करनेवाली है ।

१—स्त्रियों का सम्मान करना माता पिता का आदर करना शाकाहारी होना आदि नैतिक सस्कृतियाँ हैं । इनके दावा करने का कोई विरोध नहीं किया जा सकता । और न किसी देश में जाने पर इनका निषेध ही किया जा सकता है । अगर किसी जगली देश में हम पहुँच जाँय जहा लोग माँ बाप को मार डालते हो या बेच देने हो तो हमारा कर्तव्य इस अनैतिक सस्कृति को अपनाना न होगा ।

२—इसी प्रकार अगर हमारे में कोई उपर्युक्त अनैतिक सस्कृति हो और हम ऐसे देश में जाँय जहा ऐसी अनैतिक सस्कृति न हो तो उस देश के नागरिक बनने के लिये हमें उस अनैतिक सस्कृति का त्याग कर देना चाहिये ।

३ क—इस श्रेणी में वेप भूषा खानपान आदि का समावेश होता है । खानपान पहिरने ओढ़ने की मनुष्य को स्वतन्त्रता होना ही चाहिये परन्तु इस में दो बातों का खयाल अवश्य रखना होगा कि हमारी यह स्वतन्त्रता सामूहिक हित में आड़े न आवे । मानलो किसी आदमी को शराब पीना है और उस देश के लोग शराब को स्वास्थ्यनाशक धननाशक आदि होने से बंद कर देना चाहते हैं ऐसे समय में सस्कृति की दुहाई देकर उस देश की प्रगति में बाधक नहीं होना चाहिये । अगर आपको उस में अच्छाई मालूम होती है तो आप युक्ति और अनुभव के आधार पर उसकी

अच्छाई सिद्ध करे परन्तु सस्कृति की दुहाई देकर ऐसा न करे ।

वेपभूषा के विषय में भी यही बात है । आप जैसा चाहे वेप रखे पर रखे सुविधा आराम या आदत के नाम पर । अपनी सस्कृति के जुदेपन के नाम पर नहीं ।

३ ख—बहुत सी बातें सर्घर्ष पैदा करनेवाली हैं । मानलो एक देश में आदमी खुले आम नगे नहाते हैं । वहाँ के आदमी यहाँ के निवासी बन गये । यहाँ की परिस्थिति के कारण उनको नगे नहाने से कानूनन मना किया गया और उनसे अपनी सस्कृति की दुहाई देकर चिल्लाना शुरू किया तो यह ठीक नहीं है । इसी प्रकार नरबलि खुले आम पशुवध या और भी ऐसी बातें जो घृणित या पर-पीडक हैं उन्हें सस्कृति के नाम पर मढ़ना ठीक नहीं ।

भाषा लिपि आदि के विषय में उस देश की भाषा और लिपि को अपनाना चाहिये । हा, यह बात अवश्य है कि भाषा दो चार दिन में नहीं आती । उमर अधिक होने पर उसका सीखना—अच्छी तरह सीखना—कठिन हो जाता है इस प्रकार असमर्थता के नाम पर कोई देश की भाषा का उपयोग न कर सके तो बात दूसरी है परन्तु अगर नागरिक बनना हो तो अवश्य उसी देश की भाषा सीखना चाहिये । अपनी सस्कृति की दुहाई देकर वहाँ की भाषा से घृणा या असहयोग न करना चाहिये ।

हा, उस देश की भाषा या लिपि में अगर त्रुटि हो तो उसे सुधारने का प्रयत्न किया जा सकता है । अगर दो में से किसी एक का चुनाव करना हो तो मैं और तू के आधार पर चुनाव न करना चाहिये किन्तु अच्छेपन के आधार पर चुनाव करना चाहिये ।

भाषा या लिपि के नाम पर अहंकार की पूजा करने में कुछ लाभ नहीं है अगर हमारी भाषा या लिपि में कुछ खराबी है तो वह हमें भी तो अडचन उपस्थित करेगी । झूठे अहंकार के कारण सैकड़ों वर्षों के लिये वह अडचन बनाये रखने में कौनसी बुद्धिमानी है । जो व्यस्क है उनकी बात जाने दे शायद वे नई भाषा या लिपि ग्रहण न कर सके पर जो बच्चा पैदा होता है वह तो कोरे कागज के समान है उस पर जो पहिले लिख दोगे वही लिख जायगा । उसे क्यों अहंकार का शिकार बनाया जाय । जो अच्छी लिपि या भाषा देश के लिये उपयोगी और काम चलानेवाली हो वहाँ सिखाई जाय । एक पीढ़ी बाद सारा सर्घर्ष दूर हो जायगा और कोई अडचन न रहेगी ।

यहाँ राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि का प्रश्न भी जटिल बना हुआ है । जिस में भाषा का प्रश्न तो व्यर्थ सा है । जिसे हम हिन्दी कहते हैं जिस का दूसरा नाम खड़ी बोली है उसमें हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों का हाथ बहुत है । बल्कि गावों में तो उसे अभी भी मुसलमानी भाषा कहते हैं । बुंदेलखंड के गावों में जब कोई शुद्ध हिन्दी या खड़ी बोली बोलता है तब लोग यह कह कर निंदा करते हैं कि अब तू तुडकी—तुर्की—मुसलमानी सीख गया । पर वही तुडकी आमतौर पर लिखी जाती है । उस तुडकी—शुद्ध हिन्दी—खड़ीबोली में भारत के बाहर के बहुत से शब्द मिलकर आम लोगों के पास पहुँच गये हैं । उनको निकालने की जरूरत नहीं है बल्कि और भी जो नये शब्द जरूरी हों उनको अपना लेने की जरूरत है । परन्तु जान बूझकर सस्कृत या अरबी फारसी के कठिन शब्द ठूसना

अनुचित है। खैर, हिन्दी उर्दू का व्याकरण एक होने से भाषा की चिन्ता नहीं है साधारण जनता उसे आप ही ठीक कर लेगी। रहा लिपि का प्रश्न। सो भारत के बाहर की लिपि को भारत में प्रचलित होने का नैतिक हक नहीं है। फिर भी अच्छाई की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। सो लिखना पढ़ना और प्रेस तीनों दृष्टियों से उर्दू लिपि ठीक नहीं है। रोमन लिपि प्रेस की दृष्टि से ठीक है पर पढ़ने की दृष्टिसे उस में भी काफी खराबी है। और लिपि में शुद्ध पढ़ना ही सब से महत्त्व की बात है। नागरी आदि लिपियों में शुद्ध पढ़े जाने का गुण असाधारण है। योड़ी सी त्रुटि है जो सरलता से दूर की जा सकती है पर प्रेस की दृष्टि से रोमन की अपेक्षा खराब है। इसलिये इस दृष्टि से इसमें काफी सुधार की जरूरत है। अथवा कोई ऐसी लिपि बनाना चाहिये जो सर्व-गुणसम्पन्न हो। इस विषय में सस्कृति का प्रश्न व्यर्थ है। यह तो कुरुडि-पूजा है। हमें नये पुराने या अपने पराये का नहीं किन्तु अच्छाई का पुजारी बनना चाहिये।

खैर, नागरिकता का मतलब है कि उस देश में अपने को मिला देना। अहंकार आदि को राष्ट्र की बेदी पर चढ़ा देना। बाहर का आया हुआ आदमी अगर नागरिक तो बनना चाहता है पर उस देश को अपना नहीं चाहता तो उस देश में बसने का उसे नैतिक हक नहीं है।

जैसे वर्तमान में अंग्रेज लोग यहाँ बसे हुए हैं और नागरिक अधिकार भी उन्हें मिले हैं कुछ कुछ विशेषाधिकार भी पाये हुए हैं और कुछ कानूनी सुविधाएँ भी हैं परन्तु यह सब अन्याय है। यद्यपि एक देश का दूसरे देश पर शराब होना ही अन्याय है परन्तु यह एक दूसरे तरह

का अन्याय है। कोई अंग्रेज सरकारी नौकर बन कर यहाँ आता है तो आये, नौकरी करके चला जावे परन्तु यहाँ बसने पर उसे या व्यापारी अंग्रेजों को नागरिकता के अधिकार तबतक नहीं मिलना चाहिये जबतक वे इस देश को मातृभूमि समझकर प्यार न करने लगे और इस देश को उन्नत स्वाधीन और सुखी बनाने का प्रयत्न न करें।

मुसलमानों के विषय में यह प्रश्न खड़ा ही नहीं होता। पहिली बात तो यह है कि ये मुसलमान बाहर से आये हुए नहीं हैं। यही के निवासी हैं। धर्म-परिवर्तन कर लेने से नागरिकता के अधिकार नहीं मारे जा सकते। थोड़े बहुत जो मुसलमान बाहर से आये थे उनके वंशजों में ग़ायद ही ऐसा कोई हो जिस में मातृ-पक्ष द्वारा हिन्दू रक्त न बहता हो। इस प्रकार सैकड़ों वर्षों के निवास से वैवाहिक सम्बन्ध या रक्त-मिश्रण से मुसलमान लोग हिन्दुस्थानी ही हैं। हा, अगर कोई मुसलमान अपने को हिन्दुस्थानी नहीं कहना चाहता भारतमाता या मादरे हिन्द कहने से उसे चिढ़ है वह अपने को अभी भी अरब तुर्कस्थान आदि का नागरिक मानता है तो यह उसकी मर्जी है। माने, पर ऐसी अवस्थामें नागरिकता के अधिकार नहीं दिये जा सकते।

एक देशके आदमी दूसरे देश में बस ही न सके, यह एक अतिवाद है, और दूसरे देश में बसकर वहाँ अपनी राष्ट्रीयता को समर्पण न करना वहाँ के निवासियों में फूट का कारण बनना दूसरा अतिवाद है। निरतिवाद दोनों का निषेध करके उचित रूप में बसने का मार्ग बताता है।

सन्देश तेरहवों

राष्ट्रीयता का समर्थन वही तक होना चाहिये जहा तक वह दूसरे राष्ट्रों पर आक्रामणात्मक न हो।

भाष्य—जो देश राष्ट्रीयता की मंजिल तक ही अभी पूरी तरह नहीं पहुँचे हैं उन्हें तो राष्ट्रीयता अपना ध्येय बनाना चाहिये। जैसे भारत, चीन आदि देश हैं। परन्तु इटली, जापान, इंग्लैण्ड आदि राष्ट्रों की राष्ट्रीयता आक्रामणात्मक हो गई है। वह मनुष्य जाति के लिये अभिशाप है। इस शाप और पाप के कारण मनुष्य जाति को सैकड़ों वर्षों तक चैन न मिलेगी। आज एक राष्ट्र सताया जाता है कल वही बदला लेकर सतानेवाले को सताता है इस प्रकार अविश्वास और अशान्ति का राज्य छाया हुआ है। जनशक्ति और धन-शक्ति मनुष्य के सहार में लग रही है।

अगर किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो किसी उपाय से सतति-नियमन करना चाहिये अगर वह न हो सकता हो तो बारहवें सन्देश के नियमानुसार दूसरे देशों में-जहा बसने की गुंजायश हो-बस जाना चाहिये। पर वहा बसने के लिये उन देशों पर आक्रमण कर बैठना, उन देशों को गुलाम बनाना, वहा के नागरिकों की सम्पत्ति छीन कर अपने देशवालों को दे देना अत्याचार और बर्बरता है। यह इस बात का दुखद प्रमाण है कि सामूहिक रूप में भी मनुष्य अभी जानवर है। यह जानवरपन जाना चाहिये।

सन्देश चौदहवों

ऐसे राष्ट्रों का जो किसी दूसरे राष्ट्रों को पराधीन नहीं बनाना चाहते न बनाये हुए हैं—एक राष्ट्रसंघ हो। जिसमें जन-संख्या के अनुसार प्रतिनिधि लिये जावे। ये राष्ट्र आपस में आक्रमण न करें। झगडा होनेपर राष्ट्रसंघ के

न्यायालय से न्याय करावे। अगर बाहर का कोई राष्ट्र राष्ट्रसंघ के किसी राष्ट्रपर आक्रमण करे तो सब मिलकर उसका बचाव करे। इस प्रकार धीरे धीरे दुनिया के समस्त राष्ट्रों में सुलह शान्ति कायम की जाय।

भाष्य—वर्तमान में जो यूरप में राष्ट्रसंघ है वह तोड़ देना चाहिये। उसने कमजोर राष्ट्रों को बोखा देकर गुलाम बनाने में मदद ही पहुँचाई है। जैसा कि एबीसीनिया के मामले में हुआ और चीन के विषय में भी हुआ। जब तक राष्ट्रसंघ का कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रपर सवार होगा तब तक राष्ट्रसंघ एक नपुंसक सस्था ही रहेगा। उसके न होने से एक लाभ यह होगा कि निर्वल राष्ट्र उमके भरोसे ठगे न जाँयेंगे। भारत सरीखे गरीब देशों को अपनी तिजोरी में से रुपया देकर इस राष्ट्रसंघ सरीखी विश्वासघाती सस्थाको पोषण देना ठीक नहीं। इसलिये भारत को उससे अलग हो जाना चाहिये। भले ही साम्राज्यवादी देश उसको बनाये रखे। यदि भारत सरकार राष्ट्रसंघ से सम्बन्ध-विच्छेद न करे तो कांग्रेस सरीखी सस्थाको सम्बन्ध-विच्छेद घोषित कर देना चाहिये।

राष्ट्रसंघ में जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधि इस तरह हो।

५ करोड तक	१ प्रतिनिधि
१५ करोड तक	२ ”
३० करोड तक	३ ”
५० करोड तक	४ ”
५० करोड के उपर	५ ”

पाच से अधिक प्रतिनिधि किसी राष्ट्र के न हो। जिन देशों में प्रजातन्त्र सरकारें हैं उन देशों में सरकार ही प्रतिनिधि भेजे। जहा सरकार प्रजानुमोदित नहीं हैं वहा की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय

स्था प्रतिनिधि भेजे । जो राष्ट्र साम्राज्यवाद की नीति के विरुद्ध हैं उन सबको यह राष्ट्रसंघ कायम करना चाहिये । रूस, चीन, भारत, मिश्र, आयर-लेड, अफगानिस्तान, स्विट्जरलेड, फारस आदि देश मिलकर इस राष्ट्रसंघ की नींव डाले । ये राष्ट्र आपस में स्थायी सन्धि करले । एक दूसरे को पूरी मदद करे । राष्ट्रसंघ के सदस्य मानो भाई भाई हैं इस तरह व्यवहार करे । इस राष्ट्रसंघ की नीतिको जो अपनाते जाँय उन्हें राष्ट्रसंघ में मिलते जाना चाहिये । इस प्रकार यह एक महान शक्ति हो जायगी । और धीरे धीरे साम्राज्यवाद का नाम सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखा रह जायगा ।

राष्ट्रसंघ के न्यायालय के न्यायाधीश वे लोग ही बनाये जाँय जो राष्ट्रीयता के पक्षपात से परे हो गये हों । जो न्याय और सत्य के पुजारी हों । विश्वशान्ति जिनके जीवन का ध्येय हो ।

राष्ट्रसंघ की जब यह योजना सफल हो जाय तब राष्ट्रसंघ द्वारा एक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनाई जाय जो सरल से सरल हो और अधिक से अधिक निर्दोष हो इसी भाषा में राष्ट्रसंघ का काम चले । इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय लिपि की समस्या भी हल करलीजाय ।

निरतिवाद प्रबन्ध की सुविधा के लिये राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार करता है । वह उन्हें नष्ट नहीं करना चाहता न उनमें संघर्ष चाहता है ।

संदेश पन्द्रहवाँ

शासन कार्य के प्रत्येक कर्मचारी को निःपक्ष होना चाहिये । नौकरी पर नियुक्त होने के पहिले उसे इस बात की शपथ लेनी होगी कि मैं शासन कार्य में किसी भी जाति सम्प्रदाय या व्यक्ति का

पक्षपात न करूँगा और न ऐसे कार्यों में भाग लूँगा जो साम्प्रदायिक या जातीय भाव को बढ़ाने वाले हों न ऐसे विचार किसी तरह प्रगट करूँगा । सभी धर्मों का आदर करूँगा और सदा न्याय और सत्य का पक्ष लूँगा ।

भाष्य--शासन या न्याय के कार्य में जो मनुष्य अपने जातीय या साम्प्रदायिक स्वार्थ को नहीं भूलता वह शुद्ध न्याय और निर्दोष शासन नहीं कर सकता खास अवसर पर वह अवश्य धोखा दे जायगा ।

दूसरी बात यह है राष्ट्र का यह ध्येय होना चाहिये कि उसके भीतर के जातीयता प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता के भेद नष्ट हों । विचार आचार की स्वतन्त्रता रहे परन्तु उनके नामपर दलबन्दी न हो । सर्व साधारण प्रजा को अगर इसके लिये बाध्य न किया जा सके तो कम से कम उन लोगों को तो बाध्य होना ही चाहिये जो शासक बनते हैं और जो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति से निःपक्ष व्यवहार करने के लिये बाध्य है ।

इन शासकों के भीतर हिन्दू मुसलमान, ब्राह्मण शूद्र, बंगाली गुजराती आदि का कोई भेद न होना चाहिये । वे धर्म के विषय में स्वतन्त्र विचारक और समभावी, जातिके विषय में पूरे राष्ट्रीय होना चाहिये । जो लोग इतना पक्षपात नहीं छोड़ सकते उन्हें किसी भी सरकारी नौकरी में न लिया जाय ।

आज कई लाख आदमी सरकारी नौकरी में हैं । वे सब जातिपाँति के बन्धन से रहित पूर्ण निःपक्ष और समभावी हों तो इन लाखों आदमियों का एक राष्ट्रीय समाज ऐसा बन जावे जो राष्ट्र में फैली हुई सकुचितताओं को नष्ट करने में पथ-प्रदर्शक हो । इनके सम्पर्क से और भी

इनके लाखों कुटुंबी इसी तरह के उदार बन जाँयगे ।

‘हमारी जाति में से इतने अनुपात में नौकरियाँ मिलना चाहिये’ आदि माँगें और झगड़े इस से शान्त हो जाँयगे । क्योंकि जो आदमी सरकारी नौकरी में जायगा वह तो राष्ट्रीय जाति के सिवाय और किसी जाति का न रह जायगा । तब जातिवाले अपना आदमी गुमाने को यह माँग ही पेश न करेंगे । और करें भी तो इसमें दूसरों का इतराज कम हो जायगा ।

भारतवर्ष में नौकरी पर रखते समय प्रत्येक नौकर से यह प्रतिज्ञाएँ ले लेना चाहिये ।

१—मैं आज से अपने को हिन्दू मुसलमान आदि न मानूँगा न ऐसी सस्थाओं का सदस्य रहूँगा जो साम्प्रदायिक या जातीय हो ।

२—मैं खानपान में तथा विवाह में जातिभेद का विचार न करूँगा अपनी अनुकूलता का ही विचार करूँगा ।

३—नौकरी के प्रत्येक कार्य में निष्पक्षता से व्यवहार करूँगा । किसीसे लॉच रिश्त आदि न लूँगा ।

४—साम्प्रदायिक या जातीय मामलों में विलकुल निष्पक्ष रहूँगा और साम्प्रदायिक या जातीय कटुता बढ़ाने का कोई कार्य न करूँगा ।

५—सम्प्रदाय और जाति के नामपर मैं कोई माँग पेश न करूँगा ।

६—मैं जनहित और न्याय को ही सब से बड़ा शास्त्र मानूँगा । इनके विरोध में किसी शास्त्र को न रखूँगा ।

नौकरी पर रखते समय इस बात की जाँच ग्याम तौर पर करली जाय कि ये प्रतिज्ञाएँ वास्त-

विक है या केवल नौकरी के लिये है । इसके लिये उम्मेदवार के पहिले चरित्र का विचार किया जाय ।

यह कहा जा सकता है कि इस तरह नौकरी के लिये किसी के धर्म पर या विचारों पर हस्तक्षेप करना तो मनुष्यको गुलाम बनाना है ।

सो नौकरी में आशिक गुलामी तो है ही । आज भी अमुक तरह के विचारों का बंधन है तब उदारता का बंधन क्या बुरा है ? दूसरी बात यह है कि जो वस्तु कल्याणकारी है उसे बंधन नहीं कह सकते । प्रेम का बन्धन, कर्तव्य का बंधन, ईमान का बंधन आदि बंधन या गुलामी नहीं हैं । मनुष्य को सकुचित वातावरण में लादेना बंधन नहीं है बल्कि बंधन का नाश है ।

तीसरी बात यह है कि साम्प्रदायिक और जातीय कट्टरता छीनने से धार्मिक भावनाएँ नहीं छिनती । अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक पढ़ने, पूजा आदि करने की मनाई नहीं है । स्वतन्त्र विचारक बनने की मनाई नहीं है । मनाई सिर्फ इस बात की है कि धर्म और जाति की दुहाई देकर राष्ट्र में संघर्ष पैदा न किया जाय ।

आजकल अधिकांश सरकारी नौकरों की कोई जाति या धर्म नहीं होता । भरपूर पैसा मिलता है चैन से गुजरती है न खुदा याद आता है न ईश्वर, न कुरान न पुरान, गरीब दुनिया की तो याद ही क्या आयगी । पर ये लोग अपनी महत्त्वाकांक्षाओं के कारण अपने स्वार्थ का समर्थन करने के लिये जाति और मजहब का सहारा लेकर भोले लोगों में विष फैलाते हैं । अपना उल्लूक साँचा करते हैं और जनता में जगलीपन भरते हैं इसलिये इस बात की जरूरत है कि सरकारी आदमी जाति और सम्प्रदाय से परे हों और सदा

के लिये परे हो जिससे राष्ट्र में राष्ट्रीयता स्थायी हो जाय ।

- संदेश सोलहवाँ

धारासभा जिला बोर्ड तहसील बोर्ड म्युन्यु-सपलिटि आदि सस्थाओ में ऐसे ही सदस्य जा सके जो अपने को किसी जाति या सम्प्रदाय का प्रतिनिधि न मानते हो । जो सर्व-धर्म-समभावी और सर्वजातिसमभावी हो । सेवा करने के लिये जिनके पास काफी समय हो और जो उन सस्थाओ के कामों में कुछ समझदारी रखते हो । तथा निस्वार्थ वृत्ति से काम करने को तैयार हो ।

भाष्य-ये सस्थाएँ किसी एक जाति के लिये नहीं हैं इसलिये इनमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व-या साम्प्रदायिक निर्वाचन न होना चाहिये साथ ही प्रत्येक सदस्य समभावी ईमानदार और जिम्मेदार होना चाहिये । धारासभाओं के लिये तो पहिले लिख आया हूँ यहाँ म्युन्युसपलिटि और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि के विषय में विचार करना है । वास्तव में इनकी बड़ी दुर्दशा है । इनमें फीसदी पचहत्तर के करीब स्वार्थी लोग भर जाते हैं और चुनाव में तो कहीं कहीं गुंडाशाही तक मच जाती है । इन चुनावों में हर एक शहर और गाँवों में दलबन्दी कर दी है । कहा तो यह जाता है कि हम सेवा के लिये जाते हैं, पर सेवा के लिये इतनी बेचैनी क्यों ? किसी बीमार की सेवा करने के लिये तो इतनी बेचैनी नहीं होती किसी भले आदमी को भूखा देख कर इतनी बेचैनी नहीं होती फिर वहाँ इतनी बेचैनी क्यों ? तुममें योग्यता है भावना है लोग चाहते हैं तो बुलाने पर अवश्य जाओ । पर सेवा करने के लिये 'सौ सौ धक्के खाय तमाशां धुसके देखेंगे' वाली कहावत क्यों चरितार्थ करते हो ?

चुनाव का जो ढग है वह भी ऐसा है कि केवल सेवाभाव से प्रेरित होकर कोई वहाँ न जाय । कोई आदमी अपने समय शक्ति विद्वत्ता आदि का लाभ जनता को मुफ्त देना चाहता है और उससे कहा जाता है कि सेवा करने की उम्मेदवारी के लिये पचास या पॉचसौ रुपये डिपाजिट रखो । अच्छी से अच्छी अफसरी की नौकरी पाने के लिये इस प्रकार डिपाजिट कोई नहीं रखता फिर निस्वार्थ सेवा के लिये इस प्रकार अपमान कौन सहन करेगा ? जो लोग निस्वार्थ सेवा के कार्य में दस बीस रुपया देते भी हिचकिचाते हैं वे हजारों रुपये चुनाव की लड़ाई में फँक देते हैं पचास पॉचसौ डिपाजिट रखते हैं घर घर जाकर वोटरो के हाथ जोड़ते हैं उन्हें मोटरमें बिठाकर लेजाते हैं इतनी दीनता और अपमान कोई निस्वार्थ सेवा के लिये कैसे सहन कर सकता है ? और फिर वे लोग जो दूसरी जगह दो चार रुपयों के लिये भी मुँह ताकते हैं । इसलिये सब्से सेवकों को खोजने के लिये निम्नलिखित सूचनाएँ उपयोगी होंगी ।

१-प्रान्तीय धारासभा, बड़ी धारासभा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्युन्युसपलिटि आदि की सघटनाओं और उनके कार्य का परिचय देनेवाला एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाय उसकी परीक्षा हर एक नागरिक दे सके । इन परीक्षापास नागरिकों में से ही कोई चुनाव के लिये खड़ा किया जाय ।

बड़े बड़े नेताओं और विद्वानों को बिना परीक्षा दिये हुए ही सरकार प्रमाण पत्र दे दे ।

२-चुनाव के लिये कोई आदमी स्वयं खड़ा न हो किन्तु वोटरो की सख्या का करीब दमकों भाग जिसको चुनने के लिये अर्जी दे वही आदमी चुनाव के लिये खड़ा समझा जाय । जहाँ

वोटरो की सख्या बहुत अधिक हो वहा दसवे भाग के बदले पचास या सौ आदमियो के हस्ताक्षर पर कोई आदमी-चुनाव के लिये खडा किया जाय ।

३-पोलिंग स्टेशन का सारा प्रबन्ध सरकार करे । वोटरो को मिठाई खिलाना शरबत पिलाना आदि लॉच के काम बन्द रहे ।

४-जो आदमी चुनाव के लिये खडा किया जाय वह आदमी पहिले घोषित कर दे कि मैं अमुक सेवा कार्य के लिये इतना समय दूंगा । तीन चतुर्थाश बैठकों मे उसे उपस्थित रहना अनिवार्य समझा जाय ।

५-डिपॉजिट लेना बन्द रहे । हरएक आदमी खडा न हो जाय इसके लिये नवर दो की सूचना काफी है ।

६-वोटरो को ले जाने के लिये सवारी आदि का प्रबन्ध करना घृणित समझा जाय । जनता को समझ लेना चाहिये कि जो आदमी सवारी आदि का प्रबन्ध जितना अधिक करे वह उतना ही अयोग्य और स्वार्थी है । चुनाव के समय की चापट्टसी मे आकर किसी को वोट न देना चाहिये ।

७-वोट मँगने के लिये अगर कोई उम्मेदवार वोटर के घर जाता है या अपना दूत भेजता है तो यह उसकी तुच्छता अयोग्यता और स्वार्थी-पन समझा जाय । अधिक से अधिक इतना ही होना चाहिये कि वोटर के पास अपना लिखित या छपा हुआ सन्देश भेजदे ।

८-उम्मेदवार का सन्देश सुनाने के लिये सभाएँ हो सकती है और उम्मेदवार से क्रम से शान्तिपूर्वक प्रश्न पूछे जा सकते हैं । पर गाली गलौज या मारपीट कदापि न होना चाहिये ।

अगर उम्मेदवार प्रश्नो का उत्तर न देना चाहे तो प्रश्न पूछना बन्द कर देना चाहिये । इसीसे उम्मेदवार की कमजोरी मालूम हो जायगी । होहल्ला मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

९-प्रभात फेरी आदि ऐसे कार्य बन्द रखना चाहिये जो चुनाव के क्षेत्र मे युद्ध का वातावरण पैदा करते हैं और कहीं कहीं फौजदारियाँ भी हो जाती हैं । इसी प्रकार चुनाव के बाद विजयोत्सव के समान प्रदर्शन भी न करना चाहिये । जो आदमी चुनाव मे आ जाते हैं उनके सम्मान मे पार्टियों देना उन्हें मानपत्र देना आदि भी अनुचित हैं । अभी तो वह सेवा के लिये चुना गया है । सेवा कैसी करता है यह देखकर उसे पीछे बर्धाई देना चाहिये जब उसका सेवाकाल पूरा हो जाय । सेवा करने मे अगर वह तीन वर्ष या पाँच वर्ष उत्तीर्ण हो तो उसे बर्धाई देना चाहिये नहीं तो नहीं । विद्यार्थी जब परीक्षामे बैठता है तब परीक्षा मे बैठने का उत्सव नहीं मनाया जाता है पास होने का मनाया जाता है । सेवाके लिये चुना जाना तो परीक्षा मे बैठना है । पास फेल तो तब मालूम होगा जब वह कुछ कर दिखायगा । तभी बर्धाई देने न देने का विचार करना चाहिये । अभी जो बर्धाई दी जाती है उसका अर्थ यह होता है कि दो उम्मेदवारो का युद्ध ही कर्तव्य है और इसी जीत मे कर्तव्य की इतिश्री है । यह तुच्छता तो है ही, साथ ही स्थायी वैर को निमित्रण देना है । यह तुच्छता मन मे आ सकती है पर वह मन मे ही रहे । यदि उसका प्रदर्शन किया जाय और उसमे किसी तरह की गर्भ न मानी जाय तो तुच्छता और स्वार्थ पर नैतिकता की छाप लगाना है ।

चुनाव के वर्तमान रूप, ने धन को ही योग्यता का मापदण्ड बना दिया है। जो कुछ सेवा कर सकते हैं जिन के त्यागमय जीवन का जनता लाभ उठा सकती है उनकी सेवा से जनता वंचित रहती है और जिनने सेवा की वर्णमाला भी नहीं पढ़ी है वे धन के बल पर सेवा के लिये सवार हो जाते हैं। यद्यपि सर्वथा यह बात नहीं है कि धनवान ही सेवा के लिये चुने जाते हों और गरीब एक भी न आता हो पर ये दोनों बातें अपवाद रूप में होती हैं अधिकांश में धन बाजी मार ले जाता है। इस अन्धेर को जितना रोका जा सकता हो रोकना चाहिये। सच सेवक ही आना चाहिये चाहे वे गरीब हो चाहे अमीर।

निरतिवाद म्युनिसिपल आदि में लोकतन्त्र चाहता है पर अयोग्य और स्वार्थ-साधुओं से इन सस्थाओं को बचाये रखना चाहता है।

पन्द्रहवे और सोलहवे सन्देश के मान्य होने पर साम्प्रदायिक और जातीय छुट्टियों का झगड़ा भी तय हो जायगा। सप्ताह में एक रविवार की छुट्टी रहे। गर्मी की छुट्टियाँ रहे। और भी कुछ ऋतु-सम्बन्धी छुट्टियाँ रहे। स्वतन्त्रता दिवस आदि की भी छुट्टी रहे। वार्षिक और सामाजिक त्योहारों की आम छुट्टियाँ बढ़ रहे। जिसमें किसी को यह कहने की गुजायश न रहे कि हमारे सम्प्रदाय की छुट्टियाँ नहीं हैं या कम हैं तुम्हारे की अधिक हैं। हा, इच्छानुसार उत्सव मनाने के लिये हर एक नौकर को दस दिन की छुट्टी मिले। आजकल यहाँ इस विषय में काफी अन्याय हो रहा है।

सन्देश सत्रहवाँ

ऐसी सस्थाएँ अमान्य करदी जाँय जो साम्प्रदायिक या जातीय कट्टरता का पाठ पढ़ाता है।

भाष्य—अमुक धर्म या अमुक दर्शन को पढ़ने पढ़ाने की-मनाई नहीं है। निःपक्ष रीतिसे उनका पठन पाठन चलना चाहिये। परन्तु ऐसी साम्प्रदायिक सस्थाएँ भी हैं जहाँ अपने धर्म और अपने समाज की सर्वोत्तमता का और दूसरे धर्मों और समाजों की निंदा का विष दिनरात भरा जाता है। इनसे राष्ट्र की और मनुष्यता की बड़ी हानि होती है। मैं स्वयं ऐसी शालाओं का शिकार हूँ। बीस वर्ष पहिले जैसी मेरी मनो-वृत्ति थी वैसी मनोवृत्ति को रखकर मनुष्य सत्य और प्रेम से कोसो दूर रहेगा। न जाने मुझ में स्वतन्त्र विचारणा का बीज कहा से घुसा पड़ा था कि उनने इस पापको दूर कर दिया परन्तु मेरे देहो साथी उसके शिकार अभी तक बने हुए हैं। खैर, अल्पसंख्यक समाजों ऐसा विष फैलाकर भी अपनी अशक्ति के कारण राष्ट्रव्यापी क्षोभ पैदा नहीं कर पातीं परन्तु जरा बड़ी संख्यावाली समाजों इस प्रकार की कट्टरता के शिक्षण से राष्ट्रमें ऐसा विष घोलती है कि जिन शिक्षितों से शान्ति प्रेम और सभ्यता की आशा करना चाहिये वे अशान्ति द्वेष और असभ्यता की मूर्त्ति बनजाते हैं। साधारण लोग जिस समस्या को सरलता से सुलझा सकते हैं उसे वे पढ़े लिखे लोग चिरकाल के लिये उलझा देते हैं। इसलिये ऐसी सस्थाएँ न हों यह सब से अच्छा। परन्तु अगर हो ही तो वे सरकार-मान्य न समझी जाँय एक सस्थाको जो सुविधाएँ मिलती हैं वे इन्हे न मिलें। जैसे उनकी जमीन मकान आदिपर टेक्स न लगना, कभी कंगेशन टिकिट मिलजाना, वहाँकी परीक्षाको प्रमाण मानलेना, आर्थिक सहायता आदि सुविधाये न मिलें।

धर्म और दर्शन के शिक्षण को बन्द करने की जरूरत नहीं है।

सन्देश अठाग्हवाँ

अर्थोपार्जन की यथाशक्य स्वतन्त्रता हरएक मनुष्य को रहे । पर इस क्षेत्रमे जो आदमी किसी तरह पिछड जाय उसे भरपेट रोटी देने के लिये काम देना सरकार का काम है ।

भाष्य—निरतिवाद की आर्थिक रूप रेखा विस्तार से दीगई है इसलिये अब विशेष भाष्य लिखने की जरूरत नहीं है ।

संदेश उन्नीसवाँ

सिर्फ भिक्षा माँगने के लिये कोई साधुका वेष न लेपावे । रजिष्टर्ड साधुओ के सिवाय कोई भिक्षा माँगे तो वह दंडित हो तथा बेकारशाला मे भेज दिया जाय । जो साधु बनकर भिक्षा माँगना चाहे वह अपना नाम रजिष्टर्ड करावे जिस मे निम्नलिखित बातों का खुलासा हो ।

[१] नाम तथा वंशादि परिचय ।

[२] बौद्धिक तथा अन्य योग्यता ।

[३] समाज की और अपनी किस सेवा के लिये साधुपद स्वीकार किया ।

[४] आचार के नियम ।

[५] वेप की साधारण रूप रेखा ।

भाष्य—साधु, साधु सस्थाकी सदस्यता, और साधुवेप इनतीनों मे अन्तर है । साधु तो वह है जो सदाचारी और निस्वार्थ समाजसेवक है । जो समाज को अधिक से अधिक देकर कम से कम लेने की चेष्टा करता है । ऐसा साधु किसी सस्था का सदस्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वह साधु वेप मे या किसी दूसरे वेष मे भी रह सकता है, वह गृहस्थ भी हो सकता है और सन्यासी भी हो सकता है । सारा संसार अगर ऐसा साधु हां जाय तो स्वर्ग की नाना कल्पनाएँ भी फीकी पड़ जाँय ।

साधु-सस्थाका का सदस्य सारा संसार नहीं बन सकता और न साधु-सस्था का सदस्य हो जाने से साधुताका निश्चय किया जा सकता है । क्योंकि सस्थाओ मे असाधु भी घुस जाते हैं । साधु सस्था के अमुक नियमो मे बँधा रहता है । सस्था चाहे तो अमुक वेपको रक्खेगी नहीं तो नहीं भी रक्खेगी ।

साधु-वेप और भी बाहर की चीज है । बहुत सी जगह तो यह भिक्षा माँगने का साधन बना हुआ है । साधुवेप की उच्छ्रखलता के कारण साधु सस्थाकी और साधुता की दुर्गति हो रही है । देश मे भिखारियो का होना कलक की बात है और इसके लिये साधु वेप की दुर्गति होना शर्म की भी बात है । भीख माँगना बिल्कुल बन्द होना चाहिये और कदाचित् बन्द न हो सके तो उसके लिये साधु वेप का उपयोग कदापि न होना चाहिये ।

परन्तु इसकी पूर्ति मे अतिवाद आडे आता है । अगर भिक्षा बिल्कुल बन्द कर दी जाती है तो सच्चे साधुओ के मार्ग मे बाधा आती है अगर बिल्कुल छूट रहती है तो साधु वेपवारी लाखो भिखारियो के बोझ से देश दबा जा रहा है इस प्रकार दोनो तरफ अतिवाद है ।

यद्यपि ऐसी भी साधु सस्था हो सकती है जिस क सदस्य भिक्षा न माँगे परन्तु भिक्षुक साधुओ की भी जरूरत है भोजन के लिये कुछ अर्थोपार्जन सम्बन्धी काम करना और उसके निर्माण के लिये भी काम करना, इन दोनो से साधु को ऐसे लोगो के अकुशमे आ जाना पडता है जिन को सुधारने के लिये साधु को डटना है । परन्तु इससे साधु मे बहुत कुछ दबूपन या दीनता आ जाती है । फिर घरू कामो मे उस

की शक्ति लग जाती है वह रुपयो की पैली के बिना परिव्राजक जीवन नहीं बिता सकता इस लिये अगर कुछ विशेष योग्यता वाले प्रचारक या जनसेवक भिक्षा से गुजर कर लेते हैं तो इस में समाज की कोई हानि नहीं है। इसलिये साधुओ को भिक्षा की सर्वथा मनाई तो नहीं करना चाहिये।

परन्तु साधुवेप की ओट में जो आलस्य दुराचार आदि का ताडव होता है उसे बढ़ करने के लिये साधुओ की रजिष्ट्री होना जरूरी है। रजिष्ट्री का मतलब उन्हें सरकार का गुलाम बना देना नहीं है पर उनको व्यवस्थित बना देना है और उनकी उच्छ्रखलता को रोकना है।

हा, उसकी रजिष्ट्री सीधी नहीं किन्तु कुछ परोक्ष ढंग से की जायगी। अर्थात् सामाजिक सस्थाओ के हाथ में उनका रजिष्ट्रेशन रहेगा और उन समाजो ने जिस शर्त पर किसी को साधु बनने की अनुमति दी होगी उन शर्तों का भग करने पर अगर कोई उसी समाज का आदमी सरकार में अर्जी करे तो सरकार उस साधु के भिक्षा मागने के हक्कपर हस्तक्षेप कर सकेगी।

आज तो एक आदमी इस प्रतिज्ञा पर साधु बनता है कि मैं एक फूटी कौड़ी भी अपने पास न रखूंगा, फिर भी लोगो से ठगकर हजारो रुपये जोड़ता है और धनवान बनजाता है वह अपराध डकैती से कुछ कम नहीं है।

कहा जा सकता है कि उस समाज या सस्था को ही उन साधुवेपियो को ठिकाने लाना चाहिये सरकार हस्तक्षेप क्यों करे ?

पर बात यह है कि सारा समाज इन लोगो की डकैती को नहीं समझ सकता वह तो भोला

है इस विषय में नाबालिग है। जो थोड़े बहुत आदमी प्रयत्न करते हैं उनके हाथ में सत्ता न होने से कुछ नहीं कर पाते। कभी कभी तो सरकार उनके मार्ग में आड़े आ जाती है। मानलो एक आदमी त्रिलकुल निष्परिग्रह साधु बना। पर लोगो को धोखा दे कर उनके भोलेपन का उपयोग करके उसने रुपये इकट्ठे कर लिये। समाज के कुछ लोगो ने उमका भडाफोड कर दिया और रुपये छीन लिये, पर सरकार उसके रुपये इस लिये वापिस दिला देता है कि सरकार की दृष्टि में उसे रुपये रखने का अधिकार है। इस प्रकार सरकार को कानून की गुलामी के कारण न्याय और जनहित की अवहेलना करना पडती है।

कोई साधुवेपी पैसा न रखे यह बात नहीं है पर एक आदमी यह घोषित करके कि मैं एक कौड़ी भी नहीं रखता—भिक्षा मांगने का अधिकार प्राप्त करता है और बदमाशी करके लोगो को ठगता है पैसे के बलपर वह स्वार्थी लोगो का गुट बना लेता है, तो इस ठडी डकैती पर अकुशल लगाने में सहायता करना सरकार का कर्तव्य होना चाहिये।

अगर कोई व्यक्ति स्त्री न होकर भी स्त्रीवेप धारण करके जन समाज को ठगले जाय स्त्रियोचित सुविधाएँ प्राप्त करले तो सरकार उसे दंड देगी, इसी प्रकार कोई पुलिस का वेप बना कर अगर लोगो को ठगले तो दंड पायगा तब साधुवेप धारण करके अगर कोई जनता को ठगता है तो वह भी दंड क्यों न पावे ?

निरतिवाद साधुसस्थाओ को नष्ट नहीं करना चाहता है पर उनको भीख मागने का व्यव करनेवाली एक जाति के रूपमें नहीं देखना चाहता। उन्हें समाजके नियन्त्रण में रखना

चाहता है और इस कार्य में सरकार से भी यथा-योग्य सहयोग चाहता है इसके अतिरिक्त लोगो को यह भी सिखाना चाहता है कि किसी को साधु मानने के लिये निम्नलिखित बातों का विचार करो ।

१—वह पूर्ण सदाचारी है ।

२—समाज से लेकर अपने लिये धनसंग्रह नहीं करता ।

३—समाज से जितना लेता है उससे अधिक समाज की भलाई करता है ।

४—जातिपोंति का पक्षपाती नहीं है और न सम्प्रदायो में द्वेष फैलाता है ।

५—लोकसेवा और साधु जीवन बिताने की समझदारी रखता है ।

सन्देश बीसवों

धनवान होने से ही कोई भला आदमी या आदरणीय न समझा जाय । अगर उसने धन ईमानदारी से पाया है और सभ्य है तो भला आदमी समझा जाय । अगर उसने वन समाज हित के काम में लगाया है तो आदरणीय समझा जाय ।

भाष्य—हर एक धर्म ने धनसंग्रह की निन्दा की है और जनता भी इस निन्दाका विरोध शब्दों से नहीं करती । यह निन्दा उचित भी है पर लोगो की दृष्टि और लोगो का व्यवहार बिल्कुल उल्टा है । किसी मनुष्य ने किसी तरह धन एकत्रित कर लिया तो वह कैसा भी हो और जनसेवा भी न करता हो पर आदर इज्जत और भलापन उसे मिल जाता है । कम से कम वह साधारण गृहस्थसे बहुत ऊँचा हो जाता है । अगर हम धन के अन्ध-प्रशंसक या अन्धपूजक बन जाय तो लोग अन्य गुणों की अपेक्षा वचन पर ही दूटेंगे । वन से भोगो-

पभोग के सुभीते इच्छानुसार मिल ही जाते हैं पैसों के द्वारा नौकर चाकर तथा उनके द्वारा सम्मान मिल ही जाता है अब अगर साथ में जनता में पूजा सत्कार आदर आदि भी मिले सज्जनता की छाप भी मिले, तब लोग धन को ही अपने जीवन का आदर्श क्यों न बनायेंगे ? और वे धन के आगे ईमानदारी तथा जनहित की परवाह क्यों करेंगे ?

यह निश्चित है कि कोई आदमी ईमानदारी से अधिक धन संग्रह नहीं कर सकता । यह दूसरी बात है कि वह कानूनी अपराध न करे इस प्रकार बाहरी दृष्टि से वह ईमानदार बना रहे पर धर्म का जो मर्म है ईमानदारी का जो प्राण है उसको नष्ट किये बिना अधिक धनसञ्चय नहीं हो सकता । जो लोग बाप दादों के वन से धनवान होते हैं उनमें यह दोष कदाचित न हो पर उनके बाप दादों में अवश्य था । तब एक दोषी की सन्तान होने से ही किसी का आदर क्यों होना चाहिये ?

अगर हम चाहते हैं कि लोग वन के लिये वैर्दमानी न करे धन को ही अपने जीवन का ध्येय न बनायें तो यह आवश्यक है कि धन का सम्मान करना छोड़ दिया जाय । अमेरिका की कुछ प्राचीन जातियों में अभी भी यह रिवाज है कि कोई आदमी हजार का ढान करने से हजार-पति की इज्जत पाता है हजार रुपया रखने से नहीं । लोकमत जब तक धन के विषय में विशुद्ध न हो जायगा तब तक बढ़ती हुई भौतिकता दूर नहीं हो सकती ।

धनवान का अगर आदर करना है तो पहिले से मन करो उसका सदुपयोग देखकर करो । लोकमत अगर इस प्रकार सुधर जायगा तो धनवालों

को इस बात में अपमान का अनुभव न होगा, धन जोड़ने की लालसा भी कुछ कम हो जायगी और धनी होजाने पर जनहित के कार्य में खर्च करने की भी सूझगी ।

शंका—धनका इतना अपमान क्यों ? विद्या कला आदि की तरह यह भी एक शक्ति और सेवा-साधन है । अगर विद्वान का आदर करते हैं कलावान का आदर करते हैं तो धनवान का क्यों न करें ?

समाधान—विद्या कला आदि के आदर में भी उसके सदुपयोग का विचार किया जाना चाहिये । फिर भी धनवान के समान विद्वान आदि की उपेक्षा न होना चाहिये । इसका मुख्य कारण यह है कि विद्या कला आदि का समग्र धन के समग्र की तरह पापरूप नहीं है । अधिक धनवान बनने के लिये प्रायः दूसरो का हक मारना पड़ता है पर अधिक विद्वान या कलावान बनने के लिये ऐसा नहीं करना पड़ता इसमें परिश्रम की ही मुख्यता है । दूसरी बात यह है कि विद्वान् या कलावान अपनी आजीविका के लिये यद्यपि कुछ लेता अवश्य है पर आजीविता चलने के बाद वह विद्या कला का उपयोग प्रायः आर्थिक बदले के बिना भी करता है । इसलिये धनसमग्र के साथ विद्या आदि की तुलना नहीं की जा सकती । हा, धनीका आदर न करने पर भी दानों का आदर करना चाहिये ।

धन के हाथ में लोगो के विविध स्वार्थ और आशाएँ रहती हैं इसलिये धनियों को असली नहीं तो नकली प्रेम आदर तथा चापलूसी मिला ही करती है पर लोगो का यह पतन भी यथा-शक्य कम हो ऐसा वातावरण निर्माण होना चाहिये । इस विषय में यह सन्देश लोगो को नैतिक तथा शास्त्रीय आधार का काम देगा ।

निरतिवाद न तो धन की अवहेलना करता है न उसे पुण्य या आदर की चीज समझता है । धनको समाजहित में लगाने को ही आदरणीय समझता है ।

सन्देश इकीसवाँ

सदाचार और विशेष सेवा ही महत्ता और पूज्यता की निशानी समझी जावे ।

भाष्य—धार्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में इस सन्देश को अपनाने की जरूरत है । हमारी उपासना भी इन्हीं गुणों के आधार से होना चाहिये । राम कृष्ण आदि की पूजा हम इसलिये न करें कि वे बलवान थे, सुन्दर थे, श्रीमान् थे, पर इसलिये करें कि वे सदाचारी थे, त्यागी थे, समाज की उनमें विशेष सेवा की थी । भयपूजा बिल्कुल निकल जाना चाहिये । शनैश्चर बड़े क्रूर हैं कहीं नाराज न हो जाये इसलिये उनकी पूजा करो, इस मान्यता में अन्धविश्वास तो है ही पर दुर्जनता को उत्तेजन भी है । कोई आदमी शक्तिशाली और क्रूर है तो हमें उसकी पूजा न करना चाहिये बल्कि निन्दा और दमन करना चाहिये या उसे प्रेम आर सेवा का पाठ पढ़ाना चाहिये । धार्मिक क्षेत्र में जो अन्धविश्वास और मूढ़ता प्रविष्ट हो गई है वह जाना चाहिये ।

सामाजिक क्षेत्र में भी यही बात होना चाहिये । हम जिस चीज की पूजा आदर सत्कार करेंगे जिसको महान समझे लोग उसी को अधिक बढ़ाने की चेष्टा करेंगे । अगर आप सदाचार और जन-सेवा की अपेक्षा धन-वैभव शक्ति अधिकार के सामने अधिक भुक्ते हैं तब यह स्वाभाविक है कि लोग सदाचारी बनने और जनसेवा की अपेक्षा करके धन वैभव अधिकार आदि के लिये प्रयत्न करें । मनुष्य समाज स्वर्ग और वैकुण्ठ की तरफ

निरतिवाद

ना बढ़ सकता है जब मनुष्य सदाचारी और निस्वार्थ-सेवी हो ।

आप एक अधिकारी के सामने एक सदाचारी जनसेवक की उपेक्षा करते हो वैभव और बलके सामने सिर झुकाते हो और प्रेम की पर्वाह नहीं करते तो इसमें सन्देह नहीं कि आप जगत को नरक की तरफ लेजा रहे हो ।

एक सज्जन ने यह सूचित किया है कि सत्य और बहादुरी को भी इस श्रेणी में ले लेना चाहिये । परन्तु सदाचार में सत्य का समावेश होजाता है । अहिंसा सत्य शील ईमानदारी आदि सदाचार के ही नानारूप हैं इसलिये सत्य को अलग कहने की आवश्यकता नहीं है । अथवा अगर कोई सत्य की व्यापक व्याख्या करके सब सदाचार को उसमें शामिल करना चाहता है तो कोई विरोध नहीं है पर साधारण जनता की दृष्टि में सदाचार शब्द व्यापक है ।

बहादुरी को पूज्यता की निशानी मानना ठीक नहीं । बहादुरी का उपयोग जनसेवा के लिये जितने अंश में होगा उतने ही अंश में पूज्यता आजायगी सो यह बात धन विद्या कला आदि के विषय में भी है ।

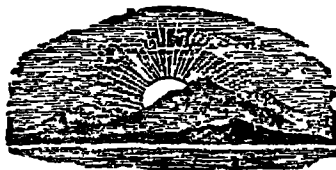
इसका यह मतलब नहीं है कि इन गुणों की अवहेलना होना चाहिये । आवश्यकता सब की है पर पूज्यता इनसे तभी मानी जा सकती है जब

जन सेवा के मार्ग में इनका उपयोग किया जाय । निरतिवाद न तो इनका विरोधी है न इन्हीं में कर्तव्य की इतिश्री समझता है ।

उपसंहार

निरतिवाद का पहिले विस्तार से आर्थिक रूप बताया गया था पर निरतिवाद के क्षेत्र में तो धर्म, समाज, राजनीति [राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय] सभी शामिल हो सकते हैं इसलिये इक्कीस सन्देशों का निरतिवादी भाष्य किया गया । इसमें विश्व की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सभी समस्याओं का हल करने का प्रयत्न किया गया है ।

यद्यपि इसमें साम्यवाद या समाजवाद का कुछ विरोध किया गया है परन्तु गौर से देखने से मालूम होगा कि यह समाजवाद की आत्मा का भारतीय अवतार है बल्कि भारत से ही ग्वास सम्बन्ध रखनेवाली एक दो बातों को छोड़कर तो इसका रूप विश्व के लिये उपयोगी है और ऐसा है जो साम्यवाद की अपेक्षा अधिक समय तक स्थिर रह सके । यह पूँजीवादियों को तो असह्य होगा पर पूँजीपतियों को असह्य न होगा इसलिये व्यवहार में भी जल्दी आसकता है और इसको व्यवहार में लाने का क्रम भी बनाया जा सकता है । हा, इसके लिये संगठन करने की आवश्यकता है ।



सत्यभक्त-साहित्य

सत्यसन्देश [मासिक]

हिन्दू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी आदि सभी समाजों में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का सन्देश देनेवाला, शांतिप्रद सामाजिक क्रांतिका विगुल बजानेवाला, मौलिक और गम्भीर लेख, रसपूर्ण कविताएँ, कलापूर्ण कहानियाँ, सामयिक टिप्पणियाँ और समाचार आदि से भरपूर स्वतन्त्र मासिक पत्र । वार्षिक मूल्य ३) नमूना ।)

धर्म-मीमांसा—मूल्य चार आना ।

धर्मों की उत्पत्ति, उनका वास्तविक स्वरूप और समन्वय कर्तव्याकर्तव्य के निर्णय की कसौटी सर्व-धर्म-समभाव और सर्व-जाति-समभाव को जीवन में उतारने की सुन्दर योजना । पृष्ठ सख्या १०० ।

जैन-धर्म-मीमांसा—(प्रथम भाग) मूल्य एक रुपया ।

धर्म की व्याख्या के साथ जैन-धर्म का सम्बन्ध, मौलिक ऐतिहासिक विवेचन, महात्मा महावीर के जीवन की झाकी, अतिशयों की आलोचना, सम्यक्त्व की असाम्प्रदायिक गम्भीर और व्यापक व्याख्या, 'जैन-धर्म-का मर्म' लेखमाला के तीन अध्याय का सशोधित रूप । पृष्ठ ३४० ।

विवाह-पद्धति—एक सर्व-धर्म-समभावी विवाह-पद्धति । हर एक धर्मका आदमी इसका उपयोग कर

सकता है । निरर्थक क्रियाकलापों का बहिष्कार किया गया है । हिन्दी में ही सप्तपदी, प्रदक्षिणा (भावर) मङ्गलाष्टक, मंगलाचरण आदि के सुन्दर पद्य हैं । विधि सरल और प्रभावक है । मूल्य एक आना । अधिक लेनेवालों को ४॥ रु सैकड़ा ।

न्यायप्रदीप—हिन्दी भाषा द्वारा न्यायशास्त्र का पूरा ज्ञान करा देनेवाला एकमात्र सरल ग्रन्थ । जो लोग संस्कृत विलकुल नहीं जानते वे भी इसके द्वारा न्याय शास्त्र के ज्ञाता हो सकते हैं और संस्कृत जाननेवालों को भी इसमें मौलिक और विचारणीय सामग्री है । मूल्य १)

सत्यसमाज और भावनागीन—मूल्य ॥

सत्यसमाज की नियमावलि, सर्व-धर्म-समभावी भावना-गीतोंका संग्रह । पृष्ठ ३२ ।

सत्य संगीत—छप रहा है ।

म सत्य, म अहिंसा, म राम, म कृष्ण, म महावीर, म बुद्ध, म ईसा, म मुहम्मद, मातृ माता, के विषय में अतिशयोक्ति-रहित सच्ची सर्व-धर्म-समभावी प्रभावक कविताओं और दर्जनो भाव-गीतों तथा भावनाओं का संग्रह ।

निरतिवाद—हाथ में ही है । मूल्य छ आने ।

सत्याश्रम वर्धा (सी. पी.)